



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222257
CG-DL-E-05102020-222257

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3085]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2020/आश्विन 13, 1942

No. 3085]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2020/ASVINA 13, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3465(अ).—केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) द्वितीय आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे वह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के लिए निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक उन्हें सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, इस आदेश की अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इसमें ऐसा निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय अन्य शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं उस धारा या उसके भाग में आता है, निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका ऐसा उपांतरण या निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019 के पहले सम्यक् रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम को ये सम्यक् रूप की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, उसी विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में वैसी ही प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. (1) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन या संशोधन –

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसी ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसी ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो।

(2) उप पैरा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्ररूप, उपविधि या स्कीम, अभिप्रास प्रमाणपत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञप्ति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार भी है) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को वर्तमान में विस्तारित और लागू केंद्रीय विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए विस्तारित केंद्रीय विधि के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा उसे अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है।

अनुसूची 1

(पैरा 3 देखें)

केंद्रीय विधियां

1. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019

(2019 का 21)

धारा 2. - खंड (1) में उपखंड (iii) में “और” का लोप करें और इस प्रकार यथा विलोपित उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, -

“(iii)क) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ; और”।

2. भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
(1996 का 27)

धारा 49क के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन – धारा 49 के पश्चात् अंतःस्थापित करें –

अपराधों का प्रशमन। “49क. (1) धारा 47, धारा 48 और धारा 49 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपये से अनधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”।

3. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
(1970 का 37)

धारा 1 – उपधारा (4) के खंड (क) में “बीस” शब्द के स्थान पर “चालीस” शब्द रखें ।

धारा 25 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन –

अपराधों का प्रशमन “25क. धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 24 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रकम के लिए प्रशमन किया जा सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	धारा	प्रशमन की गई रकम
1	2	3
1	22(1), 22(2) और 24	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या
		से अधिक नहीं होगी
		1 से 50
		5000/- रुपये
		51 से 100
		8,000/- रुपये
		101 से 500
		12,000/- रुपये
		500 से अधिक
		16,000/- रुपये:

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी:

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन मुख्य नियोजक या ठेकेदार के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम का पचहत्तर प्रतिशत संबंधित कर्मचारी को संदत्त किया जाएगा या कर्मचारियों में बराबर रकम का संदाय किया जाएगा और यदि कोई कर्मचारी पहचानने योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम ऐसी रीति में जमा की जाएगी, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”।

4. कारखाना अधिनियम, 1948

(1948 का 63)

धारा 2 – खंड (ड) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में “दस” और “बीस” के स्थान पर क्रमशः “बीस” और “चालीस” रखें ।

धारा 66 – उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर रखें -

“(ख) स्त्रियां सभी स्थापनाओं में सभी प्रकार के संकर्मों के लिए नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें, उनकी सहमति से सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए या नियोजक द्वारा अनुपालन की जाने वाली किसी अन्य ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रातः 6 बजे से पहले और सायं 7 बजे के पश्चात् भी नियोजित किया जा सकेगा ;”।

5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(1947 का अधिनियम संख्यांक 14)

धारा 2क – उपधारा (3) में “तीन वर्ष” स्थान पर “एक वर्ष” रखें ।

धारा 25च – खंड (ख) में “पंद्रह दिन” के स्थान पर “तीस दिन” रखें ।

धारा 25ट – उपधारा (1) में “सौ” के स्थान पर “तीन सौ” रखें ।

धारा 31 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन -

अपराधों का प्रशमन “31क. धारा 25थ, धारा 25द, धारा 25प, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30क तथा धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रकम के लिए प्रशमन किया जा सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	धारा	प्रशमन की रकम			
1	2	3			
1	25थ	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 25 दिन की मजदूरी			
2	25द	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 60 दिन की मजदूरी			
3	25प	(i) प्रत्येक कर्मकार द्वारा 150/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर 3000/-रु. से अधिक नहीं होगी ; (ii) नियोजक द्वारा 300/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर नीचे दर्शित रकम से अधिक नहीं होगी ;			
		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से रकम अधिक नहीं होगी		
		1 से 50	5000/-रु.		
		51 से 100	8000/-रु.		
		101 से 500	12000/-रु.		
		500 से अधिक	16000/-रु.		
4	26	(i) अवैध हड़ताल की दशा में प्रत्येक कर्मकार द्वारा 150/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर 3000/-रु. से अधिक नहीं होगी (ii) अवैध तालाबंदी की दशा में किसी नियोजक द्वारा 300/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर नीचे दर्शित रकम से अधिक नहीं होगी :			
		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से रकम अधिक नहीं होगी		
		1 से 50	5000/-रु.		
		51 से 100	8000/-रु.		
		101 से 500	12000/-रु.		
		500 से अधिक	16000/-रु.		
5	27 और 28	उपरोक्त धारा 26 के अनुसार अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए ।			
6	29	प्रत्येक कर्मकार के संबंध में 200/-रु. प्रतिदिन ।			
7	30क	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 25 दिन की मजदूरी ।			
8	31(1)	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	पहला अवसर	दूसरा अवसर	तीसरा अवसर
		1 से 50	5000/-रु.	10,000/-रु.	15,000/-रु.
		51 से 100	8000/-रु.	16,000/-रु.	24,000/-रु.
		101 से 500	12000/-रु.	24,000/-रु.	36,000/-रु.
		500 से अधिक	16000/-रु.	32,000/-रु.	48,000/-रु.
9	31(2)	(i) प्रत्येक कर्मकार के लिए पहले अपराध के लिए 1,000/-रु., दूसरे अपराध के लिए 2,000/-रु. और तीसरे अपराध के लिए 3,000/-रु. (ii) नियोजक के लिए :			

	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	पहला अवसर	दूसरा अवसर	तीसरा अवसर
	1 से 50	1500/-रु.	3,000/-रु.	6,000/-रु.
	51 से 100	3000/-रु.	6,000/-रु.	10,000/-रु.
	101 से 500	4000/-रु.	8,000/-रु.	15,000/-रु.
	500 से अधिक	5000/-रु.	10,000/-रु.	20,000/-रु.

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे ।

परंतु यह भी कि ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन नियोजक के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम संबद्ध कर्मचारी को संदत्त की जाएगी या कर्मकारों में बराबर-बराबर संदत्त की जाएगी और यदि कोई कर्मकार पहचान योग्य नहीं है तो अतिशेष रकम समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”।

6. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

(1946 का 20)

धारा 13ख के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन -

अपराधों का प्रशमन “13ग. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर पचास हजार रुपये की रकम के लिए ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपये से अनधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।” ।

7. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(1961 का 27)

धारा 34 के पश्चात् अंतःस्थापित करें -

अपराधों का प्रशमन "34क. (1) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1), धारा 31 और धारा 32 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पांच हजार रुपये से अनधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन नियोजक के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम का पचहत्तर प्रतिशत संबंधित कर्मकार को, जहां कहीं साध्य हो संदत्त किया जाएगा या कर्मकारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और यदि कोई कर्मकार पहचान योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”।

8. भेषजी अधिनियम, 1948

(1948 का 8)

धारा 32 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन -

जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत् 2011 (1955 ए.डी) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध "32ग. धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 एडी) के अधीन अनुरक्षित भेषजज्ञों के रजिस्टर में अंतर्विष्ट किया गया है और जो उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता रखता है, 1 जनवरी, 2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त किए गए आवेदन के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किया गया और अनुरक्षित भेषजज्ञों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया समझा जाएगा ।”।

9. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976**(1976 का 11)**

धारा 9 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन -

अपराधों का प्रशमन “9क. (1) इस अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपये से अनधिक प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”।

10. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) अधिनियम, 2014**(2014 का 07)**

धारा 1 - उपधारा (2) में “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” का लोप करें ।

धारा 2 - उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार” के पश्चात् “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार” अंतःस्थापित करें ।

11. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926**(1926 का 16)**

धारा 9 को बदलना- धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र “9. रजिस्ट्रार, धारा 8 के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण पर, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों को पूरा करने के अधीन रहते हुए तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जो इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ को इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ” ।

[फा. सं. 11012/16/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS)

ORDER

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3465(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: –

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

- (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or this Order had not been passed or issued.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Union territory of Jammu and Kashmir.

THE SCHEDULE**(See Paragraph 3)****CENTRAL LAWS****1. THE BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ACT, 2019****(21 of 2019)****Section 2.**— —In clause (1), in sub-clause (iii), omit “and” and after sub-clause (iii) as so omitted, insert—*“(iiiia) the Union territory of Jammu and Kashmir, the Government of that Union territory; and”.*

2. THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996**(27 of 1996)**

Insertion of new section- After section 49, insert –

Compounding of offences. “49A.(1) Any offence punishable under sections 47, 48 and 49 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount so specified:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”

3. THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970**(37 of 1970)****Section 1.** - In sub-section (4), in clause (a), for the word “twenty”, substitute the word “forty”.

Insertion of new section- After section 25, insert –

Compounding of offences. “25A.—(1) Any offence punishable under sub-sections (1) and (2) of section 22 and section 24 may, either before or after the institution of the persecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below, namely:-**TABLE**

S. No.	Section	Compounding amount	
1	2	3	
1	22(1), 22(2) and 24	Number of workmen employed in the industry	Amount not exceeding

		1 to 50	Rs.5000/-
		51 to 100	Rs. 8,000/-
		101 to 500	Rs. 12,000/-
		More than 500	Rs. 16,000/-:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified in the said Table :

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the principal employer or contractor, then seventy- five per cent. of the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned employee or equally amongst the employees and if the employees are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in the manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

4. THE FACTORIES ACT, 1948

(63 of 1948)

Section 2.- In clause (m), in sub-clauses (i) and (ii), for “ten” and “twenty”, substitute “twenty” and “forty” respectively.

Section 66. - In sub-section (1), for clause (b), substitute-

“(b) women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work and they may also be employed, with their consent before 6 a.m. and beyond 7 p.m subject to such conditions relating to safety, holidays and working hours or any other condition, to be observed by the employer, as may be prescribed;”.

5. THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

(14 of 1947)

Section 2A.- In sub-section (3), for “three years”, substitute “one year”.

Section 25F.-In clause (b), for “fifteen days”, substitute the words “thirty days”.

Section 25K.-In sub-section (1), for “one hundred”, substitute “three hundred”.

Insertion of new section- After section 31, insert –

Compounding of offences. “31A.(1) Any offence punishable under sections 25Q , 25R, 25U, 26, 27, 28, 29, 30A and sub-sections (1) and (2) of section 31 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Section	Compounding amount				
1	2	3				
1	25Q	25 days wages last drawn by each workman.				
2	25R	60 days wages last drawn by each workman.				
3	25U	(i) By each workman Rs.150/- per day but not exceeding Rs. 3000/- in aggregate;				
		(ii) By employer Rs.300/- per day but not exceeding the amount in aggregate as shown below:				
		Number of workmen employed in the industry		Amount not exceeding		
		1 to 50		Rs. 5000/-		
		51 to 100		Rs. 8000/-		
		101 to 500		Rs. 12000/-		
4	26	(i) In case of illegal strike, Rs.150/- per day by each workman but not exceeding Rs.3000/- in aggregate;				
		(ii) In case of illegal lock-out Rs. 300/- per day by an employer but not exceeding the amount in aggregate as shown below:				
		Number of workmen employed in the industry		Amount not exceeding		
		1 to 50		Rs. 5000/-		
		51 to 100		Rs. 8000/-		
		101 to 500		Rs. 12000/-		
5	27 and 28	As per section 26 above for illegal strike and lockout.				
		Rs. 200/- per day in respect of each of the workman.				
		25 days wages last drawn by each workman.				
		25 days wages last drawn by each workman.				
		25 days wages last drawn by each workman.				
8	31(1)	Number of workmen employed in the industry		For first occasion	For second occasion	For third occasion
		1 to 50		Rs. 5000/-	Rs. 10,000/-	Rs. 15,000/-
		51 to 100		Rs. 8000/-	Rs. 16,000/-	Rs.24,000/-
		101 to 500		Rs. 12000/-	Rs.24,000/-	Rs.36,000-
		More than 500		Rs. 16000/-	Rs.32,000-	Rs.48,000/-

9	31(2)	(i) For each workman, for the first offence Rs.1000/- for the second offence Rs.2000/- and for the third offence Rs.3000/- (ii) For employer:			
		Number of workmen employed in the industry	For first occasion	For second occasion	For third occasion
		1 to 50	Rs. 1500	Rs. 3000	Rs. 6000
		51 to 100	Rs.3000	Rs.6000	Rs.10000
		101 to 500	Rs.4000	Rs.8000	Rs.15000
		More than 500	Rs.5000	Rs.10000	Rs.20000:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified in the said Table :

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compoundable only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned workman or equally amongst the workmen and if any workmen are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released/discharged.”.

6. THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ACT, 1946

(20 of 1946)

Insertion of new section- After section 13B insert-

Compounding of offences. “13C.(1) Any offence punishable under the Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount of not more than rupees fifty thousand, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for the amount of rupees fifty thousand:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

7. THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

(27 of 1961)

After section 34, insert –

Compounding of offences. “34A.(1) Any offence punishable under sub-section (1) of section 29, section 31 and section 32 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than five thousand rupees, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified above:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then seventy-five per cent of the compounding amount received from him, shall be paid wherever it is feasible to the concerned worker or equally amongst the workers and if any workmen are not identifiable then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released/discharged.”.

8. THE PHARMACY ACT, 1948

(8 of 1948)

Insertion of new section- After section 32, insert –

Special provisions regarding persons registered under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, Samvat, 2011 (1955 A.D). “32C. Notwithstanding anything contained in section 32, any person whose name has been entered in the register of pharmacists maintained under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, 2011 (1955 A.D) and possesses qualification prescribed under the said Act shall be deemed to have been entered in the register of pharmacists prepared and maintained under Chapter IV of this Act, subject to an application to be made in this behalf within a period of one year commencing from the 31st October, 2020 and payment of such fee as may be prescribed by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir.”.

9. THE SALES PROMOTION EMPLOYEES ACT, 1976**(11 of 1996)**

Insertion of new section- After section 9, insert –

Compounding of offences. “9A.(1)Any offence punishable under sections 4, 5 and 7 or any rules made under this Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

10. THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) ACT, 2014**(7 of 2014)**

Section 1.- In sub-section (2), omit “except the State of Jammu and Kashmir”.

Section 2.- In sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (ii), after “the Government of the National Capital Territory of Delhi”, insert “the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir”.

11. THE TRADE UNIONS ACT, 1926**(16 of 1926)**

Substitution of section 9- For section 9, substitute –

Certificate of registration. of “9.The Registrar, on registering a Trade Union under section 8, shall issue a certificate of registration within a period not exceeding thirty days subject to the fulfillment of other provisions of this Act in the prescribed form which shall be conclusive evidence that the Trade Union has been duly registered under this Act”.

[F. No. 11012/16/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3466(अ).— जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनानेवाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी निर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं विनिष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका रूपांतरण करते हैं या उसका निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्टूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी विधि का निरसन या संशोधन —

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो।

अनुसूची
(पैरा 3 देखें)
राज्य विधियां

1. जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000
(2000 का XX)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" और "सरकार" के स्थान पर क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार" रखा जाएगा।

धारा 1.— उप-धारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखा जाएगा।

धारा 2.— (i) खंड (1) लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (2) को खंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(2) "बोर्ड" से जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2010 के अधीन गठित जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अभिप्रेत है;"

(iii) खंड (14-क) में से "राज्य का स्थायी निवासी होना" लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (22-क) में से "राज्य का स्थायी निवासी होना" लोप किया जाएगा;

(v) खंड (29-क) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(29-ख) "विशेष न्यायाधिकरण" से जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अधीन गठित विशेष न्यायाधिकरण अभिप्रेत है"; और

(vi) खंड (31) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(31क) "कर योग्य वार्षिक मूल्य" का अर्थ है किसी भी भूमि और भवन या खाली भूमि या दोनों का संपत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजन हेतु धारा 73 के अधीन अवधारित कर योग्य वार्षिक मूल्य।"

धारा 2 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन -

शब्दों के स्थान पर "2 क. इस अधिनियम में जहां भी "वार्षिक मूल्य" या "आनुपातिक मूल्य" शब्द आते हैं उनके स्थान पर, "कर योग्य वार्षिक मूल्य" शब्दों को रखा जाएगा।"

धारा 15 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन -

अहर्ता "15क. कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि: -

(क) वह भारत का नागरिक न हो;

(ख) उसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो; और

(ग) उसका नाम नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो। "

धारा 16. उपधारा (1) में, -

(i) खंड (क) लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ब) में, "राज्य विधानमंडल:" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा; या " रखा जाएगा और उसके परंतुक का लोप किया जाएगा";

(iii) खंड (च) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, सम्वत 1989 (1932 ए.डी.) के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखा जाएगा; और

(iv) खंड (ट) में, "नगरपालिका निधि" के स्थान पर "नगरपालिका निधि या सरकार का कोई विभाग या स्थानीय निकाय या प्राधिकरण" रखा जाएगा।

धारा 21.- "जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, सम्वत 1989 (1932 ए.डी.) के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखा जाएगा।"

धारा 22.- "खुले मतदान के माध्यम से" का लोप किया जाएगा।"

धारा 33 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन -

शब्दों वार्ड समितियों का गठन का प्रतिस्थापन "33क. (1) धारा 27 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इसकी पहली बैठक के स्थान पर नियत तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के स्थान पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा:

परंतु जहां जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के प्रारंभ होने से पहले एक नगरपालिका का गठन किया गया है, उसके प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(i) वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का सदस्य, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) वार्ड से सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक निर्वाचक होंगे, जो नगरपालिका द्वारा ऐसी रीति से नामित किए जाएंगे, जो विहित हो:

परंतु यदि वार्ड की जनसंख्या दो हजार से अधिक नहीं है, तो नामित सदस्यों की संख्या चार होगी, और यदि वार्ड की जनसंख्या दो हजार से अधिक है, तो प्रत्येक हजार जनसंख्या या उसके दो हजार से अधिक भाग के स्थान पर एक अतिरिक्त सदस्य होगा:

परंतु यह और कि वार्ड समिति के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या की गणना चार से अधिक होने पर, एक हजार से कम जनसंख्या के किसी भी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि वार्ड समिति में नामित होने वाले व्यक्तियों में से आधी महिलाएं होंगी; और

(iii) क्षेत्र सभा के प्रतिनिधि।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, सिविल सोसायटी अभिव्यक्ति का अर्थ है, समाज कल्याण के स्थान पर कार्यरत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित, गठित या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का कोई भी गैर-सरकारी संगठन या संगम, और इसमें यथाअवधारित किसी भी समुदाय आधारित संगठन, आवासीय कल्याण संगम, वृत्तिक संस्थान या किसी भी नागरिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थान या किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय या किसी भी व्यापार या औद्योगिक संगठन या अन्य पणधारियों या ऐसे अन्य संगम या निकाय को शामिल किया जा सकता है।

(3) किसी व्यक्ति को वार्ड समिति के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के लिए, और होने के लिए निरर्हित कर दिया जाएगा, यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के और होने के लिए निरर्हित हो।

- (4) वार्ड समिति के पद का कार्यकाल नगरपालिका के पद के कार्यकाल के सह-विस्तारी होगा।
- (5) वार्ड समिति की बैठकों में कार्य संचालन रीति वही होगी जो विहित की जाए।
- (6) वार्ड समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-
- (i) निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और निगरानी -
 - (क) स्वच्छता कार्य और जल निकासी रखरखाव;
 - (ख) जल आपूर्ति का वितरण;
 - (ग) स्ट्रीट लाइट का काम करना;
 - (घ) सड़कों की मामूली मरम्मत;
 - (ङ) बाजारों का रखरखाव;
 - (च) पार्कों और खेल के मैदानों का रखरखाव; और
 - (छ) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;
 - (ii) स्कूलों, मातृत्व केंद्रों, औषधालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज की निगरानी करना, जहाँ वे नगर पालिका के नियंत्रण में हैं;
 - (iii) करों के संग्रह में सहायता;
 - (iv) लाभार्थी उन्मुख स्कीमों, पेंशन और सहायकी के स्थान पर लाभार्थियों की सूची तैयार करना;
 - (v) विहित किए जाने वाले नियमों से संगत रीति में एक वार्षिक वार्ड विकास योजना तैयार करना;
 - (vi) वार्ड अवसंरचना अनुक्रमणिका का नक्शा;
 - (vii) नगरपालिका आस्तियों की सूची तैयार करना;
 - (viii) सभी सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता; और
 - (ix) कोई अन्य कार्य जो विहित किया जाए।
- (7) प्रत्येक वार्ड समिति निम्नलिखित के लिए सशक्त होगी-
- (i) वार्ड से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कार्यकारिणी अधिकारी से जानकारी लेना;
 - (ii) नगर पालिका के मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना;
 - (iii) नगरपालिका के बजट से संबंधित जानकारी प्राप्त करना;
 - (iv) वार्ड के भीतर भू प्रयोग विकास और जोन बनाने के विनियमों में परामर्श दिया जाना; और
 - (v) वार्ड से संबंधित सभी राजस्व मदों का पूरा विवरण प्राप्त करना।
- (8) नगरपालिका, नगरपालिका के वार्षिक बजट में रखी गई राशि का बीस प्रतिशत राशि स्वच्छता, जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़कों, सड़क प्रकाश व्यवस्था, पार्कों, बाजारों आदि से संबंधित सभी वार्ड समितियों को आवंटित करेगी, ताकि वे उप-धारा (6) में विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा कर सकें।

- (9) वार्ड समिति समय-समय पर अपने सदस्यों की ऐसी उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है, जिनमें सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी वह उपयुक्त समझती हो, और उन्हें सौंपे गए कार्य से संबंधित कोई मामला जांच या राय के स्थान पर ऐसी उप-समितियों भेज सकती है।

क्षेत्र सभा का गठन

33ख. (1) नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड को क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक ऐसा क्षेत्र जहाँ तक संभव हो, पाँच सौ से कम और एक हजार से अधिक व्यक्ति न हों।

(2) किसी वार्ड के क्षेत्र के सभी निर्वाचक ऐसे क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्र सभा का गठन करेंगे और प्रत्येक क्षेत्र सभा अपने में से एक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का चुनाव करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के स्थान पर विहित अर्हताएं और निरर्हताएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के स्थान पर लागू होंगी।

(4) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का कार्यकाल सामान्यतया संबंधित नगरपालिका का सह-विस्तारी होगा।

(5) क्षेत्र सभा, अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता तथा वार्ड क्षेत्र में प्राप्त वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में, निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है, अर्थात्: -

(i) प्रस्तावों को तैयार करने और क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों और विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता का निर्धारण करने और वार्ड की विकास योजना में शामिल करने के स्थान पर वार्ड समिति को अग्रेषित करने के लिए।

(ii) सरकार द्वारा अवधारित मानदंडों के आधार पर लाभार्थी उन्मुख स्कीमों के स्थान पर पात्र व्यक्तियों की पहचान करना और प्राथमिकता के क्रम में लाभार्थियों की सूची तैयार करना तथा वार्ड की विकास योजना में शामिल करने के स्थान पर वार्ड समिति को अग्रेषित करने के लिए।

(iii) सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता, जैसे पेंशन और सहायकी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करने के स्थान पर;

(iv) क्षेत्र सभा की अधिकारिता में पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और सफाई व्यवस्था की कमियों की पहचान करना तथा वार्ड समिति को उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए;

(v) वार्ड समिति को स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक नल, सार्वजनिक कुएँ, सार्वजनिक शौचालय या किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा के स्थान के बारे में सुझाव देने के लिए।

(vi) क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों में सहायता करने के स्थान पर; और

(vii) कर की मैपिंग का कार्य करना और उसमें सहायता करने के लिए।

(6) क्षेत्र सभा, निम्नलिखित अधिकार के लिए सशक्त होगी-

(i) वार्ड समिति द्वारा क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली या निष्पादित की जाने वाली सेवाओं और प्रस्तावित कार्यों से संबंधित पदधारी से जानकारी प्राप्त करना।

(ii) वार्ड समिति से क्षेत्र सभा की अधिकारिता के बारे में उनके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

(iii) क्षेत्र से संबंधित निर्णयों पर की गई कार्रवाई का पालन करने से संबंधित वार्ड समिति से जानकारी प्राप्त करना;

(iv) जनहित के मामले जैसे स्वच्छता, पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के बारे में जागरूकता प्रदान करना।

(7) क्षेत्र सभा की बैठकों में कार्य संचालन का रूप वही होगा, जैसा विहित किया जाए।

(8) नगर पालिकाओं के क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों की सीटों के स्थान पर, निर्वाचन हेतु, अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के स्थान पर निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी में विहित होगा। "

धारा 42.- "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 (1932 ए.डी.) के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखा जाएगा;

धारा 43.- खंड (प) के पश्चात् , अंतःस्थापित किया जाएगा -

"(V) अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के स्थान पर वार्ड समिति को आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना।"

धारा 46.- उप-धारा (1) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत्, 1977 के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखा जाएगा।

धारा 60.- उप-धारा (2) में, दूसरे परंतुक में "जम्मू-कश्मीर पूर्त विन्यास अधिनियम, 1989" के स्थान पर "पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6)" रखा जाएगा।

धारा 61.- "जम्मू-कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, सम्वत्, 1990" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखा जाएगा।

धारा 65.- उपधारा (1) में, खंड (क), के स्थान पर रखा जाएगा :-

"(क) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि और भवनों या खाली भूमि या दोनों पर कर (इसमें इसके पश्चात् "संपत्ति कर' कहा गया है)";

धारा 66.- उपधारा (1) में: -

(i) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (vi) के स्थान पर रखा जाएगा: -

"(vi) अवसंरचनात्मक विकास के स्थान पर नगरपालिका के भीतर सड़क का प्रयोग करने वाले उपयुक्त मोटर यानों पर फीस ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, "मोटर यान" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) में है"

(iii) खंड (viii) में, "एक पैसे की दर से" लोप किया जाएगा।

(iv) खंड (xiv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(xiv) ठोस कचरे के संग्रहण, परिवहन और निपटान के स्थान पर फीस ।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के स्थान पर 'ठोस अपशिष्ट', जिसमें गन्दगी, गंदा सामान, कूड़ा करकट मल, व्यावसायिक उत्सर्जन, व्यावसायिक कचरा, अस्पताल से निकलने वाला कचरा और कोई अन्य अपशिष्ट शामिल है, जो जनस्वास्थ्य के स्थान पर हानिकारक है;"; और

(v) खंड (xv) लोप किया जाएगा।

धारा 70 -

(i) "कर" के स्थान पर जहां कहीं भी आता है, "कर या फीस " रखा जाएगा; और

(ii) उप-धारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा: -

“(10) उद्गृहीत कर या फीस ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगा होगा जो अधिसूचित किया जाए।

धारा 71 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन :

करों और फीसों के निर्धारण और संग्रह के संबंध में अंतरिम व्यवस्था करने के लिए सरकार की शक्तियां

"71क (1) सरकार अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक करों और फीसों के निर्धारण और संग्रह के स्थान पर इस अध्याय के किसी भी उपबंध की शर्तों को आवश्यक या समीचीन समझे जाने पर और इस अध्याय के उन उपबंधों के स्थान पर ऐसी अंतरिम व्यवस्था कर सकती है जो जहां तक कि ऐसे कर या फीस के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित हैं उस विस्तार तक उपांतरित की जाएगी और उन्हें इस तरह की अंतरिम व्यवस्था की अवधि के दौरान अधिसूचना में दी गई रीति प्रवृत्त होगी।

(2) ऐसी कोई अंतरिम व्यवस्था केवल तीन वर्ष की अवधि के स्थान पर की जाएगी:

परंतु लिखित में अभिलिखित किए गए अच्छे और पर्याप्त कारणों से, सरकार ऐसी अंतरिम व्यवस्था को अधिकतम पांच साल तक बढ़ा सकती है:

परंतु यह और कि नगरपालिका के अनुरोध पर, सरकार ऐसी अवधि के स्थान पर अंतरिम व्यवस्था का विस्तार कर सकती है जो ऐसी शर्तों पर नगरपालिका और सरकार के बीच परस्पर सहमति हो”।

धारा 72 से 80 के लिए, रखा जाएगा:-

संपत्ति कर का विवरण और श्रेणी

"72. (1) जब तक कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपत्ति कर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भूमि और भवनों या खाली भूमि या दोनों पर उद्गृहीत किया जाएगा।

(2) संपत्ति कर भूमि और भवन या खाली भूमि या दोनों के कर योग्य वार्षिक मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से अधिक न हो उद्गृहीत किया जाएगा, जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

कर योग्य वार्षिक मूल्य का निर्धारण

"73. (1) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए धारा 68 और नियमों के उपबंधों के अधीन, यदि कोई हो, तो इस अधिनियम के अधीन करों के स्थान पर निर्धारण योग्य भूमि और भवन या खाली भूमि के कर योग्य वार्षिक मूल्य की गणना भवन का कुल निर्मित क्षेत्र या भूमि का कुल क्षेत्रफल, जैसा भी हो, के साथ भवन की आयु के आधार पर यथावधारित इस तरह की दरों पर मूल्यहास को घटाकर इसी इकाई क्षेत्र मूल्य के साथ गुणा करके की जाएगी:

परंतु इस तरह की शर्तों के अधीन और ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि यह उपयुक्त हो सकता है, नगरपालिका, इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करने के पश्चात, इस अधिनियम के अधीन देय कर के बदले में, एकमुश्त राशि का भुगतान करेगी, जो कि संपत्ति की कुछ श्रेणियों के स्थान पर वार्षिक कर के रूप में धारा 72 के अधीन देय राशि से अधिक न हो:

परंतु और यह कि इस तरह का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर प्रभावी होगा:

स्पष्टीकरण: उपधारा (1) के उद्देश्य के लिए, “इकाई क्षेत्र मूल्य” अभिव्यक्ति से जम्मू-कश्मीर

संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013 के अधीन अवधारित इकाई क्षेत्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) नगरपालिका की सिफारिश पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किए जाने पर। आवासीय प्रयोजन के स्थान पर उपयोग की जाने वाली स्व-कब्जे वाले भवन और स्व-कब्जे वाले गैर-आवासीय भवन के ऐसे वर्ग के संबंध में देय संपत्ति कर को पच्चीस प्रतिशत कम किया जाएगा।

(3) संपत्ति कर का भुगतान करने के स्थान पर उत्तरदायी व्यक्ति दो समान किस्तों में कर का भुगतान करेगा, पहली 30 मई से पहले और दूसरी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष 30 नवंबर तक:

परंतु मालिक या अधिभोगकर्ता, यदि चाहे, तो कर का भुगतान एक किस्त में कर सकता है:

परंतु यह और कि किसी मालिक या अधिभोगकर्ता, को संपत्ति कर विवरणी भरने और वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख से एक महीने के भीतर पूरे वर्ष के स्थान पर संपत्ति कर का भुगतान करना है, तो उसे देय कर पर दस प्रतिशत छूट की अनुमति दी जा सकती है।:

(4) कोई भी मालिक या अधिभोगकर्ता उप-धारा (5) के अधीन कोई विवरणी भरता है, वह सत्य और पूर्ण होने की घोषणा के आधार पर अग्रिम अर्धवार्षिक कर का भुगतान करेगा या उसके द्वारा घोषित किए गए ऐसी विवरणी के आधार पर वर्ष के स्थान पर देय संपत्ति कर की पूरी राशि का भुगतान करेगा।।

(5) प्रत्येक मालिक या अधिभोगकर्ता, जो इस अधिनियम के अधीन संपत्ति कर का भुगतान करने के स्थान पर उत्तरदायी है, प्रत्येक वर्ष कार्यकारिणी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस संबंध में अवधारित अवधि के भीतर और अवधारित फॉर्म में, विहित तरीके से विवरणी भरेगा।

(6) किसी भी भवन या खाली जमीन या दोनों के मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा विवरणी भरने और इस धारा के अधीन संपत्ति कर का निर्धारण की सुविधा के स्थान पर, बोर्ड समय-समय पर, संपत्ति के कर योग्य वार्षिक मूल्य और उस पर देय कर अवधारित करने के स्थान पर दिशानिर्देश जारी करेगा।

(7) किसी मालिक या अधिभोगकर्ता द्वारा दायर की गई प्रत्येक विवरणी को उन मामलों को छोड़कर कर के स्थान पर निर्धारण किया जाना माना जाएगा, जहां कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी अवधारित तरीके से इस तरह से यादृच्छिक जांच के स्थान पर मामलों पर कार्रवाई कर सकता है।

(8) भरी गई विवरणी की यादृच्छिक जांच के स्थान पर या किसी भी भवन या भूमि या दोनों के संबंध में उप-धारा (5) के अधीन आवश्यक विवरणी न भरने वाले मामलों में, कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी मालिक या अधिभोगकर्ता को नोटिस देने के पश्चात निरीक्षण, सर्वेक्षण या माप के स्थान पर किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है और मालिक या अधिभोगकर्ता अपेक्षित सूचना मुहैया कराने के स्थान पर बाध्य होगा और ऐसे निरीक्षण और एकत्र सूचना के आधार कार्यपालक अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उप-धाराओं (10) और (11) के अधीन संपत्ति कर का निर्धारण करेगा और संबंधित मालिक या अधिभोगकर्ता को निर्धारण के आदेश की एक प्रति भेजेगा:

परंतु सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात किसी भी भवन या खाली भूमि पर इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जाएगा।

(9) यदि संपत्ति का मालिक या अधिभोगकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को निरीक्षण, सर्वेक्षण या माप के स्थान पर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो अधिकारी इस तरह के मालिक या अधिभोगकर्ता को सूचित करने के पश्चात, इनकार को रिकॉर्ड करेगा और अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार परख संपत्ति का निर्धारण करेगा:

परंतु मानव आवास के रूप में प्रयोग किए जाने वाले भवन में रहने वाले लोगों के सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाएगा और महिलाओं के वास्तविक अधिभोग में किसी आवासीय परिसर में, उसे यह सूचित किए जाने पर ही प्रवेश किया जाएगा कि वह आवास खाली करने के स्थान पर स्वतंत्र है और उसे आवास खाली करने में मदद की जाएगी।

(10) यादृच्छिक जांच करने पर, यदि कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास के कारण हैं कि उपलब्ध कराई गई कोई विवरणी, जिसका निर्धारण किया गया है, गलत है या उसका निर्धारण किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति कर की चोरी हुई है, वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर और भौतिक निरीक्षण के पश्चात, कर दाता को इस निमित्त एक प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के पश्चात संपत्ति का फिर से निर्धारण करने की कार्रवाई कर सकता है।

(11) उप-धारा (10) के अधीन पुनःनिर्धारण करने के पश्चात, कार्यपालक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, करदाता को पुनःनिर्धारण का नोटिस जारी करेगा, जिसमें मांग की जाएगी कि पुनःनिर्धारण कर का भुगतान नोटिस तामील करने तीस दिनों के भीतर किया जाए:

परंतु यदि पुनःनिर्धारण कर विवरणी के साथ छोड़े गए कर से पांच प्रतिशत से अधिक है, अपवंचन कर ऐसा व्यक्ति द्वारा शास्ति के साथ देय होगा, जो कर के दो गुना से कम नहीं होगा, इस प्रकार अपवंचन ब्याज के साथ संदत्त कर में अंतर के लिए और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना करते हुए देय होगा।

(12) मालिक या अधिभोगी या तो उप-धारा (11) के अधीन लगाए गए संपत्ति कर और शास्ति को स्वीकार कर सकता है या उप-धारा (11) के अधीन नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को आपत्तियां भेज सकता है।

(13) कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उप-धारा (12) के अधीन प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई है, पर विचार करेगा और ऐसी आपत्तियां दर्ज करने के साठ दिनों की अवधि के भीतर या तो ऐसे पुनःनिर्धारण की पुष्टि या संशोधन का आदेश जारी करेगा और संबंधित करदाता को आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(14) इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण निम्नलिखित स्थिति में, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा-

(i) इस धारा के अधीन कर विवरणी दाखिल करने पर;

(ii) पुनःनिर्धारण को सही ठहराने वाले तथ्य का साक्ष्य, यदि इस निमित्त कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान में आता है।

(15) इस अधिनियम के अधीन, निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जैसा भी मामला हो, के स्थान पर निर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने में अपील्य प्राधिकारी, न्यायाधिकरण या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारण आदेश या अन्य कार्यवाही के खिलाफ किसी भी अपील के निपटान के स्थान पर ली गई अवधि को ध्यान में नहीं रखने पर।

(16) इस धारा के अधीन आकलित या लगाए गए संपत्ति कर संशोधन कर बढ़ाकर, तीन वर्ष में एक बार किया जाएगा, जिसका प्रतिशत यथावधारित कर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जो उस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा जब से इस धारा के अधीन संपत्ति कर निश्चित किया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात आधार वर्ष कहा गया है):

परंतु तीन साल की अवधि के दौरान इस धारा के अधीन संपत्ति कर का अनिर्धारण ऐसे किसी भवन पर लागू नहीं होगा, जिसका परिवर्धन, प्रयोग में परिवर्तन, बदलाव, या

रूपांतरण हो रहा हो और मालिक या अधिभोगी पूर्णता या कब्जे, जो भी पहले हो, की तारीख से छह महीने के भीतर संशोधित विवरणी और कर के साथ इस तरह के परिवर्तनों की सूचना देगा:

परंतु और यह कि इस उप-धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने और देय कर के स्थान पर उत्तरदायी व्यक्ति को आपत्तियां दर्ज करने का उचित अवसर देने के पश्चात संपत्ति कर के पहले संशोधन के आदेश के स्थान पर बोर्ड की शक्तियों को प्रभावित करने हेतु नहीं माना जाएगा।"

कर का भार

74. (1) संपत्ति कर मुख्यतः निम्नलिखित रूप से उद्ग्रहण योग्य और देय होगा:-

- (क) यदि भूमि या भवन को किराए पर दिया जाता है तो पट्टेदार पर;
- (ख) यदि भूमि या भवन आगे उप किराए पर दिया जाता है तो उससे ऊपर वाले पट्टेदार पर;
- (ग) यदि भूमि या भवन को खाली किया जाता है तो उस व्यक्ति पर जिसे किराए पर देने का अधिकार है।

(2) यदि किसी भूमि को किरायेदार को एक वर्ष से अधिक की अवधि के स्थान पर किराए पर दिया गया है और ऐसे किरायेदार ने भूमि पर निर्माण किया है, तो उस भूमि और उस पर निर्मित भवन पर आकलित संपत्ति कर मुख्य रूप से उक्त किरायेदार से लिया जाएगा, चाहे वह जमीन, भवन या दोनों ऐसे किरायेदार या ऐसे किरायेदार के उप-किरायेदार के पास हों।

स्पष्टीकरण "किराएदार" शब्द में चाहे किराएदार से विधि के प्रचालन या उपहार के तौर पर अंतरण हो, भूमि या ऐसी भूमि पर निर्मित भवन के स्थान पर अधिकार प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति शामिल है।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी भी भवन का कर का निर्धारण इस तथ्य का अंतर्हित या सबूत यह नहीं होगा कि भवन प्राधिकृत है। "

सूचना प्रदान करने वाले का कर्तव्य

"75. (1) प्रत्येक व्यक्ति, इस संबंध में नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी की मांग पर, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो निम्नलिखित सुनिश्चित करने के स्थान पर आवश्यक हो -

- (क) मालिक या अधिभोगी के आवास या ऐसी भूमि या भवन दोनों का नाम और स्थान;
- (ख) ऐसी भूमि या भवन या रिक्त भूमि या दोनों या उसके किसी भाग का मापन या आयाम और क्या संपत्ति को किराए पर दिया गया है या अन्यथा या इसका उपयोग; और
- (ग) कर योग्य वार्षिक मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवश्यक कोई भी विवरण।

(2) प्रत्येक मालिक या अधिभोगी जिससे ऐसी कोई माँग की जाती है, इसके अनुपालन के स्थान पर बाध्य होगा और अपनी जानकारी या विश्वास के आधार पर सही सूचना देगा।

(3) जो कोई इस तरह किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है या अपनी जानकारी या विश्वास के आधार पर सही सूचना देने में विफल रहता है, तो उसे करारोपण के अतिरिक्त, शास्ति भी देना होगा जो कि देय कर से कम नहीं होगा। "

निर्धारण सूची का स्पष्ट मूल्य और इकाई क्षेत्र मूल्य

76.- जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अधीन निर्मित निर्धारण सूची में प्रविष्टियां, और धारा 18 के अधीन अवधारित इकाई क्षेत्र मूल्य, इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी भी कर और भूमि और भवन या खाली भूमि या दोनों

का कर योग्य वार्षिक मूल्य के निर्धारण के उद्देश्यों के स्थान पर निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएंगी जिसमें ऐसी प्रविष्टियाँ या निर्धारण क्रमशः संबंधित हैं। ”

प्ररूप में त्रुटि के कारण कर अमान्य नहीं होगा

“77. इस अधिनियम के अधीन किसी भी कर का कोई निर्धारण और कोई फीस या मांग के संबंध में कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति के नाम, निवास, व्यवसाय के स्थान में किसी भी गलती या निर्धारण या कर की राशि में कोई त्रुटि, कोई लिपिकीय गलती या फॉर्म में अन्य त्रुटि के आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा या कारण से प्रभावित नहीं होगा; यदि वह संपत्ति जिस पर रोपित या आकलित कर को सामान्यतः जानने के स्थान पर वर्णित किया जाता है तो ऐसी संपत्ति के संबंध में यही पर्याप्त होगा; और उसके मालिक या अधिभोगी के नाम की आवश्यकता नहीं होगी।”

हक अंतरण की सूचना

“78. (1) जहां कहीं किसी व्यक्ति का किसी भवन या भूमि पर या उसके ऊपर हक है जो ऐसी संपत्ति पर संपत्ति कर के भुगतान करने लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है अन्तरित की गई है तो अंतरिती और अंतरणकर्ता, अंतरण के विलेख के रजिस्ट्रीकरण की यदि उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है या इसके निष्पादन का यदि रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है या वास्तविक अंतरण की यदि कोई लिखित निष्पादित नहीं किया गया है, अंतरण के तीन महीने के भीतर नगरपालिका के उक्त अंतरण की लिखित सूचना देंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति पर कर के भुगतान के स्थान पर मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ऐसी संपत्ति पर या ऊपर उसके हक अंतरण हो जाता है और वह पूर्वोक्त अनुसार नगरपालिका को ऐसे अंतरण की सूचना देने में विफल रहता है तो वह ऐसी उपेक्षा के माध्यम से उपगत जोकि किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त है वह उक्त की सूचना देने तक या अंतरण नगरपालिका के खातों में दर्ज होने तक उक्त संपत्ति के संबंध में समय-समय पर देय उक्त सभी करों को सदाय करने के लिए दायी रहेगा।

(3) जब भी कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में किसी भवन या भूमि की हकदारी प्राप्त करता है, तो उत्तराधिकारी पूर्व मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर ऐसे उत्तराधिकार की लिखित सूचना नगरपालिका को देगा।

(4) इस धारा की कोई भी बात उक्त करों के लिए अंतरिती या उत्तराधिकारी के दायित्व को कम नहीं करेगी या न ही इसके कारण उस पर बकाया करों की वसूली के स्थान पर नगरपालिका के पूर्व दावे को प्रभावित करेगी।

(5) जो कोई उपधारा (1) या (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह, ऐसी उपेक्षा के माध्यम से से उपगत जो कि किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त हो, जुर्माना से, जो एक हजार रुपये से कम न हो और पांच हजार रुपये से अधिक न हो, दंडनीय होगा और उल्लंघन निरंतर रहने की दशा में निरंतर उल्लंघन तक दोषिसद्धि के पश्चात प्रतिदिन के लिए सौ रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।

भवन निर्माण आदि की सूचना

79. जब कोई भी नया भवन बनाया जाता है, या किसी मौजूदा भवन का पुनर्निर्माण या परिवर्तन या सुधार किया जाता है, या जब कोई भवन खाली हो गया है, उस पर फिर से कब्जा कर लिया जाता है, तो मुख्य रूप से इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति पूर्ण होने या कब्जे की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, जो भी पहले होता है या जैसा भी मामला हो, कार्यपालक अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देगा, कर उसके परिवर्तन, सुधार या पुनः कब्जे की तारीख से उक्त तारीख से भवन पर निर्धारण करने योग्य होगा।]

भवन को गिराने या हटाने की सूचना

80. (1) जब किसी भवन या उसके किसी भाग को, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर देय है, कार्यपालक अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन अन्यथा गिराया या हटाया जाता है तो कर संदाय करने के स्थान पर मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति कार्यपालक अधिकारी को लिखित में उसकी सूचना देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना दिए जाने तक, कर का संदान करने के स्थान पर मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे कर के भुगतान के लिए दायी रहेगा जैसे वह उक्त भवन के संबंध में संदान के लिए दायी होता है यदि उसको या उसका कोई भाग गिराया या हटाया न गया होता। ”

धारा 81.- लोप किया जाता है।

धारा 82 और धारा 83 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी:-

करों के भुगतान में छूट देने के संबंध में सरकार की शक्ति

“82. (1) सरकार आदेश के द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति, या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संपत्ति या संपत्ति के विवरण के संबंध में, देय किसी कर के भुगतान से पूर्ण या अंश रूप में छूट दे सकती है।

(2) यदि किसी भी समय, की गई शिकायत या अन्यथा के बारे में सरकार को यह प्रतीत होता है कि लगाया गया कोई कर अनुचित है या कि उस पर या किसी भाग उसके किसी भाग पर करारोपण सामान्यजन के स्थान पर हानिकारक है तो वह नगरपालिका से विनिर्दिष्ट अवधि में आपत्तियों को दूर करने के उपाय करने के स्थान पर कह सकती है; और उस अवधि के भीतर अपेक्षा अनुसार सरकार की तुष्टि नहीं की जाती है तो वह अधिसूचना के द्वारा आपत्तियों को दूर किए जाने तक करारोपण और उसके ऐसे किसी भाग को स्थगित कर सकती है।”

संघ की संपत्तियों का कराधान

“83. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत संघ की भूमि और भवन या रिक्त भूमि या दोनों संपत्ति कर से छूटप्राप्त होंगी:

परंतु इस धारा की कोई भी बात नगरपालिका को केंद्रीय सरकार की ऐसी किसी भी संपत्ति पर ऐसी भूमि और भवन के कर योग्य वार्षिक मूल्य के पांच प्रतिशत तक की दर से सेवा फीस लगाने से नहीं रोकेगा, जो इस धारा के अधीन संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।”

धारा 84.- लोप कर दी जाएगी।

धारा 85.- लोप कर दी जाएगी।

धारा 87.- उपधारा (1) में , “किसी चल संपत्ति” के स्थान पर किसी चल संपत्ति जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या इकाई जिसके अंतर्गत बैंक भी है, सरकार के विभाग या कोई अन्य इकाई चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, से ऐसे व्यक्ति-क्रमी के कारण देय या देय की संभावना वाली कोई धनराशि भी शामिल है

धारा 88.- लोप कर दी जाएगी।

धारा 89 से 92 के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी:-

पहले प्रभार के रूप में भूमि और भवनों पर कर

“89.- किसी भी भूमि और भवन या रिक्त भूमि या दोनों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर, सरकार को देय, भू राजस्व, यदि कोई है, के पूर्व भुगतान के अधीन उस पर प्रथम प्रभार के रूप में होगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा में “करों” शब्द को इस अधिनियम के अधीन देय वसूली की लागत और शास्ति, यदि कोई हो, समझा जाएगा। ”

अपील

“90. (1) निम्नवत के विरुद्ध -

- (i) कर या फीस का उद्ग्रहण; या
- (ii) किसी कर या फीस का प्रतिदाय से इंकार; या
- (iii) किसी भी संपत्ति के कर योग्य वार्षिक मूल्य की गणना; या
- (iv) किसी भी देय कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण; या
- (v) कोई अधिरोपित शास्ति,

इस अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड में निहित होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई होने पर, कर की देयता या कर के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में कोई प्रश्न उठता है, जिस पर बोर्ड उचित संदेह करता है, बोर्ड या तो अपने आप या संबंधित किसी व्यक्ति के आवेदन पर विचारार्थ संदेह के बारे में मामले के तथ्यों और बिंदुओं का विवरण तैयार करेगा और बिंदु पर अपने मत सहित विवरण को उच्च न्यायालय के निर्णय के स्थान पर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि इस मामले में प्रदत्त विवरण उसके अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों को अवधारित करने के स्थान पर पर्याप्त हैं तो न्यायालय मामले को वापस बोर्ड के पास भेज सकता है, ताकि इस बारे में न्यायालय के निदेशानुसार उसका परिवर्धन या उसमें परिवर्तन किया जा सके।

(4) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई पर, उसके द्वार उठाए गए प्रश्नों का निर्णय करेगा, और उस निर्णय के आधार पर अपना निर्णय देगा, जिस आधार पर निर्णय लिया गया है।

(5) न्यायालय बोर्ड की मुहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के अधीन ऐसे फैसले की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा; और बोर्ड ऐसी प्रति प्राप्त करने पर, ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले का निपटान करेगा।

(6) प्रत्येक अपील में, लागत बोर्ड के विवेकाधिकार के अधीन होगी।

(7) इस धारा के अधीन नगरपालिका के पक्ष में प्रदान की जाने वाली लागत नगरपालिका द्वारा वसूली योग्य होगी जैसे कि वे अपीलार्थी पर देय, कर का बकाया हो।

(8) अगर नगरपालिका किसी अपीलार्थी को उसके भुगतान के आदेश की तारीख के दस दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो बोर्ड नगरपालिका निधि के शेष की अभिरक्षा वाले व्यक्ति को राशि का भुगतान करने के स्थान पर आदेश दे सकता है।

अपील की परिसीमा

“91. (1) धारा 90 के अधीन कोई अपील नहीं की जाएगी, जब तक अपील में किए गए विरुद्ध आदेश के पश्चात् एक महीने के भीतर न की जाए या किसी कर के संबंध में कर की मांग के समय से एक महीने के भीतर न की जाए:

परंतु अपीलार्थी बोर्ड का यह समाधान करे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तभी कोई अपील इस धारा के अधीन अवधारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात स्वीकार्य हो सकती है।

(2) जब तक अपीलार्थी ने उस अपील की तारीख तक नगरपालिका को देय अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया है, तब तक किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।”

पुनरीक्षण

92. धारा 90 के अधीन अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने के तीस दिनों के भीतर उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के स्थान पर विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन कर सकता है और न्यायाधिकरण उक्त आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या विखंड कर सकता है:

“परंतु न्यायाधिकरण इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को सुनवाई के स्थान पर उपयुक्त अवसर दिए बिना पूर्वाग्रह के अधीन कोई आदेश पारित नहीं करेगा।”

धारा 93.-

लोप कर दी जाएगी।

धारा 162.—

“राज्य रणबीर दंड संहिता, सम्बत 1989” के स्थान पर, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)” रखी जाएगी।”

धारा 215.— “जम्मू-कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 की धारा 15” के स्थान पर “वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972(1972 का 53) रखा जाएगा।”

धारा 243.— उपधारा (2) में, “जम्मू भूमि अर्जन अधिनियम, सम्वत, 1990” के स्थान पर “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)” प्रतिस्थापित होगा।

धारा 248 के पश्चात , अंतःस्थापित किया जाएगा -

**अनधिकृत अधिभोगी
की बेदखली**

“248A. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्यपालक अधिकारी की राय है कि यदि किसी भी व्यक्ति का किसी भी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए, कार्यपालक अधिकारी, इसमें इसके पश्चात उपबंधित तरीके से लिखित में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश क्यों नहीं किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन, नोटिस के अनुसरण में उत्तर, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात और उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात , यदि कार्यपालक अधिकारी को यह संतुष्टि हो जाती है कि संपत्ति अनधिकृत कब्जे में है तो कार्यपालक अधिकारी बेदखली का आदेश देगा, उसमें कारणों को दर्ज किया जाएगा, और यह निदेश दिया जाएगा कि संपत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा करने वाले सभी व्यक्ति संपत्ति को खाली किया जाएगा और आदेश की एक प्रति को सार्वजनिक किया जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (2) के अधीन आदेश तामील होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर बेदखली से इंकार करता है या वह आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो कार्यपालक अधिकारी उस व्यक्ति को बेदखल कर देगा और उक्त संपत्ति को कब्जे में ले लेगा और इस प्रयोजन के स्थान पर, उस व्यक्ति को बेदखल के लिए आवश्यक होने पर, वह क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी से सहायता प्रदान करने के स्थान पर कह सकता है।

(4) जहां किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (3) के अधीन किसी भी संपत्ति से बेदखल किया गया है, कार्यपालक अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस दे सकता है, जिसके पास से संपत्ति का कब्जा लिया गया है और स्थानीय इलाके में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे नोटिस प्रकाशित करने के पश्चात ऐसी संपत्ति में रखे सामान को लोप करने या हटवाने के स्थान पर और ऐसे सामान को उचित अभिरक्षा में रखने का आदेश जारी कर सकता है:

परंतु यदि सामान का मालिक नोटिस के पश्चात सामान लेने से इंकार करता है या लेने में विफल रहता है या सामान शीघ्र और प्राकृतिक रूप से खराब होने वाला है तो कार्यपालक अधिकारी इसकी सार्वजनिक नीलामी कर सकता है और उसके विक्रय से प्राप्त राशि को, ऐसी सार्वजनिक नीलामी पर हुए व्यय को निकालकर, ऐसे मालिक को सौंप देगा।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन किसी भी संपत्ति के संबंध में किए गए कार्यपालक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश से अपील कर सकता है जिसमें संपत्ति स्थित है।

(6) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के अधीन उपबंधों को छोड़कर, इस धारा के अधीन जो किया गया है, पर किसी भी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के स्थान पर, 'अनधिकृत कब्जे' से किसी भी संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति या जिसमें नगरपालिका का हित शामिल है, पर बिना अधिकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा, और किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें इस तरह की संपत्ति, चाहे वह पट्टे के माध्यम से हो, बंधक हो या अन्यथा, का अधिकार समाप्त हो गया हो, निरंतर कब्जा शामिल है, अभिप्रेत है।"

- धारा 256.-** उप-धारा (1) में, "निदेशक के नियंत्रण में एक अलग और स्वतंत्र लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षित" के स्थान पर "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित" रखा जाएगा।
- धारा 260.—** उप-धारा (1) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत 1977 " के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखी जाएगी।
- धारा 261.—** "जिला और विकास बोर्ड" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 45 के अधीन गठित जिला विकास परिषद" को रखा जाएगा।
- धारा 262.—** जहां कहीं भी "जिला और विकास बोर्ड" आता है, के स्थान पर "जिला विकास परिषद्" रखा जाएगा।
- धारा 263.—** उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, सम्वत 1989 (1932 ए.डी.) के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखा जाएगा।
- धारा 273.—** उप-धारा (1) में, खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, सम्वत 1989 (1932 ए.डी.) के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखा जाएगा।
- धारा 286.—** उप-धारा (1) में, खंड (ग) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत 1977 " के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखा जाएगा।
- धारा 289.—** (i) उप-धारा (1) में, खंड (ग) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत 1977 " के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखा जाएगा।
(ii) उप-धारा (2) में, "साक्ष्य अधिनियम, सम्वत 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखा जाएगा।
- धारा 291.—**(i) "सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत 1977 " के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखा जाएगा; और
(ii) खंड (छ) में , "दंड प्रक्रिया संहिता, सम्वत, 1989 की धारा 345 और 346" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखा जाएगा।
- धारा 292.—** "जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 93 के स्थान पर "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)" रखा जाएगा।
- धारा 294.—** उप-धारा (2) में, "राज्य रणबीर दंड संहिता, सम्वत 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखा जाएगा।

धारा 307 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा -

नगर पालिका में पद और उन पर नियुक्ति 307. (1) सरकार, नगर पालिकाओं और अन्य नगरीय निकायों के कार्यों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के स्थान पर, और सामूहिक हित की सेवा देने के स्थान पर, आवश्यक समझे जाने पर एक या उससे अधिक शहरी सेवाएं या सेवाएं आरंभ कर सकती है। इस तरह की प्रत्येक सेवा में अवधारित संख्या, वर्ग और पदों की श्रेणियां शामिल हो सकती हैं।

(2) इन प्रत्येक सेवा में योग्यता, भर्ती का तरीका, आरक्षण, प्रतिनियुक्ति, एक शहरी निकाय से दूसरे में स्थानांतरण, वरिष्ठता, वेतन, अवकाश, भत्ते, पेंशन ग्रेच्युटी और सेवा की अन्य शर्तें, जिनमें से

प्रत्येक में अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामले शामिल हैं, निर्धारण अनुसार होंगी।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के संबंध में गठित किसी शहरी सेवा के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को, सरकार के अधीन किसी भी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त नहीं समझा जाएगा। ”

धारा 307 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन-

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने की सरकार की शक्ति

“307 क (1) सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, नगरपालिका के कार्यों के कुशल निर्वहन के स्थान पर आवश्यक समझने पर, इस तरह के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।

(2) वेतन, भत्ते, ग्रेज्युटी, पेंशन योगदान और आवश्यक अन्य भुगतान इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका के कार्यों के निर्वहन के स्थान पर रखे गए अधिकारियों और कार्मिकों की सेवाओं की शर्तों के अनुसार- विहित रीति में नगरपालिका निधिपर भारित होंगे।”

2. जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000

(2000 का XXI)

संपूर्ण अधिनियम में, (i) “राज्य” के स्थान पर क्रमशः “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखा जाएगा और (ii) “आनुपातिक मूल्य” के स्थान पर “कराधेय वार्षिक मूल्य” रखा जाएगा।

धारा 1.— उप-धारा (2) में, “संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य” के स्थान पर “संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखा जाएगा।

धारा 2.— (i) खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाएगा-

“(1क) “बोर्ड ” से जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013 के अधीन गठित जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड से अभिप्रेत हैं;” ;

(ii) खंड (6) में , “राज्य ” लोप कर दिया जाएगा;

(iii) खंड (14) के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

“(14) “जिला योजना समिति” से जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 47-क के अंतर्गत गठित कोई “जिला योजना समिति” अभिप्रेत है”;;

(iv) खंड (17-क) में,

(क) “राज्य के स्थायी निवासी होने” को लोप किया जाएगा; और

(ख) 25 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर के दायरे में " 4 मीटर x 7.5 मीटर लम्बाई-चौड़ाई और फर्श क्षेत्र" के स्थान पर “जैसी विहित की जाए ऐसी लम्बाई-चौड़ाई” रखा जाएगा;

(v) खंड (27-क) में,

(क) “राज्य के स्थायी निवासी होने” को लोप किया जाएगा; और

(ख) “फ्लेट युक्त आवास के मामले में 50 वर्ग मीटर से अनधिक 4.5 मीटर x 10 मीटर लम्बाई-चौड़ाई और फर्श क्षेत्रफल” के स्थान पर “जैसी विहित की जाए ऐसी लम्बाई-चौड़ाई” रखा जाएगा;

(vi) खंड (49) लोप किया जाएगा; और,

(vii) खंड (60) के पश्चात निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाएगा-

“(60क) "कराधेय वार्षिक मूल्य" से किसी भी भूमि और भवन या खाली भूमि या दोनों का संपत्ति कर के निर्धारण के उद्देश्य से धारा 73 के अधीन अवधारित कराधेय वार्षिक मूल्य" अभिप्रेत है।

धारा 7. (i) खंड (क) को लोप किया जाएगा; और,

(ii) खंड (ख), “अठारह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द अभिप्रेत है को रखा जाएगा;

धारा 8.— (क) उप-धारा (1) में, “राज्य का विधानमंडल” जहां कहीं ये आए, के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा;” को रखा जाएगा और उसके परंतुक का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खंड (च) में, उपखंड (ii) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, सम्वत 1989 या इसके अधीन अन्य दंडनीय अपराध की धारा 171-ड. या 170-च” को लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ण) में, “राज्य के” लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (त), “दंड प्रक्रिया संहिता, सम्वत, 1989” के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” रखा जाएगा।

(v) खंड (थ) में, “निगम” के स्थान पर “निगम या सरकार को कोई विभाग या स्थानीय निकाय या प्राधिकरण रखा जाएगा;

(ख) उप-धारा (8) में दोनों स्थानों पर उल्लिखित, “या विधान परिषद” का लोप किया जाएगा।

धारा 11.— उपधारा (2) में, स्पष्टीकरण-1 में “जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 16” के स्थान पर “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)” रखा जाएगा।

धारा 14.— उप-धारा (4) में, खंड (ग) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत, 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखा जाएगा।

धारा 17.— “सिविल प्रक्रिया संहिता, सम्वत, 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखा जाएगा।

धारा 21.— (i) खंड (i) में, “जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 132” के स्थान पर “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)” रखा जाएगा; और

(ii) खंड (ii) में, “जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की 132 की उप-धारा (2)” के स्थान पर “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951” रखा जाएगा।

धारा 31.— उप-धारा(1) में, खंड (ज) में-

(क) उप-खंड (vi) के पश्चात, अंतःस्थापित किया जाएगा-

“(vi-क) मतदान मशीनों के माध्यम से मत देने और रिकॉर्ड करने का तरीका और मतदान केंद्रों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाता है”;

(ii) उप-खंड (viii) के पश्चात, अंतःस्थापित किया जाएगा-

“(viii-क) मतदान मशीनों के माध्यम से रिकॉर्ड मतों की गणना से संबंधित प्रक्रिया”;

(iii). उप-खंड (ix) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा-

“(ix) मतदान मशीन को अभिरक्षा में रखना और चुनावों संबंधित कागजातों का निपटान”;

(iv) उप-खंड (xi) के स्थान पर, रखा जाएगा -

“(xi) मतगणना से पहले, मतदान पेटियों या मतदान मशीनों के नष्ट होने या उनके साथ छेड़छाड़, या वोटिंग मशीनों की यांत्रिक विफलता के कारण ताजा मतदान का आयोजन”.

धारा 33.— “और विधि द्वारा स्थापित जम्मू-कश्मीर का संविधान” का लोप किया जाएगा।

धारा 36.— (i) उप-धारा(1) में , “और उसके पश्चात दो वर्ष और छह महीने की समाप्ति पर,” और “खुल मतदान के माध्यम से”; लोप किया जाएगा;

(ii) उप-धारा (2) में :

(क) “दो वर्ष और छह महीने” के स्थान पर “पांच वर्ष” रखा जाएगा ; और,

(ख) “.” प्रथम परंतुक के अंत में “.” के स्थान पर और दूसरा परंतुक लोप किया जाएगा।

धारा 39 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन-

वार्ड समितियों का गठन 39क. - (1) धारा 36 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इसकी पहली बैठक के स्थान पर नियत तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के स्थान पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा:

परंतु वे जहां जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के प्रारंभ होने से पहले निगम का गठन किया गया हो, वार्ड समिति ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर गठित की जाएगी।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(i) वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर निगम का सदस्य, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) वार्ड में स्थिति क्षेत्र के क्षेत्र सभा का प्रतिनिधित्व करने वाला यदि कोई हो, और:

(iii) वार्ड से निर्वाचित सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचक जो दस से अधिक न हो नगर निगम द्वारा ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए नामित किए जाएंगे।

परंतु यदि वार्ड की जनसंख्या दस हजार से अधिक न हो, तो नामित सदस्यों की संख्या चार हो जाएगी, और यदि वार्ड की जनसंख्या दस हजार से अधिक हो जाती है, तो प्रत्येक चार हजार जनसंख्या या उसके अतिरिक्त भाग के स्थान पर एक अतिरिक्त सदस्य होगा:

परंतु यह और कि वार्ड समिति के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या चार से अधिक होने पर, चार हजार से कम आबादी के किसी भी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि वार्ड समिति में नामित होने वाले व्यक्तियों में से आधी महिलाएं होंगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा और धारा 39ख के प्रयोजन के लिए, सिविल सोसायटी अभिव्यक्ति से, समाज कल्याण के स्थान पर कार्यरत तत्समय किसी कानून के अधीन स्थापित, गठित या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का कोई भी गैर-सरकारी संगठन या के संघ, और इसमें यथाअवधारित किसी भी समुदाय आधारित संगठन, आवासीय कल्याण संघ, पेशेवर संस्थान या किसी भी नागरिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थान या किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय या किसी भी व्यापार या औद्योगिक संगठन या अन्य हितधारकों या ऐसे अन्य संघ या निकाय जैसा विहित किया जाए शामिल है, अभिप्रेत है।

(3) एक व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगर निगम के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के स्थान पर, इस संबंध में अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह इस संबंध में वार्ड समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के अयोग्य घोषित किया जाता है।

(4) वार्ड समिति के पद का कार्यकाल नगर निगम के कार्यकाल के सह-विस्तारी होगा।

(5) वार्ड समिति की बैठकों में कार्य संचालन की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।

(6) वार्ड समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:

(i) निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और निगरानी -

- (क) स्वच्छता कार्य और जल निकासी रखरखाव;
- (ख) जल आपूर्ति का वितरण;
- (ग) स्ट्रीट लाइट का काम करना;
- (घ) सड़कों की मामूली मरम्मत;
- (ङ) बाजारों का रखरखाव;
- (च) पार्कों और खेल के मैदानों का रखरखाव; और
- (छ) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;
- (ii) स्कूलों, मातृत्व केंद्रों, औषधालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज की निगरानी करना जहाँ वे नगर निगम के नियंत्रण में हैं;
- (iii) करों के संग्रह में सहायता;
- (iv) लाभार्थी उन्मुख योजनाओं, पेंशन और सब्सिडी के स्थान पर लाभार्थियों की सूची तैयार करना;
- (v) अवधारित नियमों के अनुरूप एक वार्षिक वार्ड विकास योजना तैयार करना;
- (vi) वार्ड आधारभूत ढांचा सूची का नक्शा;
- (vii) नगर निगम परिसंपत्तियों की सूची तैयार करना;
- (viii) सभी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता; और
- (ix) कोई अन्य कार्य जो विहित किया जाए।
- (7) प्रत्येक वार्ड समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे -
- (i) वार्ड से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कार्यकारिणी अधिकारी से जानकारी लेना;
- (ii) नगर निगम के मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना;
- (iii) नगर निगम के बजट से संबंधित जानकारी प्राप्त करना;
- (iv) वार्ड के भीतर भू प्रयोग विकास और जोन बनाने के विनियमों में परामर्श दिया जाना; और
- (v) वार्ड से संबंधित सभी राजस्व मदों का पूरा विवरण प्राप्त करना।
- (8) नगर निगम, वार्षिक बजट में रखी गई राशि का बीस प्रतिशत राशि स्वच्छता, जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़कों, सड़क प्रकाश व्यवस्था, पार्कों, बाजारों आदि से संबंधित सभी वार्ड समितियों को आवंटित करेगी ताकि वे उप-धारा (6) में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा कर सकें।
- (9) वार्ड समिति समय-समय पर अपने सदस्यों की ऐसी उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है, जिनमें सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी वह उपयुक्त समझती हो, और उन्हें सौंपे गए कार्य से संबंधित कोई मामला जांच या राय के स्थान पर ऐसी उप-समितियों भेज सकती है।
- क्षेत्र सभा का गठन 39ख. (1)** नगर निगम के प्रत्येक वार्ड को क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक ऐसा क्षेत्र जहाँ तक संभव हो, कम से कम पाँच सौ से कम और एक हजार से अधिक लोग न हों।
- (2) किसी वार्ड के क्षेत्र के सभी मतदाता ऐसे क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्र सभा का गठन किया जाएगा और हर क्षेत्र सभा अपने में से एक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का चुनाव करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगर निगम के सदस्य के रूप में चुने जाने के स्थान पर अवधारित अर्हता और निरर्हता, आवश्यक परिवर्तन सहित क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के स्थान पर लागू होंगी।

(4) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का कार्यकाल सामान्यतया संबंधित नगर निगम के सह-विस्तारी होगा।

(5) क्षेत्र सभा, अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता और वार्ड क्षेत्र में प्राप्त वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में, निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है, अर्थात्: -

(i) प्रस्तावों को तैयार करने और क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता का निर्धारण करने और वार्ड की विकास योजना में शामिल करने के स्थान पर वार्ड समिति को अग्रेषित करना।

(ii) सरकार द्वारा अवधारित मानदंडों के आधार पर लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के स्थान पर पात्र व्यक्तियों की पहचान करना और प्राथमिकता के क्रम में लाभार्थियों की सूची तैयार करना और वार्ड की विकास योजना में शामिल करने के स्थान पर वार्ड समिति को अग्रेषित करना।

(iii) पेंशन और सब्सिडी जैसे सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करने के स्थान पर;

(iv) क्षेत्र सभा के अधिकार क्षेत्र में पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और सफाई व्यवस्था की कमियों की पहचान करना और वार्ड समिति को उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना;

(v) स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक नल, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक शौचालय या किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा के स्थान का सुझाव वार्ड समिति को देना।

(vi) क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यों में सहायता करना; और

(vii) कर मानचित्रण करना और उसमें सहायता करना।

(6) क्षेत्र सभा को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे -

(i) वार्ड समिति द्वारा क्षेत्र में प्रदान करने या निष्पादित करने के स्थान पर प्रस्तावित सेवाओं और कार्यों से संबंधित आधिकारी से कोई सूचना प्राप्त करना।

(ii) क्षेत्र समिति के अधिकार क्षेत्र के संबंध में उनके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के बारे में वार्ड समिति से जानकारी प्राप्त करना;

(iii) वार्ड समिति से क्षेत्र से संबंधित निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करना; और

(iv) सार्वजनिक हित जैसे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के मामलों पर जागरूकता लाना।

(7) क्षेत्र सभा की बैठकों का कार्य संचालन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

(8) नगर निगम के क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों की सीटों के स्थान पर निर्वाचक नामावली की तैयारी, और उसके स्थान पर चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को होगा।"

धारा 40.—

(I) उपधारा (1) में,-

- (i) खंड (क) में, “सामान्य कार्य समिति” के स्थान पर “कार्यकारिणी समिति” रखा;
- (ii) खंड (ग) में, “और” का लोप किया जाएगा; और
- (iii) खंड (घ) में, (I) चिह्न को (;) चिह्न द्वारा रखा जाएगा और उसके पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

- “(ड) सभी समितियों के लिए आवास;
- (च) कौशल उन्नयन और स्वरोजगार समिति; और
- (छ) स्वच्छ भारत समिति।”

(II) उपधारा (2) में, परंतुक के अंत में पूर्ण विराम को कोलोन द्वारा रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“परंतु यह और कि कार्यकारिणी समिति में महापौर, जो समिति का अध्यक्ष होगा, सबसे बड़े प्रतिपक्ष समूह अथवा दल का एक प्रतिनिधि सदस्य, निगम के चयनित सदस्यों द्वारा चुने गए चार सदस्य और आयुक्त, जो इसका पदेन सचिव होगा, शामिल होंगे।”;

(III) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“(3) कार्यकारिणी समिति स्थापना मामलों, संचार, सड़क और भवन निर्माण, आवासन, प्राकृतिक आपदाओं के स्थान पर राहत और सभी बाकी मामलों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा और उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी-

- i. महापरिषद द्वारा चर्चा और निर्णय के स्थान पर सभी नीति मामलों पर सिफारिशें करना;
- ii. बजट का अनुमोदन;
- iii. सभी विकास योजनाओं, वार्षिक कार्य योजनाओं और कार्य योजनाओं का अनुमोदन करना;
- iv. एक करोड़ रुपये या ऐसी उच्चतर राशि से अधिक नियत की जाए जो की संविदाओं का अनुमोदन करना; और
- v. निगम में स्टाफिंग पैटर्न और सभी अन्य सेवा मामलों के बारे में महापरिषद को सिफारिशें करना।”

(IV) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा -

- “(6क) सभी के लिए आवास समितियों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रगति की निगरानी और पुनःविलोकन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी।
- (6आ) कौशल उन्नयन और स्वरोजगार समिति राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रगति की निगरानी और पुनःविलोकन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी।
- (6इ) स्वच्छ भारत समिति स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रगति की निगरानी और पुनःविलोकन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी।”

(V) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

“(7) महापौर कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष और वित्त एवं योजना समिति का अध्यक्ष भी होगा और उपमहापौर पदेन सदस्य होगा और सबके स्थान पर आवास समिति और कौशल उन्नयन और स्वरोजगार समिति का अध्यक्ष भी होगा।”

धारा 42.- उपधारा (1) में.-

- (i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:
 “(कक) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना के योजनाओं की तैयारी;
 (कख) नगर विकास योजनाओं की तैयारी;”;
- (ii) खंड (ख) में, उपखंड (xv) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:
 “(xvi) अग्निशमन सेवाएं;”.

धारा 43.- खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा -

“(फ) वार्ड समिति द्वारा अपने कार्यों के कुशल निष्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन के स्थान पर आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराना।”

धारा 50.-- “निगम और इसके महापौर” शब्दों के स्थान पर “निगम” शब्द रखा जाएगा।

धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

**निगम में पद
और उनपर
नियुक्ति**

“67 (1) सरकार, नगर निगमों और अन्य नगर निकायों के मामलों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के स्थान पर, और सामान्य भलाई के स्थान पर, एक या एक से अधिक शहरी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे। इस तरह की प्रत्येक सेवा में पदों की यथाअवधारित संख्या, वर्ग और श्रेणियां होंगी।

(2) अर्हता, भर्ती का तरीका, आरक्षण, प्रतिनियुक्ति, एक शहरी निकाय से दूसरे में स्थानांतरण, वरिष्ठता, वेतन, अवकाश, भत्ते, पेंशन ग्रेच्युटी और सेवा की अन्य शर्तें, इन सेवाओं में से प्रत्येक में अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामले सहित, इस प्रकार होंगी जो विहित की जाएं।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस धारा के अनुरूप गठित किसी शहरी सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को सरकार के अधीन किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त नहीं समझा जाएगा।

कर्मचारी

67अ (1) सरकार या इस प्रयोजन के स्थान पर उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियुक्ति कर सकती है या कर सकता है जो वह निगम के दायित्वों के कुशल निर्वहन के स्थान पर आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम के अधीन निगम के कर्तव्यों के निर्वहन के स्थान पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन अंशदान और अन्य आवश्यक भुगतान अवधारित रीति से निगम की निधि से वहन किया जाएगा।”

धारा 84.— (i) उपधारा (1) में खंड (क) के स्थान पर “(क) नगर निगम क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि और भवनों अथवा खली भूमि अथवा दोनों पर कर (जिसे इसके इसके पश्चात् संपत्ति कर कहा गया है) रखा जाएगा;”

(ii) उपधारा (2) में,

(क) खंड (ड) में, “2 पैसे से अनधिक दर पर” का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(छ) जल कर; और

(ज) कोई अन्य कर जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 के अधीन लगाया जाए।”; और,

(iii) उपधारा 3 में, “उपनियम” के पहले “नियम और” अंतःस्थापित किया जाएगा।

धारा 85.— उपधारा (1) में, खंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:

“(vii) शहर के भीतर सड़क पर उपयोग हेतु उपयुक्त मोटर वाहनों पर अवसंरचना विकास हेतु एक फीस।

स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्यों के लिए, “मोटर वाहन” अभिव्यक्ति का वाही अर्थ होगा जो इसका मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) में इसका अर्थ है;

(viii) ठोस कचड़े के संग्रह, परिवहन और निपटन के स्थान पर एक फीस

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनार्थ ठोस कचड़ा में बदबूदार माल, नाले का कूड़ा, व्यापार से निकलने वाला कूड़ा, अस्पताल अवशेष और आम लोगों के स्वास्थ्य के स्थान पर खतरनाक कोई अन्य अवशेष शामिल है;

(ix) कोई अन्य फीस जो निगम इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्थान पर उपयुक्त समझे।”

धारा 86.— धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी:

संपत्ति
कर का
विवरण
और
श्रेणी

“86. (1) जब तक कि इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन छूट नहीं दी गई हो, नगर निगम क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि और भवनों अथवा खली भूमि अथवा दोनों पर संपत्ति कर लगाया जाएगा।

(2) संपत्ति कर ऐसे प्रतिशत पर वसूल किया जाएगा, जो सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किंतु यह भूमि और भवन अथवा खाली भूमि अथवा दोनों के कर योग्य वार्षिक मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु सरकार व्यक्तियों अथवा भूमि और भवन अथवा खाली भूमि अथवा दोनों के कुछ वर्गों या श्रेणियों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट दे सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गयी किसी छूट के होते हुए भी, निगम जन सुविधाएं उपलब्ध कराने और सामान्य या विशिष्ट सेवाएं देने के स्थान पर ऐसे दर पर सेवा फीस वसूल सकता है जो निगम अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।”।

धारा 87.- धारा 87 का लोप किया जाएगा।

धारा 88.- धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

कर योग्य
वार्षिक मूल्य
का अवधारण

“88. (1) धारा 86 और सरकार द्वारा इसके स्थान पर बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के उपबंधों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन कर के स्थान पर निर्धारण योग्य भूमि और भवन अथवा खाली भूमि के कर योग्य वार्षिक मूल्य की गणना किसी भवन के कुल निर्माण क्षेत्र या भूमि के कुल क्षेत्रफल, जैसा अभी मामला हो, को संगत इकाई क्षेत्र मूल्य के साथ गुणा करके उसमें, भवन की आयु के आधार पर, यथावधारित ऐसे दर पर, मूल्यह्रास को घटाकर की जाएगी:

परंतु ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी परिस्थितियों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए, नगर निगम, इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर के बदले, संपत्तियों की कुछ श्रेणियों के स्थान पर वार्षिक कर के रूप में एकमुश्त राशी अवधारित कर सकता है।

स्पष्टीकरण: उपधारा (1) के उद्देश्य के लिए, ‘इकाई क्षेत्र मूल्य’ से जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013 के अधीन अवधारित इकाई क्षेत्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) आवासीय उद्देश्य के स्थान पर उपयोग में लायी जा रही स्व-अधिभोग वाली भवन और सवा-अधिभोग वाले गैर-आवासीय भवन की ऐसी श्रेणी, जो निगम की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के संबंध में भुगतेय संपत्ति कर पच्चीस प्रतिशत कम होगा।

(3) संपत्ति कर के भुगतान के स्थान पर दायी व्यक्ति प्रत्येक वित्त वर्ष के स्थान पर दो समान किस्तों में कर का भुगतान करेगा, पहली किस्त 30 मई से पहले और दूसरी 30 नवंबर से पहले:

परंतु यह कि स्वामी या अधिभोगी एक किस्त में कर का भुगतान कर सकता है, यदि वह ऐसा चयन करे:

परंतु यह और कि यदि संपत्ति कर के भुगतान के स्थान पर दायी स्वामी या अधिभोगी वित्त वर्ष के शुरू होने की तारीख से एक महीने के भीतर पुरे वर्ष के स्थान पर विवरणी दायर करता है और संपत्ति कर का भुगतान भी करता है तो, उसे उसके द्वारा भुगतेय कर का दस प्रतिशत छूट दिया जाएगा;

परंतु यह भी कि सरकार, निगम की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, वित्त वर्ष 2020-21 के संबंध में जुर्माने के बिना शास्ति संपत्ति कर के भुगतान के स्थान पर और दस प्रतिशत छूट के लाभ के स्थान पर समय सीमा बढ़ा सकती है।

(4) किसी स्वामी या अधिभोगी के उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने से पहले, उसे उसके द्वारा घोषित ऐसी विवरणी के आधार पर गणना किया हुआ आधे वर्ष का कर या उस वर्ष के स्थान पर उसके द्वारा भुगतेय संपत्ति कर की पूरी राशि सत्य और पूर्ण रूप में भुगतान करनी होगी।

(5) प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी जो इस अधिनियम के अधीन संपत्ति कर भुगतान के स्थान पर दायी है, प्रत्येक वर्ष आयुक्त या उसके द्वारा इस कार्य के स्थान पर प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास अनुबद्ध अवधि के भीतर और विहित रीति से अवधारित प्ररूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) इस धारा के अधीन किसी भवन या खाली भूमि या दोनों का किसी स्वामी या अधिभोगी द्वारा विवरण दायर करने और संपत्ति कर के निर्धारण को सुगम करने के स्थान पर, आयुक्त, समय-समय पर संपत्ति के कर योग्य वार्षिक मूल्य और उसपर देय कर के निर्धारण के स्थान पर मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी करेगा।

(7) किसी स्वामी या अधिभोगी द्वारा दायर प्रत्येक विवरण कर निर्धारण के अनुरूप माना जाएगा, सिवाय उन मामलों में जिनमें आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यथावधारित ऐसी रीति से औचक जांच के स्थान पर किसी मामले को चुनता है।

(8) दायर विवरण के औचक जांच के प्रयोजन से या किसी भवन अथवा भूमि अथवा दोनों के संबंध में उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित विवरण दायर नहीं करने के मामले में, आयुक्त या उसके द्वारा इस कार्य के स्थान पर प्राधिकृत कोई अधिकारी स्वामी या अधिभोगी को नोटिस देने के पश्चात निरीक्षण, सर्वेक्षण या माप के स्थान पर किसी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है और स्वामी या अधिभोगी अपेक्षित आवश्यक सूचना देने के स्थान पर बाध्य होगा और ऐसे निरीक्षण और प्राप्त सूचना के आधार पर, आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी उपधाराएं (10) और (11) के अधीन संपत्ति कर का निर्धारण करेगा और निर्धारण आदेश के एक प्रति संबंधित स्वामी या अधिभोगी को भेजेगा:

परन्तु कि किसी भवन या खली भूमि में और उस पर ऐसा कोई प्रवेश सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(9) यदि संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी प्राधिकृत अधिकारी को निरीक्षण, जांच और माप के स्थान पर परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से मना करता है तो, अधिकारी, ऐसे स्वामी या अधिभोगी को सूचित करने के पश्चात, इंकार को अभिलिखित करेगा और अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संपत्ति का निर्धारण करेगा:

परन्तु मानव आवास के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे किसी भवन के मामले में, उसमें रह रहे लोगों के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान किया जाएगा और किसी महिला की वास्तविक अधिभोगिता की स्थिति में किसी आवासीय भवन में तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सूचित नहीं किया जाता कि बाहर आने के स्थान पर स्वतंत्र है और उसे बाहर आने के स्थान पर सभी सुविधाएं दी गयी हैं।

(10) औचक जांच के पश्चात, यदि आयुक्त या उसके द्वारा इस कार्य के स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रस्तुत कोई विवरण, जिसे अवधारित माना गया है, गलत है या कम अवधारित है जिससे संपत्ति कर की वंचना हुई है, तो वह, उपलब्ध सूचना

के आधार पर और वास्तविक निरीक्षण के पश्चात्, करदाता को इसके स्थान पर प्रत्यावेदन देने का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् संपत्ति का पुनः निर्धारण करेगा।

(11) उपधारा (10) के अधीन पुनः निर्धारण करने के पश्चात्, आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, यह मांग करते हुए करदाता को पुनः निर्धारण का नोटिस जारी करेगा कि पुनः अवधारित कर का भुगतान नोटिस की तामिल के तीस दिन के भीतर भुगतान की जाएगी:

परंतु पुनः अवधारित कर विवरणी के साथ जमा किए गए कर से पांच प्रतिशत से अधिक है तो, ऐसे व्यक्ति द्वारा वंचित कर का भुगतान ऐसी कर वंचना के दो गुना से अन्यून जुर्माने और भुगतान किए गए कर और संगणित कर के अंतर के स्थान पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाएगा।

(12) स्वामी या अधिभोगी या तो उपधारा (11) के अधीन संगणित संपत्ति कर और जुर्माने को स्वीकार करेगा या उपधारा (11) के अधीन नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को अपनी आपत्तियां प्रेषित करेगा।

(13) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (12) के अधीन प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और आपत्ति दर्ज होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर ऐसे पुनः निर्धारण की या तो पुष्टि या उसमें संशोधन का आदेश पारित करेगा और इस आदेश की एक प्रति संबंधित करदाता को प्रेषित करेगा।

(14) इस धारा के अधीन कोई निर्धारण या पुनः निर्धारण -

(i) इस धारा के अधीन कर विवरण दायर करने;

(ii) पुनः निर्धारण के औचित्य के साक्ष्य के आयुक्त या उसके द्वारा इस कार्य के स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान में आने के तीन वर्ष बीत जाने पर नहीं किया जाएगा।

(15) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण, जैसा भी मामला हो, के स्थान पर अवधारित परिसीमा की अवधि की गणना में, अपीलीय प्राधिकारी, अधिकरण या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारण आदेश या अन्य कार्यवाहियों के निपटान के स्थान पर अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन अवधारित और लगाया गया संपत्ति कर प्रत्येक तीन वर्ष में संशोधन के अधीन होगा जिसमें कर को ऐसे प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा जो यथावधारित कर के पंद्रह प्रतिशत से अनधिक होगा, और इस अवधि की गणना उस वित्त वर्ष से शुरू होगी जिसके स्थान पर इस धारा अधीन संपत्ति कर का निर्धारण किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार वर्ष कहा गया है):

परंतु कि इस धारा के अधीन तीन साल की ब्लॉक अवधि के दौरान संपत्ति कर का गैर-निर्धारण किसी भवन पर लागू नहीं होगा, जिसमें कुछ जोड़ा जा रहा हो, उपयोग बदल रहा हो, बदलाव हो रहा हो या अंतर हो रहा हो और मालिक या अधिभोगी, काम पूरा होने या कब्जे, जो भी पहले हो, की तारीख से छह महीने के भीतर पुनरीक्षित विवरण और कर के साथ इस तरह के बदलावों की सूचना देगा:

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात लिखित में अभिलेखित कारणों के स्थान पर और कर भुगतान के स्थान पर दायी व्यक्ति को आपत्तियां दर्ज करने के स्थान पर उचित अवसर देने के पश्चात् संपत्ति कर में पूर्व पुनरीक्षण का आदेश देने की सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं होगी।”।

धारा 89.- परंतु के स्थान पर निम्नलिखित रखें:

“परन्तु इस धारा की कोई बात निगम को केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति पर ऐसी भूमि और भवन के करयोग्य वार्षिक मूल्य के पांच प्रतिशत की दर तक सेवाप्रभार वसूल करने से नहीं रोकेगा जिसे इस धारा के अंतर्गत संपत्ति कर के भुगतान से छुट दी गयी है।”।

धारा 90.-- उपधारा (1) में “भूमियों और भवनों पर कर” के स्थान पर “संपत्ति कर” रखा जाएगा।

धारा 91.-- धारा 91 का लोप किया जाएगा।

धारा 92.-- धारा 92 का लोप किया जाएगा।

धारा 93.-- धारा 93 का लोप किया जाएगा।

धारा 94.-- धारा 94 का लोप किया जाएगा।

धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

निर्धारण सूची का साक्ष्यिक मूल्य और इकाई क्षेत्र मूल्य “95. जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अधीन तैयार की गई निर्धारण सूची में प्रविष्टियां, और धारा 18 के अधीन अवधारित इकाई क्षेत्र मूल्य, इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी भी कर और भूमि और भवन या खाली भूमि या दोनों, जिनसे ऐसी प्रविष्टियां या निर्धारण क्रमशः संबंधित हैं, के कर योग्य वार्षिक मूल्य के आकलन के उद्देश्यों के स्थान पर निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे जिसमें ऐसी प्रविष्टियाँ या निर्धारण क्रमशः संबंधित हैं।”

धारा 96.-- धारा 96 का लोप किया जाएगा।

धारा 97.-- धारा 97 का लोप किया जाएगा।

धारा 98.— उपधारा (6) में, “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संवत्, 1977” के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)” रखा जाएगा।

धारा 122.-- उपधारा (1) में, परंतुक में, खंड (क) के पश्चात “(कक) संपत्ति कर” अंतःस्थापित किया जाएगा।

धारा 124.-- खंड (ii) में, “संपत्ति” के पश्चात जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या इकाई जिसके अंतर्गत बैंक भी है, सरकार के विभाग या कोई अन्य इकाई चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञापित हो, से व्यक्तिक्रमी के कारण ये या देय की संभावना वाली कोई धनराशि भी शामिल है अंतःस्थापित किया जाएगा।”

धारा -- धारा 126 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

भवन को गिराना आदि “126. यदि कोई भवन पूरी तरह से या आंशिक रूप से ध्वस्त या नष्ट हो गया है या अन्यथा मूल्य से वंचित है, तो आयुक्त मालिक या अधिभोगी से लिखित में आवेदन पर और आवश्यक होने पर इस तरह की जांच कराने के पश्चात, आवेदक द्वारा दायर संशोधित विवरणी को स्वीकार कर सकता है और कर को बाद की अवधि के स्थान पर समायोजित कर सकता है।”

धारा 127-- धारा 127 का लोप किया जाए।

धारा 128-- धारा 128 का लोप किया जाए।

धारा 129-- धारा 129 का लोप किया जाए।

धारा 130-- धारा 130 का लोप किया जाए।

धारा 131-- धारा 131 का लोप किया जाए।

धारा 132 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

अपील “132. (1) इस अधिनियम के अधीन-

- (i) किसी कर अथवा फीस की वसूली; या
- (ii) किसी कर या फीस को वापस करने से इंकार करना; या
- (iii) किसी संपत्ति के कर योग्य वार्षिक मूल्य की गणना; या
- (iv) किसी भुगतये कर का निर्धारण या पुनः निर्धारण; या
- (v) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध कोई अपील जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड में क जाएगी।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई पर, यदि कर की देता या कर आकलन के सिद्धांत के संबंध में कोई कोई प्रश्न उत्पन्न होता है जिस पर बोर्ड को तर्कसंगत संशय है, तो बोर्ड, स्वतः या किसी हितधारक व्यक्ति के आवेदन पर, मामले के तथ्यों का एवं जिस बिंदु पर संशय है उसका एक विवरण तैयार करेगा और अपने मत के साथ उच्च न्यायालय के निर्णय के स्थान पर भेजेगा।

(3) यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस मामले में दिए गए विवरण इसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को अवधारित करने में पर्याप्त हैं, तो न्यायालय इस मामले को, ऐसे परिवर्धन या संशोधन जो इसके स्थान पर न्यायालय निदेश करे, करने के स्थान पर बोर्ड के पास वापस भेज सकता है।

(4) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई पर, उसमें उठाए गए प्रश्नों का निर्णय करेगा, और उस निर्णय के आधार के साथ अपना निर्णय देगा।

(5) उच्च न्यायालय कोर्ट की मुहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के साथ ऐसे निर्णय की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा; और बोर्ड ऐसी प्रति प्राप्त करने पर, ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले का निपटान करेगा।

(6) प्रत्येक अपील में, लागतें बोर्ड के विवेक पर होंगी।

(7) इस धारा के अधीन नगर निगम के पक्ष में लागत की वसूली निगम द्वारा की जाएगी, जैसे कि वह अपीलकर्ता द्वारा देय कर का बकाया हो।

(8) यदि नगर निगम लागत भुगतान करने के आदेश की तिथि के पश्चात दस दिनों के भीतर अपीलकर्ता लागतों का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बोर्ड नगरपालिका निधि के अधिशेष की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।"

धारा 133 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

अपील के स्थान पर
बाध्यताएं

"133. (1) धारा 132 के अधीन कोई अपील स्वीकार नहीं होगी यदि वह उस आदेश के एक महीने के भीतर नहीं की जाए, जिसके विरुद्ध यह अपील की जा रही है अथवा किसी कर के संबंध में उस समय से एक महीने के भीतर नहीं की जाती है जब कर की मांग की गयी है:

परंतु इस धारा के अधीन अवधारित अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील स्वीकार की जा सकती है, अगर अपीलकर्ता बोर्ड को संतुष्ट करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(2) कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता ने नगर निगम को उसके द्वारा इस तरह की अपील की तारीख तक सभी अन्य करों का भुगतान न कर दिया हो।

धारा 143 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन:

करों और फीस के
निर्धारण और संग्रह
के संबंध में अंतरिम
व्यवस्था करने की
सरकार की शक्तियां

"143अ- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के किसी भी उपबंध के अनुसार लगाए गए करों या फीसों में से एक या अधिक के निर्धारण और संग्रह के स्थान पर ऐसी अंतरिम व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह आवश्यक या समीचीन समझे, और इस अध्याय के उपबंध, जहाँ तक उनका संबंध ऐसे कर या फीस के निर्धारण और संग्रह से है, ऐसी अंतरिम व्यवस्था लागू रहने की अवधि में उस सीमा तक और उस तरीके से संशोधित हो जाएंगे जो अधिसूचना में दी गई हो।

(2) इस प्रकार कोई अंतरिम व्यवस्था केवल तीन साल तक की अवधि के स्थान पर की जाएगी:

परन्तु लिखित में दर्ज किए जाने वाले अच्छे और पर्याप्त कारणों के स्थान पर, सरकार इस तरह की अंतरिम व्यवस्था का पांच साल की अधिकतम अवधि के स्थान पर विस्तार कर सकती है:

परन्तु यह और कि निगम के अनुरोध पर, सरकार ऐसी अवधि के स्थान पर और इस तरह की शर्तों पर अंतरिम व्यवस्था का विस्तार कर सकती है जिस पर निगम और सरकार के बीच परस्पर सहमति हो।”

धारा 156.— “राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत्, 1990” के स्थान पर “भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)”।

धारा 159.— खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(ग) एक करोड़ रुपये या निगम द्वारा यथाअवधारित उससे अधिक राशि तक के व्यय वाली प्रत्येक संविदा आयुक्त द्वारा की जाएगी और एक करोड़ से अधिक या निगम द्वारा यथाअवधारित उससे अधिक की राशि की संविदा कार्यकारिणी समिति द्वारा की जा सकेगी।”।

धारा 161.— उपधारा (3) में, “निदेशक के नियंत्रणाधीन एक अलग और स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी द्वारा संपरीक्षित” के स्थान पर “भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित” शब्द रखे जाएँगे।

धारा 162.— उपधारा (4) में, “प्रत्येक सदस्य को” के स्थान पर “निगम के प्रत्येक सदस्य और सरकार को, जो यथाशीघ्र, उक्त रिपोर्ट को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में रखेगी” रखा जाएगा।

धारा 233.— “पशु अतिचार अधिनियम, संवत् 1977” के स्थान पर “पशु-अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1)” रखा जाएगा।

धारा 237.— उपधारा (1) के खंड (क) में, “नाम या संख्या को अवधारित ” के स्थान पर “संख्या को अवधारित ” रखा जाएगा।

धारा 285.— उपधारा (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, संवत् 1989” के स्थान “भारतीय दंड संहिता, 1960 (1860 का 47)” रखा जाएगा।

धारा 333.— उपधारा (1) के खंड (क) में, “राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत्, 1990” को “भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)” रखा जाएगा।

धारा 379.— “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखा जाएगा।

धारा 383.— खंड (क) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977” को “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखा जाएगा।

धारा 383 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन:

अनधिकृत
अधिभोगियों
की बेदखली

“383अ. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि आयुक्त का यह मत है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का अनधिकृत अधिभोग कर रहा है और यह कि उसे बेदखल किया जाना चाहिए, तो आयुक्त, यहां इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, एक लिखित नोटिस द्वारा उस व्यक्ति को यह बताने के स्थान पर कहेगा कि बेदखल करने का आदेश क्यों न पारित किया जाए।

(2) यदि, उपधारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई है, और उस उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात , और उसे सुनवाई का एक उचित अवसर देने के पश्चात , आयुक्त संतुष्ट है कि संपत्ति अनधिकृत अधिभोग में है, आयुक्त लिखित में दर्ज किए कारणों के स्थान पर बेदखली का आदेश देगा, जिसमें संपत्ति या उसके किसी भाग के सभी अधिभोगियों को यह निदेश होगा कि वे संपत्ति को खाली करें, और आदेश की एक प्रति सार्वजनिक करवाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन आदेश की तामील की तारीख के तीस दिनों के भीतर निष्कासन आदेश का पालन नहीं करता है, या करने में विफल रहता है, तो आयुक्त उस व्यक्ति को

बेदखल कर देगा और उक्त संपत्ति को कब्जे में ले लेगा और, इस प्रयोजन के स्थान पर, उस व्यक्ति को बाहर निकालने हेतु आवश्यक ऐसी सहायता प्रदान करने के स्थान पर क्षेत्र के पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को बुला सकता है।

(4) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन किसी संपत्ति से बेदखल किया गया है, वहां आयुक्त, जिस व्यक्ति से संपत्ति का कब्जा लिया गया है उसे नोटिस देने के पश्चात, और उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में इस नोटिस को प्रकाशित करने के पश्चात, ऐसी संपत्ति पर बचे हुए किसी भी सामान को हटाएगा, या हटवाएगा, और ऐसे सामान की उचित अभिरक्षा के स्थान पर आदेश देगा:

परंतु यदि सामान का मालिक नोटिस देने के पश्चात सुपुर्दगी लेने से इनकार करता है या लेने में विफल रहता है या यदि सामान स्वतः ही जल्दी खराब होने वाला है, तो आयुक्त सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसका निपटान कर सकता है और ऐसी सार्वजनिक नीलामी की लागत की कटौती के पश्चात बिक्री से प्राप्त आय सामान के मालिक को सुपुर्द कर देगा।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किसी संपत्ति के संबंध में आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर संपत्ति के क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायाधीश के पास अपील कर सकता है।

(6) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस धारा के अधीन की गयी या कथित रूप से की गयी किसी कार्रवाई को उपधारा (5) के अधीन उपबंधित रीति के सिवाय किसी अन्य रीति से किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के स्थान पर, 'अनधिकृत कब्जा' से किसी भी संपत्ति के किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति पर ऐसे कब्जे के किसी प्राधिकार के बिना कब्जा अभिप्रेत है, जो निगम की संपत्ति है या जहां ऐसी संपत्ति में निगम का कोई हित है, और इसमें पट्टे, बंधक या अन्यथा द्वारा किसी ऐसे प्राधिकार के समयातीत हो जाने के पश्चात भी ऐसी संपत्ति का किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा जारी रखना शामिल है जिसके अधीन वह ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने के स्थान पर प्राधिकृत अभिप्रेत है।"

धारा 384.— “पांच सौ रुपये ” और “पचास रुपये ” के स्थान पर क्रमशः “दो हजार रुपये ” और “एक सौ रुपए” रखा जाएगा।

धारा 393.— उपधारा (1) में, “एक हजार रुपए” के स्थान पर “दो हजार रुपये ” रखा जाएगा।

धारा 395.— “इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन” के स्थान पर “इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन” रखा जाएगा।

धारा 413.— उपधारा (1) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखा जाएगा।

धारा 414.— “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, संवत् 1989” के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)” रखा जाएगा।

धारा 421—(i) “जिला योजना एवं विकास बोर्ड” जहां कहीं ये आए, के स्थान पर “जिला योजना समिति” रखा जाएगा।

(ii) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा; और

(iii) मौजूदा उप-धाराओं (3), (4) और (5) को क्रमशः उप-धारा (2), (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

3. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002

(वर्ष 2002 का XXI)

पूरे अधिनियम में "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर, क्रमशः " राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखा जाएगा।

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखा जाएगा; और

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात्, अंतःस्थापित किया जायेगा: -

"(4) इस अधिनियम की कोई बात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू होने को प्रभावित नहीं करेगी"।

धारा 2. - (i) खंड (ग) का लोप जाएगा;

(ii) खंड (ड.) में, "जिला शिक्षा अधिकारी" के स्थान पर, "मुख्य शिक्षा अधिकारी" रखा जाएगा; ,

(iii) खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखा जाएगा।

(iv) खंड (ज) में, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार" रखा जाएगा

धारा 6, 7, 8, 9 और 10. - का लोप जाएगा।

धारा 20 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन-

निजी स्कूलों के लिए " 20क. (1) सरकार संघ राज्य क्षेत्र में निजी स्कूलों में फीस विनियमित करने और नियतन फीस नियतन और करने के प्रयोजनों के लिए" निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति "के विनियमन समिति का रूप में जानी जाने वाली एक समिति का गठन करेगा। गठन।

(2) समिति का अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या संघ राज्य क्षेत्र या उससे ऊपर का वित्तीय आयुक्त रहने वाला, कोई सरकारी अधिकारी होगा।

(3) समिति के सदस्य सरकार द्वारा विहित किए गए नियमों के अनुसार होंगे।

(4) अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति या किसी मान्यताप्राप्त स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते हैं, लेकिन समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी।

अध्यक्ष की सेवा के कार्यकाल की अवधि और अन्य शर्तें। 20ख. - निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति के अध्यक्ष की सेवा के कार्यकाल की अवधि और अन्य शर्तें सरकार द्वारा विहित अनुसार होंगी।

समिति की शक्तियाँ और कार्य। 20ग (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के शर्ताधीन,, निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति, निजी स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण और अनुचित मुनाफाखोरी में लिस न हों यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करेगी और इस दिशा में कार्य करेगी।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त समिति के अध्यक्ष को निजी विद्यालयों के शुल्क नियतन और विनियमन समिति में निहित शक्तियों को, यथा विहित सीमा तक किसी को भी विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(3) निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति द्वारा पारित आदेशों को लोक सेवक द्वारा सरयकतः पारित किया हुआ माना जायेगा और की धारा 188 इसका उल्लंघन

या गैर-अनुपालन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) उपायों के उपबंधों के अधीन अवज्ञा माना जाएगा।

फीस का अवधारण।

20घ - (1) निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण और नियमन समिति अगस्त, 2014 के पश्चात स्थापित किए गए निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले फीस का अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालय के स्थान, उपलब्ध अवसंरचना, प्रशासन पर व्यय, निजी स्कूल द्वारा सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी से प्राप्त सहायता, सहयोग और यथा विहित किसी भी अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति समय-समय पर अधिसूचना जारी कर सकती है ताकि विभिन्न श्रेणियों के अधीन फीस की अधिकतम सीमा तय की जा सके।

निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस।

20ड. - (1) निजी विद्यालयछात्रों या अभिभावकों से ट्यूशन फीस, वार्षिक फीस, परिवहन फीस के अलावा, अन्य कोई फीस नहीं लेंगे और स्वैच्छिक विशेष प्रयोजन फीस जैसे पिकनिक, टूर और शिक्षा टूर आदि अथवा विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निजी विद्यालयों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य फीस पूरी तरह स्वैच्छिक प्रकृति की होगी।

परंतु ऊपर उल्लिखित फीस के अतिरिक्त निजी स्कूल किसी भी तरीके से, प्रवेश शुल्क या किसी भी राशि सहित किसी भी प्रकार का शुल्क किसी भी अन्य नाम से नहीं लेंगे।

अभिलेख मांग करने की शक्ति

20च. - यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि निजी विद्यालय ने उल्लंघन किया है या उसके निदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में निजी विद्यालयों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति किसी भी स्तर पर जांच के लिए किसी भी स्कूल के अभिलेख को मंगवा सकती है।

समिति के कर्मचारिवृंदा

20छ - (1) निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति के अध्यक्ष के परामर्श से, सरकार द्वारा समय समय पर विहित के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) निजी विद्यालयों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति के सभी स्थापना फीस सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जा सकती हैं।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में, उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति के विशेष प्रशासनिक नियंत्रण और निर्देश के अधीन किया जाएगा।

उपसमितियां।

20ज - सरकार ऐसी शक्तियों और कार्यों के साथ संभागीय या जिलों के स्तर पर ऐसी अन्य उप समितियों का गठन कर सकेगी, जो निजी विद्यालयों में फीस को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए उपयुक्त हो।

विनियम बनाने की शक्ति।

20झ - निजी विद्यालयों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी, जो कि उक्त समिति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

सिविल न्यायालय की शक्तियाँ।

20ञ - निजी विद्यालयों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति के पास, इस अधिनियम के अधीन किसी भी तरह की जांच करने या किसी भी कार्यवाही को शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, समान अधिकार होंगे, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक सिविल न्यायालय में निहित होता है। "

धारा 22. – का लोप किया जाएगा।

धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा -

बार का क्षेत्राधिकार।

"25- (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन की जा रही अथवा की जाने वाली कार्यवाही को रोकने के सम्बन्ध में कोई भी व्यादेश को मंजूरी नहीं देगा और न ही कोई अंतरिम आदेश देगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या आदेशों के पालन में किए जाने वाले किसी भी किए गए कार्य अथवा किए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में सरकार अथवा उक्त समिति के निदेशों के अधीन अध्यक्ष या निजी विद्यालयों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति के किसी भी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। "

धारा 27 के स्थान पर, रखा जाएगा-

शास्ति।

" 27. - (1) निजी विद्यालयोंके लिए फीस नियतन और विनियमन समिति द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन को छोड़कर, , जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो सम्बंधित स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा पहले अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपये से कम नहीं, का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद के हर अपराध के लिए पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या निजी स्कूल, जो निजी स्कूलों के लिए फीस नियतन और विनियमन समिति के निदेशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर पहले अपराध के लिए पचास हजार रुपये से कम नहीं, का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक अपराध के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिसमें उक्त समिति द्वारा इस तरह के निजी स्कूल की मान्यता निरस्त करने की सिफारिश भी शामिल होगी। "

धारा 28 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन -

पुनरीक्षण और अपील।

" 28क. (1) धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से असहमत होने पर कोई भी व्यक्ति निदेशक विद्यालय शिक्षा के समक्ष आदेश पारित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथा विहित प्रारूप और रीति के अनुसार पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति या निजी विद्यालय, जो धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में निजी विद्यालय के फीस नियतन और विनियमन के लिए समिति द्वारा किए गए किसी भी आदेश से असहमत है, तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जम्मू-कश्मीर का आम उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।"

धारा 29. - उपधारा (2) में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

4. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975

(1975 का XXVIII)

प्रस्तावना – “राज्य में” के स्थान पर, “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखा जाएगा।

धारा 1— (i) उप-धारा (2) में, “सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य” के लिए “सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(4) इस अधिनियम की कोई बात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू होने को प्रभावित नहीं करेगी।"

धारा 2 - (i) खंड (क) के स्थान पर, रखा जाएगा -

"(क) "सहबद्ध" से किसी संस्था के प्रतिनिर्देश से प्रयुक्त उसकी व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पद बोर्ड के विशेषाधिकारियों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए बोर्ड से सहबद्ध किया गया या सहबद्ध किया गया समझा जाना अभिप्रेत है;

(कक) "बोर्ड" सं. धारा 3 के अधीन स्थापित स्कूल शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है";

(ii) खंड (ग) के स्थान पर, रखा जाएगा -

"(ग) प्राथमिक शिक्षा "से एक सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के अनुसार ग्रेड I से VIII तक के लिए स्कूल में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अभिप्रेत है ;";

(iii) खंड (घ) के पश्चात अंतःस्थापित किया जाएगा-

"(घक) " संस्था के प्रमुख "से किसी संबद्ध संस्था में प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य अथवा किसी भी पदनाम से कोई अन्य प्रधानाचार्य अथवा शैक्षिक अधिकारी अभिप्रेत है;"

(iv) खंड (ड.) में "राज्य में या बाहर" के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र में या बाहर" रखा जाएगा;

(v) खंड (ज) के स्थान पर, रखा जाएगा : -

"(ज) "मान्यताप्राप्त" से किन्हीं संस्थाओं के प्रतिनिर्देश से प्रयुक्त उसकी व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पद पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्तर पर छात्रों को शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;" और

(vi) खंड (ड) के स्थान पर, रखा जाएगा:-

"(ड) "प्रशिक्षण संस्थान" से, एक निजी या सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है और वह सरकार से मान्यता प्राप्त है और जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध है।"

धारा 3.— उपधारा (1) में, "प्राथमिक शिक्षा" के स्थान पर, "पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा," रखा जाएगा,"

धारा 4. के स्थान पर, रखा जाएगा -

बोर्ड की संरचना "4 बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात्: -

(i) अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ;

- (ii) प्रशासनिक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ;
- (iii) प्रशासनिक सचिव, युवा सेवा और खेल विभाग;
- (iv) निदेशक स्कूल शिक्षा, कश्मीर;
- (v) निदेशक स्कूल शिक्षा, जम्मू;
- (vi) निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जम्मू-कश्मीर अथवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि;

(vii)-(viii) विश्वविद्यालयों अथवा उत्कृष्टता संस्थानों जैसे जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान/ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विभागाध्यक्ष की श्रेणी से नीचे नहीं, के दो प्रतिनिधि जो जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे ;

(ix)-(x) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रशासन के साथ असंबद्ध दो प्रख्यात शिक्षाविद ;

(xi)-(xii) संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं में से दो अधिकारियों को उपराज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा " ।

धारा 10 -

(i) खंड में (i) , "प्राथमिक" से पहले "पूर्व प्राथमिक" और "परीक्षाओं" के पश्चात् "प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (ii) में , "पाठ्यक्रम" के पश्चात , "और शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा पाठ्यक्रम" अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (iii) में, "बोर्ड" के पश्चात , "इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) खंड (v) में , "उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम" के पश्चात , "और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि" अंतःस्थापित किया जाएगा। ;

(v) खंड (xv) ,के स्थान पर, रखा जाएगा -

"(xv) बोर्ड के साथ संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले स्कूल में उपलब्ध कामकाज के तरीके और सुविधाओं के बारे में स्कूल शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मंगवाना ";

(vi) खंड (xvii) में "सम्बंधित" के पश्चात "पूर्व प्राथमिक" अंतःस्थापित किया जाएगा और "शिक्षा " के पश्चात "और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(vii) खंड (xviii) के स्थान पर, रखा जाएगा :-

"(xviii) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों को तैयार करना।" ;

(viii) खंड (xxvii) के स्थान पर, रखा जाएगा -

"(xxvii) (क) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा सहित अध्ययन के विभिन्न विषयों के अलग-अलग चरणों के लिए अलग-अलग बोर्डों की स्थापना अथवा गठन;

(ख) सम्बंधित पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार, अथवा विकसित एवं अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन ;

(ix) खंड (xxviii) , के स्थान पर, रखा जाएगा -

“(xxviii) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सहयोगी संगठनों जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड (सीओबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के साथ समन्वय स्थापित करना। ”

धारा 13. - उप-धारा (4) के स्थान पर, रखा जाएगा -

“(4) यदि अध्यक्ष की राय में कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए तत्काल कारवाई करना अपेक्षित है, तो वे उचित कारवाई करेंगे और उसके पश्चात किए गए कार्य के पश्चात इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई अगली बैठक में, बोर्ड को की गई कारवाई के बारे में सूचित करेंगे :

परंतु अध्यक्ष , उठाए गए कदम के बारे में उसका कारण बताते हुए जितनी जल्दी हो सके, बोर्ड के कार्यालय, प्राधिकारी अथवा किसी अन्य निकाय अथवा बोर्ड को, यथास्थिति, जो सम्बंधित मामले को सामान्यतया देखता हो, को सूचित करेंगे।

परंतु इन शक्तियों के अधीन किसी भी प्रकृति की नियुक्ति नहीं की जाएगी:

परंतु यह भी कि इन शक्तियों के अधीन किसी भी प्रकृति का कोई भी प्रोन्नति नहीं की जाएगी। ”

धारा 17 के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा-

निदेशक, अकादमिक। “ 17क. निदेशक, अकादमिक, बोर्ड के पूर्णकालिक भुगतान प्राप्त अधिकारी होंगे और सरकार द्वारा ज्येष्ठ और सक्षम शिक्षाविद या शिक्षावादी होंगे जिन्हें विभिन्न मुद्दों जैसे पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षण-शिक्षण पद्धति, संज्ञानात्मक शिक्षण के क्षेत्र में समकालीन प्रगति और इस से सम्बंधित सभी विषयों के बारे व्यापक समझ होगी ।

निदेशक, अकादमिक की शक्तियां और कृत्या 17 ख. बोर्ड के नियंत्रण और विनियमों के अधीन, निदेशक अकादमिक, बोर्ड के ऐसे प्रभागों के प्रमुख होंगे जो बोर्ड के विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित होंगे -

(क) शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;

(ख) अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न कोर्सेज के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना ;

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और शारीरिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;

(घ) संघ राज्य क्षेत्र में गुणवत्ता शिक्षा के लिए शिक्षा, के विभिन्न चरणों के लिए पुस्तक अथवा सामग्री तैयार करना, संवर्धन और विकास ;

(ङ.) परीक्षाओं की स्कीम या स्कीमों की समीक्षा, संशोधन या तैयारी करना।

(च) मूल्यांकन के नए तरीकों में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करना;

(छ) नई स्कीमों/नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने में शिक्षकों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम संचालित करना।

धारा 22. के पश्चात् निम्नलिखित -

- वित्त सलाहकार** “22क. (1) प्रशासनिक सचिव, वित्त विभाग, या जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी कश्मीर बोर्ड का पदेन वित्तीय सलाहकार होगा।
- (2) वित्तीय सलाहकार बोर्ड तथा इसकी वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा
- (3) वित्तीय सलाहकार इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कानूनों और विनियमों द्वारा विहित कर्तव्यों को पूर्ण करेगा।

धारा 33.- उप-धारा (2) के खंड (घ) में, दोनों स्थान पर आए “मान्यता” के स्थान पर “संबद्धता” रखें।

धारा 34.- का लोप करे।

धारा-35 के स्थान पर, रखे -

विनियम और उसमें किए गए परिवर्तनों की प्रतियां। “35 - बोर्ड द्वारा धारा 33 के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियमन की एक प्रति और इसमें किए गए प्रत्येक परिवर्तन या पुनरीक्षण को सरकार की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

धारा 36.- “हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा” के स्थान पर “हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा” रखें।

धारा 37 के स्थान पर रखे -

बोर्ड के विशेषाधिकार वाली संस्थाओं में प्रवेश। “37(1) संघ राज्य क्षेत्र में, अथवा संघ राज्य क्षेत्र के बाहर कोई भी संस्था बोर्ड के विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए बोर्ड में आवेदन कर सकती है और बोर्ड ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, ऐसी संस्था को बोर्ड के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

(2) जहां बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि सहबद्ध संस्थान द्वारा उसके विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है या विहित शर्तों या निर्बंधनों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, बोर्ड, विशेषाधिकारों को वापस ले सकता है। इसके पश्चात वह संस्थान संबद्ध संस्थान नहीं रहेगा:

परंतु बोर्ड को विशेषाधिकार वापस लेने से पहले संस्थान को यह कारण बताने की आवश्यकता होगी कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और बोर्ड द्वारा किसी भी ऐसे स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना चाहिए, जो संस्थान द्वारा दिया गया है।”

धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित रखे :-

- बोर्ड की बैठक।**
- (1) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगा लेकिन उसकी अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच तीन माह का अन्तराल नहीं होना चाहिए।
- (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा।
- (3) बोर्ड की बैठक में सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा तय किए जाएंगे :

परंतु मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष को एक सदस्य के रूप में अपने मत के अलावा एक मत देने का अधिकार होगा।

- (4) बोर्ड की बैठक में कुल सदस्यों की दो-तिहाई संख्या से गणपूर्ति बनेगी :
परंतु गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित की जाती है, तो उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगली बैठक में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
- (5) सचिव द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति, बैठक आयोजित होते ही सरकार को भेजी जाएगी।
- (6) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई, या कार्यवाही, सदस्यों के बीच किसी रिक्ति के आधार पर, या उसके गठन में दोष या अनियमितता के कारण या प्रक्रिया में किसी भी ऐसी अनियमितता जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, के कारण अमान्य नहीं होगी।

धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित रखे :-

विधिक कार्यवाहियां :

“43. बोर्ड, या उसके किसी भी सदस्य या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों, या बोर्ड के निर्देशों के अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति या बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारियों या किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन के अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य के लिए सूचना के दो महीने की अवधि की समाप्ति तक कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसके पश्चात किसी भी अन्य मामले में जिस व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया जाना है, को जब तक कि इस तरह की सूचना नहीं दी जाती, या सूचना उसके कार्यालय में पहुंचा नहीं दिया जाता या उसके निवास स्थान तक नहीं पहुंचाया जाता और उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता कि कार्रवाई का कारण क्या है, मांगे गए अनुदान की प्रकृति, दावा की गई प्रतिकर की रकम का और वादी के निवास स्थान का नाम और स्थान का उल्लेख, जब तक कि इस तरह की सूचना में नहीं होती है, और इस सूचना को प्रदान नहीं कर दिया जाता है, तब तक वादी पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

प्रतिलिपाधिकार।

43क (1) बोर्ड द्वारा विकसित, मुद्रित और प्रकाशित सभी सामग्रियों का प्रतिलिपाधिकार बोर्ड के पास होगा।

(2) यदि ऐसा करना जनहित में उचित हो तो बोर्ड को किसी भी एजेंसी से स्कूली शिक्षा से संबंधित विकसित, प्रकाशित या मुद्रित सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा जो वह समुचित समझे।

वसूली संबंधी शक्तियों का सारांश।

43ख - स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति से पुस्तकों की खरीद, बिक्री-परिवहन, मुद्रण, भंडारण या पुस्तकों और मुद्रण सामग्री के पारगमन की कमी के कारण किसी भी राशि की वसूली की जानी है या वसूली होने पर बोर्ड के पदधारियों द्वारा राशि का दुर्विनियोग किया गया है तो ऐसे व्यक्ति से धन की वसूली की जाएगी और वसूली की प्रक्रिया भूमि राजस्व अधिनियम, 1996 की धारा 90 के अधीन विहित प्रक्रिया के समान होगी।”

5. जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989

(1989 का X)

संपूर्ण अधिनियम में, “संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत्, 1977” जहां वह आता है, के स्थान पर “संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)” रखे।

धारा 1. – उप-धारा (2) में, “पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य” के स्थान पर “पूरे जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखे।

धारा 3. – उप-धारा (1) में, “पूरे राज्य” के स्थान पर ,, “जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र”, रखे।

धारा 10.– उप-धारा (1) में, “राज्य के कार्यक्रमों” के स्थान पर, “जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम” रखे।

धारा 16.– उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक में “राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन” के स्थान पर “जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा”, रखे।

धारा 17.– उप-धारा (1) के खंड (क) में –

(क) उप-खंड (i) में, “जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत्, 1977” के स्थान पर, “भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)”, रखे; तथा

(ख) खंड (ग) में, “जम्मू-कश्मीर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत्, 1998” के स्थान पर “सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)” रखे।

धारा 30.- (क) की उप-धारा (1) में, -

(i) प्रथम परंतुक में “इस तरह के विस्तार की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी” के स्थान पर “इस तरह के विस्तार की अवधि अधिकतम दो वर्ष तथा एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी”, रखे।

(ii) दूसरे परंतुक में “केवल” शब्द का लोप करे।

(ख) उप-धारा (7) में

(i) “रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में “ के स्थान पर “रिजर्व बैंक के परामर्श से” रखे।

(ii) “एक वर्ष से अधिक नहीं” के स्थान पर “दो वर्ष से अधिक नहीं” रखे।

धारा 30-क.– उप-धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें

“(3) धारा 29 या धारा 30 में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां सरकार या रजिस्ट्रार ने किसी भी सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 प्रारंभ होने से पहले प्रबंधन बोर्ड या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया है और ऐसी किसी भी सोसायटी के लिए समिति के गठन के लिए निर्वाचन शुरू होने से पहले, ऐसे प्रबंधन बोर्ड या प्रशासक, उक्त गठन से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए संबंधित सोसायटी के मामलों का प्रबंधन जारी रख सकते हैं और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड या समिति के पुनः गठन के लिए ऐसी अवधि के भीतर चुनाव होना चाहिए।

परंतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश 2020 के प्रारंभ होने से पहले प्रबंधन बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया है या जहां सोसायटी व्यतिक्रम कर रही है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों या इसके अधीन उस अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करती है या किसी ऐसे कार्य करती है, जो सोसायटी या इसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है, तो सरकार दो

वर्ष के लिए, या ऐसे अवधि के लिए जो सरकार द्वारा विहित की जाए प्रशासक या अस्थायी बोर्ड नियुक्त कर सकती है।

धारा 30क के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

कतिपय सहकारी बैंकों के "30ख - (1) धारा 29 या धारा 30 या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में पुनरुद्धार के लिए अस्थायी अंतर्विष्ट, किसी भी बात के होते हुए भी - उपबंध।

- (क) भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा अनुमोदित रिवाइवल पैकेजों को लागू करने के लिए सरकार ऐसे वृत्तिक बोर्डों का गठन कर सकती है, जो अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सहित केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हो, ताकि इन केंद्रीय सहकारी बैंकों को पूंजी जोखिम पर्याप्त अनुपात (सीआरएआर), जो अपेक्षित किया जाए, प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके;
- (ख) खंड (क) के अधीन ऐसे वृत्तिक बोर्डों के गठन की तारीख से, विद्यमान निदेशक मंडल या संबंधित बैंको के प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में नहीं रहेंगे; तथा
- (ग) खंड (क) के अधीन गठित वृत्तिक बोर्ड इन बैंकों के मामलों का प्रबंधन दो वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि जो सरकार द्वारा समय-समय पर रिवाइवल पैकेज और बैंक की वित्तीय हालत को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट की जाए, तक करेगा।
- (2) उप-धारा (1) के खंड (क) में उल्लेखित सहकारी बैंकों के कार्यों के प्रबंधन के लिए धारा 32-क में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सरकार या उप-धारा (1) के अधीन गठित व्यावसायिक बोर्ड ऐसी अवधि के लिए और ऐसी निबंधनों और शर्तों पर जो सरकार या वृत्तिक बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए प्रबंध निदेशक या अधिकारियों को नियुक्त करेगा।

धारा 32क.- "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" के स्थान पर "सरकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" रखे।

धारा 35.- खंड(i) के परंतुक में,

(क) "राज्य सरकार" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार" रखे; तथा

(ख) "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977 की धारा 140 के उपबंधों के अध्यधीन" का लोप करे।

धारा 40.- "जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संवत् 1977" के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखे।

धारा 60.- खंड (ख) में, "न्यास अधिनियम, संवत् 1977" की धारा 20" के स्थान पर, "भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 (1882 का 2)" रखे।

धारा 64.- उप-धारा (1 ग) में "रिजर्व बैंक के अनुरोध पर रिजर्व बैंक के तरीके से तथा फॉर्म में" शब्दों के स्थान पर "समय रहते रिजर्व बैंक और नेशनल बैंक के परामर्श से" रखे।

धारा 79.- उप-धारा (1) में, "राज्य" के स्थान पर "जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखे।

- धारा 80. – खंड (ज) में, “जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार अधिनियम के अधीन” शब्दों का लोप करें।
- धारा 86.- उप-धारा (2) में, “राज्य” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखे।
- धारा 94.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1977” के लिए, “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 का 16)” रखे।
- धारा 107.- उप-धारा (1) में “जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संवत् 1977” के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)” रखे।
- धारा 131.- उप-धारा (3) में “सिविल प्रक्रिया संहिता संवत् 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया, संहिता 1908 (1908 का 5)” रखे।
- धारा 134.- उप-खंड (1) में, “जम्मू-कश्मीर मकान और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1966” के स्थान पर “आवासीय और वाणिज्यिक किरायेदारी अधिनियम, 2012” रखे।
- धारा 143.- “जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत्, 1990” के स्थान पर “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30)” रखे।
- धारा 153.- खंड (ग) में “जम्मू-कश्मीर रणवीर दंड संहिता, संवत् 1989” के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखे।
- धारा 155.- “परिसीमन अधिनियम, संवत्, 1995 के अनुच्छेद 182” के स्थान पर “परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 137” रखे।
- धारा 171.- “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 01)” के स्थान पर “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)” रखे।
- धारा 174.- उप-धारा (1) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखे।
- धारा 176.- उप-धारा (1) में, “राज्य” शब्द के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र” रखे।

6. जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर को-ऑपरेटिव अधिनियम, 1999

(1999 का X)

संपूर्ण अधिनियम में “राज्य” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखे।

- धारा 2.- (i) खंड (1) के लिए निम्नलिखित रखे -
- “(1) “माध्यस्थम् अधिकरण” संबद्ध जिले के उप रजिस्ट्रार में अन्यून पंक्ति के सहकारी अधिकारी द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाला माध्यस्थम् अधिकरण अभिप्रेत है और इसमें उसके सदस्यों या अन्य व्यक्तियों से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विवाद के निपटाने के लिए सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा चुने गए चार सदस्य सम्मिलित हैं;”
- (ii) खंड (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -
- (iii) खंड (23) में, “जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 6 में परिभाषित राज्य का एक स्थायी निवासी” के स्थान पर “किसी भी व्यक्ति” रखे।
- (iv) खंड (27) में, “राज्य के स्थायी निवासी” के स्थान पर “किसी भी व्यक्ति” रखे; तथा
- (v) खंड (30) में, “जिसके सदस्य राज्य के स्थायी निवासी हैं” का लोप करें।
- “स्पष्टीकरण.- पद “आर्थिक आवश्यकता जो सभी के लिए सामान्य है” का अभिप्राय बैंकिंग सेवाओं जैसे निक्षेपों को स्वीकार करना, बचत, आवर्ती और सावधि जमा खातों को खोलना और

अल्पावधि, मध्यम अवधि या लंबी अवधि के अधीन ऋण प्रदान करना नहीं होगा, लेकिन इसमें बचत और ऋण संबंधी कार्य शामिल होंगे; तथा

(vi) खंड (41) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

“(42) “ग्रिफ्ट और क्रेडिट को-ऑपरेटिव” से अभिप्राय है आम हित वाले लोगों के समूह का एक साथ एकत्र होना, जो अपने संसाधनों को एक साथ जमा करने के लिए सहमत हुए हैं, ताकि सदस्यों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।”

खंड 3.-

- (i) उप-धारा (1) में, “राज्य के स्थायी निवासियों को शामिल करना” का लोप किया जाए; तथा
(ii) उप-धारा (7) में “वह व्यक्ति समाधान के लिए न्यायालय जा सकता है” के स्थान पर “रजिस्ट्रार सहकारी समिति के गैर रजिस्ट्रीकरण के लिए कारण बताएंगे” रखे।

धारा 7.-

उप-धारा (4) के लिए निम्नलिखित रखे :-

“(4) रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट होने पर कि संशोधन इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है, संशोधन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और सहकारी समिति को रजिस्ट्रीकृत संशोधन की एक प्रति प्रदान करेगा :

परंतु इस तरह की कार्रवाई रजिस्ट्रार को संशोधन पर पुनर्विचार करने का उचित अवसर देने के पश्चात, न्यायालय के समक्ष संशोधन की विधिमान्यता को चुनौती देने से रोक नहीं सकती है।”

धारा 16.-

(i) खंड (क) में -

(क) उप-खंड (i) में, “जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम संवत् 1977” के स्थान पर “भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)” रखे; तथा

(ख) उप-खंड (ii) का लोप करें।

(ii) खंड (ग) में “जम्मू-कश्मीर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत्, 1988” के स्थान पर “सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21)” रखे।

धारा 39.-

उप-धारा (1) में “संगम अनुच्छेद” के पश्चात “लेकिन बैंक सेवाएं शामिल नहीं होंगी” रखे।

धारा 50.-

उप-धारा (1) के लिए निम्नलिखित रखे-

“(1) प्रत्येक सहकारी समिति के संगम अनुच्छेदों में एक माध्यस्थम् अधिकरण के गठन के लिए उपबंध होगा जिसमें अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के उप रजिस्ट्रार के रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे और जो सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से चुने गए चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, तथा जिनके कार्यकाल की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी”।

धारा 52.-

उप-धारा (7) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

“(8) यदि रजिस्ट्रार, जांच या निरीक्षण के पश्चात, संतुष्ट है कि कॉपरेटिव का गठन

(क) एक अवैध उद्देश्य के लिए किया गया है या

(ख) इसमें इस अधिनियम, या संगम अनुच्छेदों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है, या अब यह सहकारी आधार पर काम नहीं कर रहा है, या

(ग) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए या अधिसूचित किए गए सक्षम प्राधिकारी की समुचित अनुज्ञप्ति के बिना व्यवसाय का संचालन कर रहा है तो सहकारी समिति को अपनी आपत्तियों के संबंध में एक नोटिस दे सकता है और एक महीने के भीतर नोटिस का जवाब देगा और जवाब पर विचार करने के पश्चात, रजिस्ट्रार ऐसे सहकारी समितियों के विघटन या अन्यथा के लिए एक आदेश पारित करेगा, और विघटन की स्थिति में वह सहकारी समितियों के रजिस्टर से उस सहकारी समिति का नाम मिटा देगा और इस आशय के लिए विघटन का प्रमाण भी जारी

करेगा और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की संपत्ति और देनदारियों के परिसमापन के लिए एक परिसमापक को नियुक्त करेगा और परिसमापन कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

- (9) उप-धारा (8) के अधीन नियुक्त परिसमापक के पास निम्नलिखित शक्ति होगी, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, -
- (क) सहकारी समिति की ओर से उनके कार्यालय के नाम से वाद और विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना और उनमें प्रतिरक्षा करना;
- (ख) सदस्यों या पिछले सदस्यों या सम्पदा या नामांकित व्यक्ति, वारिस या मृत सदस्यों के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या एक अधिकारी द्वारा किए जाने या किए जाने के लिए शेष अंशदान (ऋण देयताओं सहित) का समय-समय पर निर्धारण करना;
- (ग) सहकारी समितियों के विरुद्ध सभी दावों की जांच करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, दावेदारों के बीच उत्पन्न होने वाले प्राथमिकता के प्रश्नों को विनिश्चित करना;
- (घ) सहकारी समितियों के विरुद्ध बोनाफाइड दावों का भुगतान करना;
- (ङ.) यह निर्धारित करने की शक्ति कि किस व्यक्ति द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन का खर्च वहन किया जाए;
- (च) यह अवधारित करने की शक्ति कि कोई भी व्यक्ति सदस्य है, भूतपूर्व सदस्य है या एक मृतक सदस्य के पद के नामित व्यक्ति हैं;
- (छ) सहकारी समितियों की आश्रितों के संग्रहण और वितरण के संबंध में ऐसे निर्देश देने की शक्ति जो सहकारी समितियों के कार्यों को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा आवश्यक समझे जाएं;
- (ज) रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के साथ लेनदारों या उन व्यक्तियों, जो लेनदार होने का दावा करते हैं, या जिनके पास वर्तमान या भविष्य का कोई दावा है, जिससे सोसायटी का कोई लेना-देना है, के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करने की शक्ति

और परिसमापन पूरा होने पर, परिसमापक अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सौंप देगा।“

धारा 53. -

लोप किया जाए।

धारा 54. -

“या न्यायालय” का लोप किया जाए।

धारा 59. -

“जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977” के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)” रखे।

7. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1960

(1960 का XIX)

संपूर्ण अधिनियम में, “सरकारी राजपत्र”, “राज्य” और “सरकार”, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “सरकारी राजपत्र”, “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” और “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार” रखे।

प्रस्तावना : “जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य” रखे।

धारा 2. -

- (i) खंड (क), (ख), (ग) में “जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन” और “दोनों सदनों” जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमशः “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा” और “विधान सभा” रखे;

- (ii) खंड (घ) के अपवाद के उपखंड (i) के रूप में, “राज्य विधान मंडल के एक सदन” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा” रखे;
- (iii) खंड (घ) के उप खंड (ii) के परंतुक में, “या विधान परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो”, का लोप किया जाएगा;
- (iv) खंड (घ) के स्पष्टीकरण में, “जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के एक सदन” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा” रखे।

धारा 3. -

- (i) उप-धारा (1) में, “राज्य विधानमंडल” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर की विधान सभा” रखे और परंतुक में, “या विधान परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो” शब्दों का लोप करें;
- (ii) उप-धारा (1-क) में, “या विधान परिषद में पद के भरने के लिए राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य के मामले में” शब्दों का लोप करे;
- (iii) उप-धारा (1-क) के प्रथम परंतुक में “जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 64” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 24” रखे;
- (iv) उप-धारा (2) में, “राज्य विधानमंडल” और “विधानमंडल” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल” और “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा” रखे।

धारा 4. -

- (i) उप-धारा (1) में, “राज्य विधानमंडल” और “राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन” जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर क्रमशः “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल” और “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा” रखे; तथा
- (ii) उप-धारा (1-क) में, जैसा भी मामला हो, “या विधान परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो”, और “राज्य के बाहर के स्थानों” तथा “संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के स्थानों” का लोप किया जाएगा।

धारा 4-क. - दोनों स्थानों पर आए “राज्य के बाहर के स्थानों” के स्थान पर “संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के स्थान” और परंतुक में “राज्यपाल” के स्थान पर “उपराज्यपाल” रखे।

धारा 5. -

- (i) उप-धारा (1) में, “सदन का एक सत्र” के लिए “विधान सभा का एक सत्र” रखे;
- (ii) उप-धारा (3) में, “या विधान परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो”, का लोप कर दें।

धारा 5-क.-

“या विधान परिषद, जैसा भी मामला हो” और “राज्य विधानमंडल के संबंधित सदनों “के स्थान पर” “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा” रखे।

धारा 6.-

“राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा” रखे।

धारा 8. -

- (i) उप-धारा (1) में, “विधानमंडल सचिवालय” के स्थान पर “विधान सभा का सचिवालय” और, “राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन” के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा” रखे; और
- (ii) उप-धारा (2) में, “राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन” के स्थान पर “संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा” रखे तथा “या विधान परिषद के अध्यक्ष जैसा भी मामला हो” और “विधान परिषद के उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो” का लोप करें।

धारा 10. -

उप-धारा (1) में, “राज्यपाल” के स्थान पर “उपराज्यपाल” रखे।

8. राज्य विधानमंडल के**प्रतिपक्ष के नेताओं का वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1985****(1985 का XVI)**

संपूर्ण अधिनियम में, “विपक्ष के प्रत्येक नेता” और “विपक्ष के एक नेता” के स्थान “विपक्ष के नेता” रखे।

धारा 2. - धारा 2 के स्थान पर रखे -

“2. परिभाषा - इस अधिनियम में, ‘विपक्ष के नेता’ से अभिप्रेत है कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य, जो इस समय सरकार के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कम से कम सदन की बैठक का गठन करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति के बराबर सदस्यों की संख्या रखते हैं और जिन्हें विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त है।

स्पष्टीकरण - जहां विधान सभा में सरकार के विरोध में दो या दो से अधिक ऐसी पार्टियां हैं, जिनमें सदस्यों की समान संख्या है, तो अध्यक्ष, पार्टियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे दलों के नेताओं में से किसी एक को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा इस धारा के प्रयोजन के लिए विपक्ष के नेता को प्रदान की गई ऐसी मान्यता अंतिम और निर्णायक होगी।”

धारा 9. - “या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो” का लोप कर दें।

धारा 10.- उपधारा (3) का लोप कर दें।

9. जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017**(2017 का V)**

संपूर्ण अधिनियम में, “जम्मू-कश्मीर राज्य” के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखे।

भाग 1 के पश्चात रखे :-

जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र “1क. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के ऐसे उपबंध जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) तीसरे आदेश, 2020 द्वारा संशोधित की तारीखों से प्रभावी होने वाले किए गए हैं, के संबंध में यह माना जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तारीखों से प्रभावी हो जाएंगे”।

धारा 2.- (i) खंड (1) में “संपत्ति अंतरण अधिनियम संवत् 1977 (1920 ई.पू.) (1920 ई.पू. का XLII)”, “संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)” रखें;

(ii) खंड (4) में -

(क) “अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण” के स्थान पर, धारा 171 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट “अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी” रखें;

(ख) “अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारी” के स्थान पर “अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारी अग्रिम विनिर्णय के लिए, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रखें।

(iii) खंड (17) के उप-खंड (viii) के स्थान पर रखें -

“(viii) जिसके अंतर्गत पणगणक अथवा बुक मेकर को प्रदत्त अनुमति के माध्यम से रेस क्लब की गतिविधियां रेस या ऐसे क्लब में अनुमति प्राप्त बुक मेकर के क्रियाकलाप भी हैं”;

(iv) खंड (18) का लोप कर दें;

(v) खंड (35) में, “खंड (ग)” के स्थान पर “खंड (ख)” रखें;

(vi) खंड (36) में “जैसे कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लागू है” का लोप करें;

(vii) खंड (69) के उप-खंड (ड.) स्थान निम्नलिखित रखें –

“(ड.) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित एक क्षेत्रीय परिषद या एक जिला परिषद;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित एक विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 317क के अधीन गठित एक क्षेत्रीय परिषद;

(viii) खंड (84), के उप-खंड (1) में “जम्मू-कश्मीर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998 (1941 ई.पू.) (1998 का VI)” के स्थान पर “सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)” रखें;

(ix) खंड (102) में अंतःस्थापित करें –

“स्पष्टीकरण.- संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि पद “सेवाओं” में प्रतिभूतियों के संव्यवहार को सुकर बनाना या व्यवस्थित करना सम्मिलित है।”

(ix) खंड (114) में, उप-खंड (ग) और (घ) के स्थान, पर रखें-

“(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;।”

धारा 7. -

(क) उप-धारा (1) में, -

(i) खंड (ख) में, “या कारोबार को आगे बढ़ाने” के पश्चात, “और” शब्द अंतःस्थापित करें ;

(ii) खंड (ग) में, “एक विचार” के पश्चात, “और” शब्द का लोप करें;

(iii) खंड (घ) का लोप करें;

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात अंतःस्थापित करें –

“(1क) जहां कुछ क्रियाकलाप या संव्यवहार उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार आपूर्ति का गठन करते हैं, उन्हें अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार या तो माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(ग) उप-धारा (3) में “उप-धारा (1) और (2)” के स्थान, “उप-धारा (1), (1क) और (2)” रखें।

धारा 9. -

उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

“(4) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना के द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जो मालों या सेवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों की आपूर्ति के संबंध में या एक अरजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की इस तरह की गई आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तकर्ता पर ठीक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।”

धारा 10. -

धारा 10 में, -

(क) उप-धारा (1) में -

(i) उसके द्वारा देय कर के बदले में, ऐसी दर पर गणना की गई राशि” के स्थान पर “धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में, इस तरह की गई गणना की राशि” रखें।

(ii) परंतुक में “एक करोड़ रुपए” के स्थान पर “एक करोड़ पचास लाख रुपए” रखें।

(iii) परंतुक के पश्चात, पश्चात अंतःस्थापित करें -

“परंतु एक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन टैक्स देने का विकल्प चुनता है, वह उन सेवाओं (अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) की आपूर्ति कर सकता है, जिसकी कीमत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संघ राज्य क्षेत्र में हुए व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण.- दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के मूल्य का अवधारण करते समय, जहां तक ब्याज या छूट पर विचार करने का संबंध है तो इसके लिए निक्षेप, ऋण या अग्रिम राशि जमा करके आपूर्ति की गई उन सेवाओं के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जिनकी छूट प्रदान की गई है।

(ख) उप-धारा (2) में.-

(i) खंड (क) स्थान पर निम्नलिखित रखें

“(क) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के अनुसार, वह सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न नहीं हैं” रखें;

(ii) खंड (घ) में अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप करें;

(iii) खंड (ङ) में “परिषद” शब्द के स्थान पर “परिषद और” रखें

(iv) खंड (ड) के पश्चात, अंतःस्थापित करें

“(च) वह न तो एक साधारण कर योग्य व्यक्ति है और न ही अनिवासी व्यक्ति, जिस पर कर लगाया जा सकता है”;

(v) खंड (ख), (ग) और (घ) में, “माल” के पश्चात, “या सेवाएं” अंतःस्थापित करें।

(ग) उप-धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

“(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लेकिन धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो, उप-धारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल व्यापारावर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं था, वह धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में इस तरह की दर से गणना की जाने वाली रकम जो विहित की जाए का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है लेकिन वह संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में व्यापारावर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जो

(क) ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं जो इस अधिनियम के अधीन कर योग्य नहीं हैं;

(ख) वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी अंतर-राज्यीय बाहरी आपूर्ति करने के कार्य को करता है;

- (ग) एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से माल या सेवाओं की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए धारा 52 के अधीन स्रोत पर टैक्स एकत्र करना अपेक्षित है;
- (घ) ऐसे मालों के विनिर्माता या ऐसी सेवाओं के आपूर्तिकर्ता हैं, जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; और
- (ङ) एक सामान्य कर योग्य व्यक्ति या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है :

“परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 43) के अधीन एक ही स्थायी खाता संख्या रखते हों, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन स्कीम का चयन करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं”;

- (घ) उप-धारा (3) में “उपधारा (1) के अधीन” जहां कहीं भी आते हों, के पश्चात “या उपधारा (2क), जैसा भी मामला हो” अंतःस्थापित करें।
- (ङ.) उप-धारा (4) में, “उप-धारा (1)” के पश्चात, “या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2क); अंतःस्थापित करें;
- (च) उप-धारा (5) में, “उप-धारा (1) के अधीन” के पश्चात, “या उप-धारा (2क), जैसा भी मामला हो” अंतःस्थापित करें;
- (छ) उप धारा (5) के पश्चात , निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

स्पष्टीकरण. 1- इस धारा के अधीन भुगतान करने की उसकी पात्रता अवधारित करने के लिए एक व्यक्ति की कुल व्यापारावर्त की गणना के प्रयोजनों हेतु, ‘सकल व्यापारावर्त’ शब्द अप्रैल के प्रथम दिन से लेकर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होने की तारीख तक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति के मूल्य को एक वित्तीय वर्ष में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें निक्षेप, ऋण या अग्रिम के माध्यम से प्रदान की गई छूट वाली सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य शामिल नहीं होगा, जहां तक ब्याज या छूट के माध्यम से इस पर विचार किए जाने का संबंध है।

स्पष्टीकरण. 2- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय कर का अवधारण करने के लिए, “संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त” पद में निम्नलिखित आपूर्ति का मूल्य शामिल नहीं होगा, अर्थात् :-

- (i) “किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से उस तारीख तक कि जब तक ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, तक की गई आपूर्ति; तथा
- (ii) अब तक निक्षेप, ऋण या अग्रिम राशि के माध्यम से प्रदान की गई छूट वाली सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर यदि मामला ब्याज या छूट हेतु विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।”

धारा 12.- उप-धारा (2) के खंड (क) में, “उप-धारा (1)” का लोप करें।

धारा 13.- उप-धारा (2) के, खंड (क) और (ख) में “उपधारा (2)” का लोप करें।

धारा 16.- (i) उपधारा (2) में, -

- (क) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान, निम्नलिखित रखें -

“स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन हेतु यह माना जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल अथवा सेवाएं, जैसा भी मामला हो, प्राप्त की हैं -

- (i) जहां माल ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, चाहे वह अभिरुचि के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा के निर्देश पर माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान माल के लिए या अन्यथा हक दसतावेजों के अंतरण के माध्यम से आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त किया जाता है;
- (ii) जहां सेवाओं को इस तरह के रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के दिशानिर्देश पर किसी भी व्यक्ति के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है”;

- (ख) खंड (ग) में “धारा 41” के स्थान पर “धारा 41 अथवा धारा 43क” रखें;
(ii) उप-धारा (4) में, “अथवा से संबंधित बीजक” का लोप करें।

धारा 17.-

- (क) उपधारा (3) में अंतःस्थापित करे -

“स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, पद” छूट प्रदान की गई आपूर्ति का मूल्य” में उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के सिवाय अनुसूची 3 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप या संव्यवहार के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

- (ख) उप-धारा (5) में खंड (क) और (ख) के स्थान पर, रखें -

“(क) मोटर यानों को उन लोगों के परिवहन के लिए अनुमोदित किया गया है जिनकी बैठने की क्षमता तेरह व्यक्तियों (चालक सहित) से अधिक नहीं है, सिवाय इसके कि उनका उपयोग निम्नलिखित कर योग्य आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) ऐसे मोटर यानों की आगे आपूर्ति; या
(ख) यात्रियों का परिवहन; या
(ग) ऐसे मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जहाजों और विमानों को छोड़कर जब उनका उपयोग किया जाता है -

- (i) निम्नलिखित कर योग्य आपूर्ति करने के लिए, अर्थात् :-
(क) ऐसे जहाजों या विमानों की आगे आपूर्ति हेतु; या
(ख) यात्रियों का परिवहन; या
(ग) ऐसे जहाजों को नेविगेटिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना; या
(घ) ऐसे विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए
(ii) माल के परिवहन के लिए;

(कख). सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव संबंधी सेवाएं जहां तक कि उनका संबंध (कख) खंड (क) या खंड(कक) में निर्दिष्ट मोटर यानों, जहाजों या विमान से -

परंतु ऐसी सेवाओं के संबंध में निवेश कर प्रत्यय उपलब्ध होगा -

- (i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटर वाहन, जहाज या विमान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
(ii) जहां एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है, जो निम्नलिखित कार्यों में लगा हो-
(I) ऐसे मोटर यानों, जहाजों या विमानों के विनिर्माण में; या
(II) उसके द्वारा बीमा किए गए ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में;

- (ख) माल या सेवाओं या दोनों की निम्न आपूर्ति -

- (i) खाद्य और पेय पदार्थ, आउटडोर खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटर यानों, जहाजों या विमान को लीज पर लेना, किराए पर लेना या हॉयर करना को छोड़कर जब इनका प्रयोग उसमें निर्दिष्ट प्रयोजनों जैसे जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए किया जाता है;

परंतु ऐसे सामानों या सेवाओं या दोनों के संबंध में निवेश कर प्रत्यय उपलब्ध होंगे, जहां माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं की एक ही श्रेणी की जावक कर योग्य आपूर्ति के लिए अथवा दोनों या एक कर योग्य समग्र या मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में उपयोग की जाती है;

- (ii) क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; तथा

- (iii) छुट्टी पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा लाभ जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत - परंतु जहां किसी नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन अपने कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान करेगा तो इस तरह के माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में निवेश कर प्रत्यय उपलब्ध होगा।

धारा 20. खंड (ग) में, "प्रविष्टि 84 के अधीन", के स्थान पर "प्रविष्टियों 84 और 92क के अधीन" रखें।

धारा 22. उप-धारा (1) में, परंतुक के पश्चात अंतःस्थापित करें -

"यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी विशेष श्रेणी के राज्य से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है, जिसके संबंध में राज्य सरकार ने प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट कुल व्यापारावर्त को बढ़ाया है, वो वह रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र होगा यदि उसका वित्तीय वर्ष में सकल व्यापारावर्त इस तरह के बड़े हुए व्यापारावर्त के समतुल्य रकम से अधिक है:

परंतु यह और कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, कुल सकल व्यापारावर्त की सीमा को बीस लाख रुपये से बढ़ा कर ऐसे आपूर्तिकर्ता के मामले में अधिकतम चालीस लाख रुपए कर सकती है जो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो विहित की जाए, अनन्य रूप से माल की आपूर्ति में लगे हुए हैं।

स्पष्टीकरण-1 - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को विशेष रूप से माल की आपूर्ति में लगा हुआ माना जायेगा, भले ही वह अभी तक निक्षेप ऋण या अग्रिम के माध्यम से उपबंधित सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए हों, जहां तक कि प्रतिफल व्याज या छूट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।"

धारा 24.- खंड (10) में "कॉमर्स ऑपरेटर" के स्थान पर "कॉमर्स ऑपरेटर" जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर जमा करना अपेक्षित है।" रखें।

धारा 25.- (i) उप-धारा (1) में परंतुक के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले अंतःस्थापित करें -

"परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन यथा परिभाषित कोई ईकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूद है, या वह विशेष आर्थिक क्षेत्र का डेवलपर है तो उसे उस राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र से बाहर स्थित अपने कारोबार स्थल से भिन्न स्थान हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(ii) उप-धारा (2) में, परंतुक के स्थान पर रखें -

"परंतु संघ राज्य क्षेत्र में कई स्थानों पर कारोबार करने वाले व्यक्ति को कारोबार के प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की धारा एक अलग पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है।"

(iii) उप-धारा (6) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें

“(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रमाणीकरण किया जाएगा या उसे ऐसी रीति से तथा निर्धारित समय के भीतर आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यदि आधार संख्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नहीं सौंपी जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किए जाने की पेशकश की जाएगी जिसे कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, विहित कर सकती है :

परंतु प्रमाणीकरण विफल होने या आधार संख्या के सबूत न होने या पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों को प्रस्तुत न करने के मामले में, ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अमान्य माना जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचना की तारीख से, प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण संख्या हेतु पात्र होने के लिए परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, या आधार नंबर का सबूत प्रस्तुत करेगा।

परंतु यदि आधार संख्या किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए ढंग से पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किए जाएंगे।

(6ग) अधिसूचना की तारीख से, एक व्यक्ति के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होने के लिए प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या परिषद की सिफारिश पर, सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट ढंग से कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसी संख्या में भागीदारों, संगम की प्रबंध समिति के सदस्य, न्यासी बोर्ड के सदस्य, प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्तियों के वर्ग का आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट ढंग से पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन की पेशकश की जाएगी।

(6घ) उप-धारा (6क) या उप-धारा (6ख) या उप-धारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद “आधार संख्या” का अर्थ वही होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य महायुधियों, प्रसुविधाओं और सेवा का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम 18)” की धारा 2 के खंड (क) में दिया गया है।

धारा 29. -

(i) पार्श्व शीर्ष में “रद्द करना” के पश्चात, “या निलंबन” अंतःस्थापित करें।

(ii) उप-धारा (1) में खंड (ग) के स्थान पर रखें -

“(ग) कर योग्य व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए या 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रजिस्ट्रीकरण को छोड़ने का पात्र नहीं है।

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को निर्धारित अवधि के लिए तथा यथानिर्धारित ढंग से निलंबित किया जा सकता है।”

(iii) उप-धारा (2) में परंतुक के पश्चात, अंतःस्थापित करें -

“परंतु रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उचित अधिकारी निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित ढंग से रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकता है।”

धारा 30. - उप-धारा (1) में अंतःस्थापित करे :-

“परंतु इस तरह की अवधि, को पर्याप्त कारण बताए जाने पर, और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है-

(क) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा, जैसा भी मामला हो, द्वारा, अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए :

(ख) आयुक्त द्वारा , खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के अलावा अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए।

धारा 31. - उप-धारा (2) में, परंतुक के स्थान पर रखें -

“परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा -

(क) सेवाओं या आपूर्ति की उन श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके संबंध में निर्धारित ढंग से निर्धारित समय के भीतर एक कर चालान जारी किया जाना चाहिए;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, उन सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट करें, जिसके संबंध में -

(i) आपूर्ति के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज को कर बीजक माना जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।”

धारा 31 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन-

प्राप्तकर्ता को डिजिटल भुगतान की सुविधा। “31क सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का निर्धारण कर सकती है, जो मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के निर्धारित तरीके प्रदान करेगा और तदनुसार ऐसे तरीकों और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, के अधीन भुगतान करने के लिए ऐसे प्राप्तकर्ता को विकल्प देगा।

धारा 34.- (क) उप-धारा (1) में -

(i) “जहां एक बीजक में” के स्थान पर “जहां एक या अधिक बीजक हैं” रखे।

(ii) “क्रेडिट नोट” के स्थान पर “एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक क्रेडिट नोट” रखें।

(ख) उप-धारा (3) में -

(i) “जहां एक कर बीजक में” के स्थान पर “जहां एक या अधिक कर बीजक हैं” रखें;

(ii) “एक डेबिट नोट” के स्थान पर “एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक डेबिट नोट” रखें;

धारा 35.- उप-धारा (5) में अंतःस्थापित करें -

“परंतु इस उप-धारा में विहित किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी भी ऐसे विभाग पर लागू नहीं होगा, जिनके खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उस समय लागू किसी भी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के खातों के संपरीक्षक के लिए नियुक्त संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं।”

धारा 39.- (क) उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर रखें -

“(1) एक निवेश सेवा वितरक या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति के अलावा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, को प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग के लिए, एक वापसी, माल या सेवाओं की आवक और जावक आपूर्ति या दोनों; निवेश कर प्रत्यय के लिए गए लाभ, देय कर के भुगतान और ऐसे अन्य विवरण को ऐसे रूप और तरीके से, और ऐसे समय में, जैसा कि विहित किया गया है के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भरकर प्रस्तुत करना होगा।

“परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को अधिसूचित कर सकती है, जो प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए निर्धारित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन वितरणी प्रस्तुत करेंगे।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके एक भाग के लिए धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान करने वाला एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, राज्य में अपने व्यापारावर्त, माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति या दोनों, देय कर, भुगतान किए गए कर का विहित रूप और रीति से ऐसी समय सीमा के भीतर की विहित की धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करेगा।

(ख) उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

“(7) उप-धारा (1) के परंतुक या उप-धारा (3) या उप-धारा 5) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे उप धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना होता है, वह इस तरह के विवरणी के अनुसार सरकार को उस अंतिम तारीख तक, जिस पर उसे इस तरह के विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक है, कर का भुगतान करेगा:

परंतु उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी भरने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं की आवक और जावक आपूर्ति या दोनों निवेश कर प्रत्यय के लाभ, देय कर और ऐसे अन्य सभी विवरण को ध्यान में रखते हुए एक महीने के दौरान, ऐसे रूप और तरीके से, निर्धारित समय के भीतर, सरकार को कर का भुगतान करेगा:

इसके अतिरिक्त, उप-धारा (2) के अधीन विवरणी दर्ज करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार के व्यापारावर्त, माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति, या देय कर का, और तिमाही के दौरान इस तरह के अन्य विवरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विति किया जाए ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए कर का भुगतान करेगा।”

(ग) उप-धारा (9) में,-

- (i) “उस महीने या तिमाही जिसके लिए भरे गए विवरणी में ऐसी चूक या गलत विवरण देखे जाते हैं”, के स्थान पर “ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए” रखें;
- (ii) परंतुक में, “वित्तीय वर्ष की समाप्ति” के स्थान पर “उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिसमें इस तरह के विवरण संबंधित हैं” रखें;

धारा 43 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन-

विवरणी प्रस्तुत करने और निवेश कर प्रत्यय का लाभ उठाने की प्रक्रिया। 43(क) (1). धारा 16 की उप-धारा (2) में धारा 37 या धारा 38 अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति के विवरण को सत्यापित, विधिमान्य या संशोधित कर सकता है या इस विवरण को हटा सकता है।

(2) धारा 41, धारा 42, धारा 43 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तकर्ता

द्वारा निवेश कर प्रत्यय का लाभ उठाने तथा सत्यापन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी, जो विहित की जाए।

(3) प्राप्तकर्ता द्वारा निवेश कर प्रत्यय का लाभ उठाने के प्रयोजनों के लिए सामान्य पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता द्वारा जावक आपूर्ति के विवरण को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्रस्तुत नहीं की जाने वाली बाहरी आपूर्ति के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का लाभ उठाने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी, जो विहित की जाए और इस तरह की प्रक्रिया में निवेश कर प्रत्यय की अधिकतम वह राशि शामिल हो सकती है, जिसका लाभ इस प्रकार उठाया जा सकता है कि उक्त उप-धारा के अधीन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, उठाया गया लाभ निवेश कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) बाहरी आपूर्ति में निर्दिष्ट कर की राशि, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा उप-धारा (3) के अधीन विवरण प्रस्तुत किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा देय कर माना जाएगा।

(6) बाहरी आपूर्ति जिसके लिए विवरण उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति का प्राप्तकर्ता संयुक्त रूप से और निश्चित रूप से कर या निवेश कर प्रत्यय जैसा कि मामला हो, जिसका लाभ उठाया गया है, किंतु जिसका विवरणी नहीं जमा करवाया गया है, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) उप-धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली विहित ढंग से की जाएगी और इस तरह की प्रक्रिया में टैक्स या गलत तरीके से वसूली गई निवेश कर प्रत्यय की राशि की गैर-वसूली का उपबंध भी हो सकता है और यह राशि एक हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(8) बाहरी आपूर्ति के संबंध में कर राशि की प्रक्रिया, रक्षोपाय और सीमा, जिसका विवरण उप-धारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, का निर्धारण यथा विहित होगा-

- i) रजिस्ट्रीकरण लेने के छह महीने के भीतर;
- ii) वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने कर के भुगतान में चूक की है और ऐसी चूक राशि के भुगतान की इस तरह विहित नियत तारीख से दो महीने से अधिक समय के लिए जारी रखी गई है।”

धारा 44. - उप-धारा (1) में अंतःस्थापित करें -

“परंतु आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ा सकता है जो उसमें विनिर्दिष्ट किए गए :

परंतु, यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा के किसी भी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।”

धारा 48.- उपधारा (2) में, “धारा 45” के पश्चात “और इस तरह के अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए” अंतःस्थापित करें।

धारा 49.- (क) उप-धारा (2) में “धारा 41” के स्थान पर “धारा 41 अथवा धारा 43क” रखें;

(ख) उप-धारा (5) में,-

(i) खंड (ग) में अंतःस्थापित करें -

“परंतु जहां केंद्रीय कर के लिए निवेश कर प्रत्यय की राशि एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य कर के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग केवल एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा”;

(ii) खंड (घ) में अंतःस्थापित करें -

“परंतु जहां केंद्रीय कर के लिए निवेश कर प्रत्यय की राशि एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां संघ राज्य क्षेत्र कर के लिए निवेश कर प्रत्यय केवल एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा, “;

(ग) उप-धारा (9) के पश्चात अंतःस्थापित करें -

“(10) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते में उपलब्ध राशि को एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या उपकर के भुगतान हेतु, जिसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए और ऐसी शर्तों और जो विहित की जाए, निबंधनों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से अंतरित कर सकते हैं और इस तरह के अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से धन वापसी (विवरणी) माना जाएगा।

(11) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भी राशि को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में स्थानांतरित किया गया है तो उसे उपधारा (1) में दिए गए उपबंध के अनुसार उक्त लेजर खाते में जमा किया गया माना जाएगा।

धारा 49 के पश्चात, पश्चात अंतःस्थापित करें -

कुछ शर्तों के अधीन निवेश कर प्रत्यय का उपयोग। “49क धारा 49 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर या राज्य कर, जैसा भी मामला हो, के भुगतान हेतु किया जाएगा, किंतु ऐसा तभी होगा जब एकीकृत कर के लिए इस प्रकार के भुगतान किए जाने हेतु निवेश कर प्रत्यय का उपयोग पहले ही किया जा चुका हो।

निवेश कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम। **49ख.** इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ड.) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन सरकार परिषद की सिफारिशों पर एकीकृत कर, राज्य कर या संघ राज्य कर, जैसा भी मामला हो, के लिए ऐसे किसी भी कर के भुगतान हेतु निवेश कर प्रत्यय का उपयोग किए जाने के क्रम तथा ढंग का निर्धारण करती है।

धारा 50. - उप-धारा (1) में अंतःस्थापित करें -

“परंतु कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज और उक्त अवधि के लिए नियत तारीख के पश्चात धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, विवरणी में घोषित कर पर ब्याज उन मामलों, जिनमें उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व यदि ऐसी विवरणी उपलब्ध करवा दी जाती है तो ऐसे मामले को छोड़कर अन्य मामलों में ब्याज कर के उसी हिस्से पर लगाया जाएगा, जिसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश खाते से डेबिट करने के पश्चात किया गया है।”

धारा 51.- i) उप-धारा (3) के स्थान पर रखें -

“(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, में जारी किया जाएगा जो विहित की जाए।”

ii) उप-धारा (4) का लोप करें।”

धारा 52.-

i) उप-धारा (4) में अंतःस्थापित करें -

“परंतु आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकते हैं, जो उसमें निर्दिष्ट किए गए हैं;”

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा के किसी भी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।”

ii) उप-धारा (5) में, अंतःस्थापित करें -

“परंतु आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा का विस्तार कर सकता है जो उसमें निर्दिष्ट किए गए हैं:

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा के किसी भी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।”

iii) उप धारा (9) में, “धारा 37” के स्थान पर “धारा 37 या धारा 39” रखें।

धारा 53 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन -

कतिपय रकमों का अंतरण।

“53क. जहां इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या माल और सेवा कर (राज्यों के प्रतिकर) अधिनियम के अधीन किसी भी राशि को अंतरित किया गया है, तो सरकार, केंद्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते में इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से अंतरित राशि के बराबर राशि विहित ढंग एवं समय सीमा के भीतर अंतरित करेगी।”

धारा 54.-

(i) उप-धारा (8) के खंड (क) में, “माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति” और “शून्य-रेटेड आपूर्ति” के स्थान पर, क्रमशः “माल का निर्यात” और “निर्यात” रखें;

ii) उप-धारा (8) के पश्चात, अंतःस्थापित करें -

“(8क) जहां केंद्रीय सरकार ने राज्य कर के रिफंड का संवितरण कर दिया है, तो सरकार उतनी ही धनराशि के बराबर राशि केंद्रीय सरकार को अंतरित करेगी।” तथा

iii) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, -

(i) उप-खंड (ग) की मद सं. (1) में “विदेशी मुद्रा” के पश्चात, “भारतीय रुपये में या जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है” अंतःस्थापित करें;”

ii) उप-खंड (ड.) के स्थान पर रखें -

“(ड.) उप-धारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय की वापसी के मामले में, उस अवधि, जिसमें वापसी के लिए ऐसा दावा प्रस्तुत किया जाता है, के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।

धारा 67. -

उप-धारा (10) में, “दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 (1933 ई.पू.) (1989 का XXIII)” के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” रखें।

- धारा 69. -** उप-धारा (3) में, “दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 (1933 ई.पू.) (1989 का XXIII)” के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” रखें।
- धारा 70. -** (i) “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1977 (1920 ई.पू.) (संवत् 1977 का X)” के स्थान पर “सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5)” रखें; तथा
(ii) उप-धारा (2) में “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, संवत्, 1989 (1932 ई.पू.) के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखें;
- धारा 79. -** (i) उप-धारा (1) के खंड (च) में “दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 (1933 ई.पू.) (1989 की XXIII)” के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)” रखें;
(ii) उपधारा (4) के पश्चात , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करें -
'स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति शब्द में उप-धारा (4) या धारा 25 की उप-धारा (5), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट ; “अलग-अलग व्यक्ति” शामिल होंगे।
- धारा 95. -** (i) खंड (क) में
(ग) “अपील प्राधिकरण” के स्थान पर “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रखें तथा
(घ) “धारा 100 का” के स्थान पर “धारा 100 का या धारा 101 ग” रखें।
(ii) खंड (ड.) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -
“च) ”राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” से, अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है।“

धारा 101 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन –

अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का गठन। “101क. इस अध्याय के उपबंधों के अधीन, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए गठित राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण माना जाएगा।

- धारा 102.-** (i) दोनों स्थानों पर “अपील प्राधिकरण” के स्थान पर “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण”, रखें;
(ii) “या धारा 101 के स्थान पर , केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की क्रमशः या धारा 101 या धारा 101ग” रखें; तथा
(iii) दोनों स्थानों पर “या अपीलार्थी” के स्थान पर, “अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण” रखे।

- धारा 103.-** (i) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

“(1क) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा दिया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा –

- (क) विशिष्ट व्यक्ति होने के नाते वे आवेदक जिन्होंने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 101ख की उप-धारा 1 के अधीन विनिर्णय की मांग की थी और उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी एक ही स्थायी खाता है।

- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों के संबंध में संबंधित अधिकारी और अधिकारिता वाले अधिकारी और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके पास आयकर अधिनियम 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी एक ही स्थायी खाता संख्या है।“
- (2) उप-धारा (2) में “उप-धारा (1) में” के स्थान पर “उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1क) में” रखें।

धारा 104.- उप-धारा (1) में, -

- (क) “अपील प्राधिकारी” के स्थान पर “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रखें; और
- (ख) “धारा 101” के पश्चात, अथवा “केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 101 या धारा 101ग के अधीन” अंतःस्थापित करे;

धारा 105.-

- (i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर रखें
“प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां”
- (ii) उप-धारा (1) में -
- (क) “अपील प्राधिकरण” के लिए “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रखें।
- (ख) खंड (ग) में “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977 (1920 ईस्वी) की (संवत् 1977 का X) के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखें; तथा
- (iii) उप-धारा (2) में -
- (क) “अपील प्राधिकरण” के स्थान पर “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रखें;
- (ख) दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1988 (1933 ई.पू.) (1988 का XXVIII) के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” और “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता” संवत् 1989 (1932 ई.पू.) (1989 का XII) के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखें।

धारा 106.-

- (i) सीमांत शीर्षक के स्थान पर, रखें
“प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया”
- (ii) “अपील प्राधिकरण” के स्थान पर “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रखें;

धारा 107.-

उपधारा (6) के खंड (ख) में, “उक्त आदेश से उद्भूत” के पश्चात “अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अधीन रहते हुए” अंतःस्थापित करें।“

धारा 109.

धारा 109 के स्थान पर रखें -

“109 अपील अधिकरण और उसकी न्याय पीठ बेंच (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर, अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए अपील प्राधिकारी होगा।

(2) राज्य न्याय पीठों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय न्याय पीठों का गठन और अधिकार क्षेत्र केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।“

धारा 111.-

- (i) उप-धारा (1) एवं (2) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977 (1920 ई.पू.) (संवत् 1977 का x)” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखें; और
- (ii) उप-धारा (2) के खंड (घ) “साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 (1920 ई. पूर्व) {संवत् 1977 का 13}” के स्थान पर “भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) रखें।

- (iii) उप-धारा (4) में “जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 (1932 ई.पू. (1989 का 12))” के स्थान पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” तथा “दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 (1933 ई.पू., 1989 का 23)” के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) रखें।

धारा 112.- उप-धारा (8) के खंड (ख) में, “उक्त आदेश से उद्भूत” के पश्चात “अधिकतम पचास करोड़ रुपये के अधीन रहते हुए अंतःस्थापित करें।।

धारा 118.- उप-धारा (2) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977 (1920 ई.पू.) (संवत् 1977 का X)” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखें।

धारा 122. - उप-धारा (1) के पश्चात अंतःस्थापित करें :-

“(1क) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (i), (ii), (vii) या खंड (ix) के अधीन समाविष्ट किए गए संव्यवहार के फायदे को बनाए रखता है और जिसके कहने पर इस तरह का संव्यवहार किया जाता है, वह इस प्रकार बचाए गए कर या प्राप्त किए गए या अंतरित किए गए निवेश कर प्रत्यय के बराबर राशि के भुगतान के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।”

धारा 129.- उप-धारा (6) में “सात दिन” के स्थान “चौदह दिन” रखें।

धारा 131.- दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 (1933 ई.पू.) (1989 की XXIII) के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” रखें।

धारा 132.- (i) उप-धारा (1) में, -

(क) “जो भी निम्नलिखित में से कोई भी अपराध करता है” के स्थान पर “जो कोई भी, निम्नलिखित में से किसी भी अपराध को करता है या उसको करने का कारण बनता है अथवा उसके कारण होने वाले फायदों को बनाए रखता है” रखें;

(ख) खंड (ग), के स्थान पर रखें -

“(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या या बिल का उपयोग करके निवेश कर प्रत्यय का फायदा उठाता है या कपटपूर्वक से किसी भी बीजक या बिल के बिना निवेश कर प्रत्यय प्राप्त करता है;”

(ग) उप-खंड (ड.) में, “कपटपूर्ण से निवेश कर प्रत्यय प्राप्त करना है” शब्द का लोप करें।

(ii) उप-धारा (4) में, “दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 (1933 ई.पू.) (1989 का XXIII) के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2)” रखें।

धारा 140.- जुलाई, 2017 के 8वें दिन से प्रभावी -

(i) उप-धारा (1) में, “विद्यमान विधि” शब्दों के पश्चात , “ऐसे समय के भीतर और” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और उन्हें अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा;

(ii) उप-धारा (2) में, “नियत दिन” शब्दों के पश्चात , “ऐसे समय के भीतर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और उन्हें अंतःस्थापित किया गया माना जाएगा।

(iii) उप-धारा (3) में “नियत दिन कुछ शर्तों के अधीन स्टॉक में रखे गए माल” शब्दों के स्थान पर ऐसे समय और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए “नियत दिन पर स्टॉक में रखा माल” रखें जाएंगे और इन्हें रखा गया माना जाएगा;

(iv) उप-धारा (5) में, “विद्यमान विधि” शब्दों के स्थान पर, “विद्यमान विधि, ऐसे समय और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए शब्दों को रखा जाएगा और माना जाएगा कि उन्हें रखा गया है;

- (v) उप-धारा (6) में, “के अधीन नियत दिन को स्टॉक में रखे गए सामान” शब्दों के स्थान के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे समय और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए नियत दिन स्टॉक में रखा गया माल” शब्द रखे जाएंगे और इन्हें परखा गया माना जाएगा।
- (vi) उप-धारा (7) में, “इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय यदि भले ही” शब्दों के स्थान पर, “इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय, यदि ऐसे समय और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए शब्दों को रखा जाएगा और उन्हें रखा गया समझा जाएगा।
- (vii) उप-धारा (8) में, “ऐसी रीति से” शब्दों के स्थान, “ऐसे समय में और ऐसी रीति में” शब्दों को रखा जाएगा और माना जाएगा कि उन्हें रखा गया है; और
- (viii) उप-धारा (9) में, “के अध्याधीन प्रत्यय का पुनः दावा किया जा सकेगा” शब्दों के स्थान पर “के अधीन रहते हुए, ऐसे समय और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रत्यय का पुनः दावा किया जा सकेगा” शब्दों को रखा जाएगा और समझा जाएगा कि उन शब्दों को रखा गया है।

धारा 143.- उप-धारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात , परंतुक अंतःस्थापित करें –

“यह और कि एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जो क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।”

धारा 150.- उप-धारा (1) में :-

- खंड (च) में “जम्मू-कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 (2010 का XII) के स्थान पर “विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) रखें ; तथा
- खंड (छ) में, “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संवत् 1977 (1920 ई.पू.) (1977 का XXXV) के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)” रखें।

धारा 156.- “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, संवत्, 1989 (1932 ई.पू.) (1989 का XII) के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखें।

धारा 158.- (i) उप-धारा (2) में, “साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 (1920 ई.पू.) (1977 का XIII)” के स्थान पर “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)” रखें।

(ii) उप-धारा (3) के खंड (क) में “जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, संवत् 1989 (1932 ई.पू.) (1989 का XII) के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखें और “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006 (1949 ई.पू.) (2006 का XIII) के स्थान पर “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)” रखें।

धारा 168.- उप-धारा (2) में “धारा 66 की उप-धारा (5), धारा 143 की उप-धारा (1) के स्थान पर धारा 143 की उप-धारा (1)” “उसके दूसरे परंतुक को छोड़कर रखें;

धारा 168 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन-

विशेष परिस्थितियों में समय सीमा का विस्तार करने की सरकार की शक्ति।

“168क इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, परिषद की सिफारिशों पर उन कार्यों, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका अथवा जिनका फोर्स मैजुरे की वजह से अनुपालन नहीं किया जा सका, को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट, विहित या अधिसूचित समय-सीमा को बढ़ा सकती है।

क. उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले की तारीख से इस तरह की इस अधिसूचना में उस तारीख जो इस अधिनियम, के प्रारंभ तारीख से पहले न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “फोर्स मैजुरे” से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के कारण होने वाली किसी भी अन्य आपदा या अन्यथा इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली शक्ति अभिप्रेत है।

धारा 171.- उप-धारा (3) के पश्चात अंतःस्थापित करें –

“(3क) जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण ने उक्त उप-धारा के अधीन अपेक्षित जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, तो ऐसा व्यक्ति का मुनाफाखोरी की रकम का दस प्रतिशत के बराबर शक्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के तीस दिनों के भीतर मुनाफाखोरी की राशि जमा करने पर कोई अधिरोपित नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “मुनाफाखोरी” से मालों या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कमी या दोनों या निवेश कर प्रत्यय के लाभ को माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को लाभ अंतरित नहीं करने के कारण विहित की गई राशि से होगा।

धारा 172.- उप-धारा (1) के परंतुक में “तीन वर्ष” के स्थान पर “पांच वर्ष” रखें।

धारा 174.- उप-धारा (3) में “जम्मू-कश्मीर साधारण खंड अधिनियम, संवत् 1977 (1920 ई.पू.) (1977 की XX)” के स्थान पर “साधारण खंड अधिनियम, 1897” रखें।

धारा 174 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन :-

कतिपय मामलों में राज्य कर उद्ग्रहण या संग्रहण भूतलक्षी छूट। “74क वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार की अधिसूचना का. नि. आ. जीएसटी 1 तारीख 08 जुलाई, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू-कश्मीर सरकार ने परिषद की सिफारिशों पर जम्मू-कश्मीर माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि :-

(i) जुलाई, 2017 के 8वें दिन से शुरू होने और सितंबर, 2019 के 30वें दिन (दोनों दिन मिलाकर) समाप्त होने वाली अवधि के दौरान फिशमिल की आपूर्ति के संबंध में कोई राज्य कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा;

(ii) वर्ष 2017 के जुलाई माह की 8वीं तारीख से दिसंबर 2018 के 31वें दिन (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान चरखी, पहिए और अन्य भागों (8483 शीर्ष के अधीन आने वाले) और जो कृषि मशीनरी के 10 भागों के रूप में इस्तेमाल किए जाने (8432 8433 और 8436 शीर्ष के अधीन आने वाले) जाते हैं, के संबंध में 6 प्रतिशत की दर से कर लगाया या वसूला जाएगा।

(2) एकत्र किए गए ऐसे सभी करों की कोई भी धनराशि वापस नहीं की जाएगी, लेकिन यदि उस समय उप-धारा (1) सभी सामग्री मदों पर लागू न होती, तो इन करों की वसूली इस प्रकार न की जाती।

जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव 174ख. केन्द्रीय सरकार द्वारा माल और सेवा कर (राज्य को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के परंतुक के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. सख्यांक 708 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2019, तारीख 8 जुलाई, 2017 से प्रदत्त हुई समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रदत्त होंगी।

अनुसूची 1.- पैरा 4 में “कर योग्य व्यक्ति” के स्थान पर, “व्यक्ति” रखें।

अनुसूची 2.-

- (i) शीर्षक में, “क्रियाकलाप” शब्द के पश्चात, “या संव्यवहार” शब्द अंतःस्थापित जाएगा और इसे सदैव 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया माना जाएगा।
- (ii) पैरा 4 में दोनों स्थानों पर, शब्द “विचार के लिए है या नहीं”, का लोप किया जाए और माना जाएगा कि उनका जुलाई, 2017 के 8 दिन से लोप कर दिया गया है।

अनुसूची 3.-(i)

पैरा 6 के पश्चात, अंतःस्थापित करें:-

“7. इस तरह के माल के भारत में प्रवेश किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आपूर्ति।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पहले किसी भी व्यक्ति को वेयरहाउस के सामान की आपूर्ति

(ख) माल के हक संबंधी दस्तावेजों के पृष्ठांकन के माध्यम से भारत के बाहर स्थिति मूल बंदरगाह से माल भेजे जाने के पश्चात लेकिन घरेलू उपयोग के लिए निकासी से पहले माल प्राप्तकर्ता व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को माल की आपूर्ति।

- (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित करें और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें:-

“स्पष्टीकरण 2. – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “वेयरहाउस किए गए माल” का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है।

10. जम्मू-कश्मीर महानगर क्षेत्र**विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018****(राज्यपाल अधिनियम 2018 का XLIX)**

प्रस्तावना सहित संपूर्ण अधिनियम में, धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (5) और धारा 14 की उप-धारा (2) के सिवाय “राज्य” शब्द के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” रखें।

धारा 2.- उप धारा (1) में, खंड (द) और खंड (न) का लोप करें।

धारा 3. - उप धारा (3) में, “साधारण खंड अधिनियम, सवंत, 1997” के स्थान पर “साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) रखें।

धारा 4.- अंत में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखें :-

“स्पष्टीकरण जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 के अधीन उद्घोषणा जारी रहने के दौरान, ‘मुख्यमंत्री’ पद का अर्थ इस खंड के प्रयोजनों के लिए ‘उपराज्यपाल’ होगा।”

धारा 16 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन -

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण।

16क : (1) सरकार अधिसूचना के द्वारा, अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (द) के अधीन अधिसूचित महानगरीय क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है।

(2) उपरोक्त उप धारा (1) के अधीन गठित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण श्रीनगर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम अथवा सरकार द्वारा अधिनियम की धारा (3) के अधीन गठित जम्मू महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, का हिस्सा बन सकती है।

(3) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के कामकाज के कारण उपगत किसी भी व्यय या अर्जित किसी भी आय, जैसा भी मामला हो, का भुगतान संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से किया जाएगा।

एकीकृत महानगर
प्राधिकरण की संरचना।

परिवहन 16 ख (1) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात :-

- (क) जम्मू - कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव;
 - (ख) आवास और शहरी विकास, परिवहन, वित्त और योजना एवं पीडब्लू (सड़क और इमारतें), और पीएचपी (आई एंड एफसी) विभागों के प्रशासनिक सचिव;
 - (ग) क्षेत्र के संभागीय आयुक्त ;
 - (घ) परिवहन आयुक्त, जम्मू - कश्मीर ;
 - (ङ) पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, जम्मू - कश्मीर;
 - (च) महानगर क्षेत्र में नगर निगम के नगर आयुक्त;
 - (छ) श्रीनगर विकास प्राधिकरण या जम्मू विकास प्राधिकरण जैसा भी मामला हो, के उपाध्यक्ष;
 - (ज) श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड या जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड जैसा भी मामला हो, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 - (झ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्रीनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण जम्मू, जैसा भी मामला हो, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
 - (ञ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी ;
 - (ट) क्षेत्र के मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ;
 - (ठ) क्षेत्र के नगर नियोजन संगठन के मुख्य नगर नियोजक,;
 - (ड) आवास और शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के एक नामनिर्देशित;
 - (ढ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तरी रेलवे, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण और भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में से प्रत्येक का एक नामनिर्देशित; तथा,
 - (ण) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य जो शहरी परिवहन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं
- (2) मुख्य सचिव एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, और संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा।
- (3) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के निर्णय मतदान द्वारा होंगे, खंड (1), खंड (ड) और खंड (ढ) के अधीन नामांकित व्यक्तियों जिन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, को छोड़ कर शेष सदस्यों में से प्रत्येक को एक-एक वोट का अधिकार होगा। मुख्य सचिव को भी वोटिंग का अधिकार होगा।
- (4) कार्यवाही के प्रमाणीकरण के संबंध में धारा (8) के उपबंध महानगरीय परिवहन प्राधिकरण की कार्रवाई पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

एकीकृत महानगर
परिवहन प्राधिकरण
के कृत्या

16(ग) (1) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत, कुशल, आधुनिक बहु-मोडल गतिशीलता प्रणाली का विकास करना होगा जिसमें महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के उस हिस्से ने गैर मोटर चालित साधनों सहित वाहनों के बजाय लोगों और सामानों की आवाजाही पर ध्यान केंद्रित

किया गया है। यह इस तरह की सभी गतिविधियों को करेगा जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या अनिवार्य है

- (2) उप धारा (1) के उपबंधों की व्याख्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्
- (i) क्षेत्र में परिवहन प्रणाली विकसित करने संबंधी दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने के लिए नीति निर्माण;
 - (ii) बुनियादी परिवहन ढांचे के विकास के लिए वित्त के स्रोत की पहचान;
 - (iii) परिवहन के विभिन्न साधनों, सुरक्षा, किराए, अंतर परिवहन और अन्य संबंधी पहलुओं के बीच एकीकरण को विनियमित करने के लिए नियामक तंत्रों की आवश्यकता की पहचान और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करना।
 - (iv) उप धारा (1) में विहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं के संदर्भ में की जाने वाली पहलों की पहचान; तथा
 - (v) मोबिलिटी संबंधी शोध और विकास तथा स्टैक होल्डर और हित धारकों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना।

धारा 17.-

- (i). उप धारा (1) के रखें:-

“(1) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण धारा 16ग की उप धारा (1) में विहित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह के आंतरिक या बाहरी परामर्श के माध्यम से गतिशीलता प्रबंध योजना के रूप में जाना जाने वाला एक रणनीतिक योजना दस्तावेज तैयार करेगा, जिसे आवश्यक या समीचीन माना जाए।”

- (ii) उप धारा (6) के पश्चात अंतःस्थापित करें :

“(7) सड़कों, फुटपाथो, मेट्रो नेटवर्क, जलमार्ग, रोलिंग स्टॉक, वाहन, जहाजों या किसी भी अन्य मद के सुधार या विकास संबंधी उपबंध जो मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान को लागू करने के लिए आवश्यक हैं, को 15 के अधीन अवसंरचना विकास की धारा वार्षिक योजना में और धारा 16 के अधीन इस तरह से शामिल किया ताकि मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान में विहित ऐसी योजना में सुविधाओं के विकास के लिए समयसीमा का पालन किया जा सके।

(8) यदि एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की राय है कि मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान में परिकल्पित सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक धनराशि पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं की जा रही है, तो यह प्राधिकरण को धारा 27 के अधीन अलग से सहयोग करने की सिफारिश कर सकता है, ताकि इस तरह की विहित सीमाओं के साथ मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके।”

धारा 38. -

उप धारा (8) में “जम्मू-कश्मीर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1997” के स्थान पर, “माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996” रखें।”

धारा 48.-

“राज्य रणबीर दंड संहिता, सवंत 1989 (1996 का 26) “ के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)” की धारा रखें।”

[फा. सं. 11012/16/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th October, 2020.

S.O. 3466(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: —

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Third Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

- (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

THE SCHEDULE

(See Paragraph 3)

STATE LAWS**1. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL ACT, 2000**

(XX of 2000)

Throughout the Act, for “State”, and “Government” substitute respectively “Union territory of Jammu and Kashmir” and “Government of the Union territory of Jammu and Kashmir”.

- Section 1 .—** In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 2.—**
- (i) Omit clause (1);
 - (ii) Renumber clause (2) as clause (1) and after clause (1) so renumbered, insert:-
“(2) “Board” means the Jammu and Kashmir Property Tax Board constituted under the Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2010;” ;
 - (iii) For clause (12) substitute:-
“(12) “District Planning Committee” means a “District Planning Committee” constituted under section 47-A the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989;”
 - (iv) In clause (14-a), omit “being permanent residents of the State”;
 - (v) In clause (22-a), omit “being permanent residents of the State”;
 - (vi) After clause (29-a), insert:-
“(29-b) “Special Tribunal” means the Special Tribunal constituted under section 4 of the Jammu and Kashmir Special Tribunal Act, 1988”; and
 - (vii) After clause (31), insert:-
“(31A) “Taxable annual value” means the taxable annual value of any land and building or vacant land or both determined under section 73 for the purpose of assessment of property tax.”

Insertion of new section- After section 2, insert-

Substitution of expression. “2A. For the words “annual value” or “rateable value” wherever occurring in this Act, the words “taxable annual value” shall be substituted.”.

Insertion of new section -After Section 15, insert-

Qualification. “15A. A person shall not be qualified for being chosen as, and for being, a member of a municipality, unless-

- (a) he is a citizen of India;
- (b) he has attained the age of 25 years; and
- (c) his name is registered as an elector in the electoral roll of any ward in the municipal area.”.

Section 16. In sub-section (1), -

- (i) omit clause (a);
- (ii) in clause (b), for “the State Legislature.” substitute “the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir; or” and omit the proviso thereto”;
- (iii) in clause (f), for “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989(1932 A.D.)”, substitute “the Indian Penal Code, (45 of 1860)”;
- (iv) in clause (k), for “Municipal fund” substitute “Municipal fund or any Department of the Government or local body or authority”.

Section 21.— For “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989 (1932 A.D.)” substitute “the Indian Penal Code, (45 of 1860)”.

Section 22.— Omit “through open ballot.”.

Insertion of new section -After section 33, insert-

Constitution of Ward Committees. “33A. (1) There shall be constituted a Ward Committee for each Ward of the Municipality within a period of six months from the date appointed for its first meeting referred to in sub-section (1) of section 27:

Provided that where a Municipality has been constituted before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), the Ward Committee shall be constituted within two years from such commencement.

(2) Each Ward Committee shall consist of-

(i) the member of the municipality representing the ward, who shall be the chairperson of the Ward Committee;

(ii) not more than ten electors representing the civil society from the ward, to be nominated by the municipality in such manner as may be prescribed:

Provided that if the population of the ward does not exceed two thousand, the number of nominated members shall be four, and if the population of the ward exceeds two thousand, there shall be one additional member for every thousand population or part thereof in excess of two thousand:

Provided further that in reckoning the number of additional members of the Ward Committee exceeding four, any part of population less than one thousand shall be ignored:

Provided also that half of the persons to be nominated to the Ward Committee shall be women.; and

(iii) the representatives of Area Sabha.

Explanation.- For the purpose of this section, the expression civil society means any non-Governmental organisation or association of persons established, constituted or registered under any law for the time being in force, working for social welfare, and includes any community based organisation, residents welfare association, professional institution or any civic, health and educational institution or any social or cultural body or any trade or industrial organisation or other stakeholders or such other association or body, as may be prescribed.

(3) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being, a member of the Ward Committee if he is disqualified for being chosen as, and for being, a member of a municipality under the provisions of this Act.

(4) The term of office of Ward Committee shall be co-terminus with the term of office of the municipality.

(5) The manner of conduct of business at the meetings of the Ward Committee shall be such as may be prescribed.

(6) The Ward Committee shall discharge the following functions, namely:

(i) supervision and monitoring of the -

(a) sanitation work and drainage maintenance;

(b) distribution of water supply;

(c) working of the street lights;

(d) minor repair of roads;

(e) maintenance of markets;

(f) maintenance of parks and playgrounds; and

(g) implementation of poverty alleviation programmes;

(ii) monitoring the functioning of schools, maternity centres, dispensaries and health centres wherever they are under control of the Municipality;

- (iii) facilitation in the collection of taxes;
 - (iv) preparation of list of beneficiaries for beneficiary oriented schemes, pensions and subsidies;
 - (v) prepare an annual ward development plan in a manner consistent with the rules to be prescribed;
 - (vi) map the ward infrastructure index;
 - (vii) preparation of inventory of municipal assets;
 - (viii) assistance in the implementation of all Government schemes; and
 - (ix) any other function as may be prescribed.
- (7) Every Ward Committee shall be empowered to
- (i) seek information from the Executive Officer regarding any matter relating to the ward;
 - (ii) obtain information about the Master Plan and Zonal Developmental Plan of the municipality;
 - (iii) obtain information relating to municipality budget;
 - (iv) be consulted in the development of land use and zoning regulations within the ward; and
 - (v) obtain full details of all revenue items relating to the Ward.
- (8) The Municipality shall allocate twenty percent. of the amount earmarked in the annual budget of the municipality for maintenance of services relating to sanitation, water supply, drainage, roads, street lighting, parks, markets etc. to all Ward Committees enabling them to perform the functions as specified in sub-section (6).
- (9) The Ward Committee may, from time to time, appoint from amongst its members such sub-committees, consisting of such number of members as it may think fit, and may refer to such sub-committees for enquiry or opinion any matter relating to the functions entrusted to it.

**Constitution of
Area Sabha.**

- 33B.** (1) Each ward in a municipality shall be divided into areas in such a manner that each such area shall, as far as possible, comprise of not less than five hundred and not more than one thousand people.
- (2) All the electors of an area of a ward shall constitute the Area Sabha for such area and every Area Sabha shall elect an Area Sabha Representative from amongst themselves.
- (3) The qualifications and disqualifications prescribed for being chosen as, and for being, a member of municipality under the provisions of this Act shall apply mutatis mutandis to the Area Sabha Representative.
- (4) The term of the Area Sabha Representative shall ordinarily be co-terminus with that of the municipality concerned.
- (5) The Area Sabha may, having regard to its managerial, technical, financial and organisational capacity and the actual conditions obtaining in the ward area perform and discharge the following functions and duties, namely:-
- (i) to formulate proposals and determine the priority of schemes and development programmes to be implemented in the area and forward the same to Ward Committee for inclusion in the development plan of the ward;
 - (ii) to identify the eligible persons for beneficiary oriented schemes on the basis of criteria fixed by the Government and prepare the list of beneficiaries in order of priority and forward the same to Ward Committee for inclusion in the development plan of the ward;

- (iii) to verify the eligibility of persons getting various kinds of welfare assistance from Government such as pensions and subsidies;
- (iv) to identify the deficiencies in water supply, street lighting and sanitation arrangements in the jurisdiction of the Area Sabha and to suggest the remedial measures to the Ward Committee;
- (v) to suggest the location of street lights, public taps, public wells, public toilets or any other public facility to the Ward Committee;
- (vi) to assist in the activities of public health centers in the area; and
- (vii) to undertake and support tax mapping.

(6) The Area Sabha, shall be empowered to-

- (i) obtain any information from the official concerned relating to the services and the works proposed to be provided or executed in the area by the Ward Committee;
- (ii) obtain information from the Ward Committee about every decision taken by them concerning the jurisdiction of the Area Sabha;
- (iii) obtain information from the Ward Committee relating to follow up action taken on the decisions concerning the area;
- (iv) impart awareness on matters of public interest such as cleanliness, preservation of the environment and prevention of pollution.

(7) The manner of conduct of business at the meetings of the Area Sabha shall be such as may be prescribed.

(8) The superintendence, direction and control for the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of elections to, the seats of Area Sabha Representatives of the municipalities shall be vested in the Chief Electoral Officer.”.

Section 42.— In sub-section (1), for “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989 (1932 A.D.)” substitute “the Indian Penal Code, (45 of 1860)”.

Section 43.- After clause (u), insert

“(v) providing necessary administrative, financial and infrastructure support to the Ward Committee for its efficient performance of function and discharge of duties.”.

Section 46.— In sub-section (1), for “Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908)”.

Section 60.— In sub-section (2), in the second proviso, for “the Jammu and Kashmir Charitable Endowment Act, 1989” substitute the “Charitable Endowment Act, 1890 (6 of 1890)”.

Section 61.— For “The Jammu and Kashmir Land Acquisition Act, Samvat, 1990” ,substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement, Act 2013 (30 of 2013)”.

Section 65.- In sub-section (1),for clause (a), substitute:-

“(a) taxes on lands and buildings or vacant lands or both situated within the municipal area (hereinafter referred to as ‘property tax’)”.

Section 66.- In sub-section (1),-

(i) omit clause (iii);

(ii) for clause (vi), substitute-

“(vi) a fee for infrastructure development on motor vehicles suitable for use on road within the municipality.

Explanation.- For the purpose of this clause the expression “motor vehicle” shall have the same meaning as assigned to it in the Motor Vehicles Act 1988 (Central Act 59 of 1988);”;

(iii) in clause (viii), omit “at a rate of one paisa”;

(iv) for clause (xiv), substitute-

“(xiv) a fee for the purpose of collection, transportation and disposal of solid waste.

Explanation.- For the purpose of this section ‘solid waste’, includes filth, offensive matter, rubbish sewage, trade effluent, trade refuse, waste from hospital and any other waste which is detrimental to public health;”;

(v) omit clause (xv).

Section 70- (i) for, “tax”, wherever occurring, substitute “tax or fee”; and

(ii) for sub-section (10), substitute-

“(10) A tax or fee leviable shall come into force from such date as may be notified.

Insertion of new section -After section 71, insert

Powers of Government to make interim arrangements with regard to assessment and collection of taxes and fees. “71A (1) The Government may, by notification, make such interim arrangements for the assessment and collection of one or more of the taxes and fees levied in terms of any of the provisions of this Chapter as may be deemed necessary or expedient, and the provisions of this Chapter in so far as they relate to the assessment and collection of any such tax or fee shall stand modified to the extent and in the manner given in the notification during the period such interim arrangements remain in force.

(2) Any interim arrangement so made shall be for a period of up to three years only:

Provided that, for good and sufficient reasons to be recorded in writing, the Government may extend such interim arrangements for a maximum period of up to five years:

Provided further that on the request of the municipality, the Government may extend such interim arrangements for such period and on such conditions as may be mutually agreed between the municipality and the Government”.

For sections 72 to 80, substitute-

Description and class of property tax. “72. (1) Unless exempted under this Act or any other law for the time being in force, property tax shall be levied on all lands and buildings or vacant lands or both situated within the municipal area.

(2) The property tax shall be levied at such percentage not exceeding fifteen per cent. of the taxable annual value of land and building or vacant land or both, as the Government may, by notification, from time to time specify.

Determination of taxable annual value. 73. (1) Subject to the provisions of section 68 and rules, if any, made by the Government in this behalf, the taxable annual value of land and building or vacant land assessable to taxes under this Act shall be calculated by multiplying the corresponding unit area value with the total built-up area of a building or the total area of land, as the case may be, minus depreciation, at such rates as may be prescribed, depending on the age of the building:

Provided that subject to such conditions and in such circumstances as it may deem fit, the municipality may, after passing a resolution in that behalf, in lieu of tax payable under this Act fix a lump sum amount not exceeding the sum payable under section 72 as annual tax for certain categories of property:

Provided further that such a resolution shall come into effect only if it is approved by the Government:

Explanation.- For purpose of sub-section (1), the expression 'unit area value' means the unit area value determined under the Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2013.

(2) The property tax payable shall be reduced by twenty-five percent. in respect of a self-occupied building used for residential purpose and such class of self-occupied non-residential building as may be notified by the Government on the recommendation of the municipality.

(3) The person liable to pay the property tax shall pay the tax in two equal installments, the first being before 30th May and the second by the 30th November of each financial year:

Provided that the owner or occupier may, if he so chooses, pay the tax in one installment:

Provided further that if the owner or occupier who is liable to pay property tax files return and also pays property tax for the whole year within one month from the date of commencement of the financial year, he shall be allowed a rebate of ten per cent. on the tax payable by him.

(4) Before any owner or occupier submits any return under sub-section (5), he shall pay in advance half year tax calculated or the full amount of the property tax payable by him for the year on the basis of such return declared by him as being true and complete.

(5) Every owner or occupier, who is liable to pay property tax under this Act, shall every year submit to the Executive Officer or any officer authorised by him in this behalf a return in the prescribed form within the stipulated period and in the prescribed manner.

(6) In order to facilitate filing of return by an owner or occupier of any building or vacant land or both and assessment of property tax under this section, the Board shall, from time to time, issue guidelines for determining the taxable annual value of the property and the tax payable thereon.

(7) Every return filed by an owner or occupier shall be deemed to be assessed to tax except in cases where the Executive Officer or any officer authorised by him take up cases for random scrutiny in such manner as may be prescribed.

(8) For the purpose of random scrutiny of the return filed or in cases where returns are not filed as required under sub-section (5) in respect of any building or land or both, the Executive Officer or any officer authorised by him in this behalf may enter any land or building for inspection, survey or measurement after giving notice to the owner or occupier and the owner or the occupier shall be bound to furnish necessary information required and based on such inspection and information collected, the Executive Officer or such other officer, as the case may be, shall assess the property tax subject to sub-sections (10) and (11) and send a copy of the order of assessment to the owner or occupier concerned:

Provided that no such entry shall be made into and upon any building or vacant land before sunrise and after sunset.

(9) If the owner or occupier of the property refuses to allow the authorised officer to enter the premises for inspection, survey or measurement, the officer shall, after intimating such owner or occupier in this behalf, record the refusal and proceed to assess the property to the best of his judgment:

Provided that in case of a building used as human dwelling, due regard shall be paid to the social and religious customs of the occupiers thereof and no residential premises in the actual occupancy of a women shall be entered until she has been informed that she is at liberty to withdraw and every facility has been afforded to her for withdrawing.

(10) Upon random scrutiny, if the Executive Officer or the officer authorised by him in this behalf has reasons to believe that any return furnished, which is deemed as assessed, is incorrect or has been under-assessed resulting in evasion of property tax, he may, on the basis of information available on record and after physical inspection, proceed to re-assess the property after giving a reasonable opportunity to the tax payer to make a representation in this behalf.

(11) After making re-assessment under sub-section (10), the Executive Officer or the authorised officer, shall issue a notice of re-assessment to the tax payer demanding that the re-assessed tax shall be paid within thirty days of the service of the notice:

Provided that if the tax re-assessed is higher than the tax remitted along with the returns by more than five per cent. the evaded tax shall be payable by such person together with a penalty of not less than two times of the tax so evaded along with interest for the difference in tax paid and payable calculated at twelve percent. per annum.

(12) The owner or occupier may either accept the property tax assessed and the penalty levied under sub-section (11) or send objections to the Executive Officer or the authorised officer within thirty days from the date of receipt of the notice under sub-section (11).

(13) The Executive Officer or the officer authorised by him shall consider the objections, if any, received under sub-section (12) and pass such orders either confirming or revising such re-assessment within a period of sixty days from the date of filing of objections and send a copy of the order to the concerned tax payer.

(14) An assessment or re-assessment under this section shall not be made on expiry of three years after-

- (i) filing the tax return under this section;
- (ii) the evidence of fact justifying re-assessment, comes to the knowledge of the Executive Officer or the officer authorised by him in this behalf.

(15) In computing the period of limitation specified for assessment or re-assessment, as the case may be, under this Act, the period taken for the disposal of any appeal against an assessment order or other proceedings by the appellate authority, tribunal or competent court shall not be taken into account.

(16) The property tax assessed and levied under this section shall be subject to revision once in three years by enhancing the tax by such percentage not exceeding ten percent. of the tax as may be prescribed, commencing from the financial year from which the property tax is determined under this section (hereinafter referred to as base year):

Provided that the non-assessment of property tax under this section during the block period of three years shall not be applicable to a building which undergoes any addition, change of use, alteration, or variation and the owner or occupier shall report such changes within six months from the date of completion or occupation, whichever is earlier, along with the revised return and tax:

Provided further that nothing contained in this sub-section shall be deemed to affect the powers of the Board to order an earlier revision of property tax for reasons to be recorded in writing and after giving a reasonable opportunity of filing objections to the person liable to pay tax.”

Incidence of tax. 74. (1) The property tax shall be primarily leviable and payable as follows:-

- (a) if the land or building is let, upon the lessor;
- (b) if the land or building is sub-let, upon the superior lessor;

(c) if the land or building is unlet, upon the person in whom the right to let the same vests.

(2) If any land has been let for a term exceeding one year to a tenant and such tenant has built upon the land, the property tax assessed in respect of that land and the building erected thereon shall be primarily leviable upon the said tenant, whether the land, building or both are in the occupation of such tenant or a sub-tenant of such tenant.

Explanation.—The term “tenant” includes any person deriving title to the land or building erected upon such land from the tenant whether by operation of law or by transfer inter vivos.

(3) Assessment of any building to a tax under this Act would not imply or be proof of the fact that the building is an authorised one.

Duty to furnish information.

75. (1) Every person shall, on the demand of any officer duly authorised by the municipality in this behalf, furnish such information as may be necessary in order to ascertain—

(a) the name and place of a residence of the owner or occupier or of both of such land or building;

(b) the measurements or dimensions of such land or building or vacant land or both or any portion thereof and whether the property has been let out or otherwise and its usage; and

(c) any details required in connection with the determination of the taxable annual value.

(2) Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and give true information to the best of his knowledge or belief.

(3) Whoever omits to comply with any such requisition or fails to give true information to the best of his knowledge or belief shall, in addition to the tax levied, be also liable for penalty which may not be less than the tax so payable.

Evidentiary value of assessment list and unit area value.

76. The entries in the assessment list prepared under section 16, and the unit area value determined under section 18, of the Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2013 shall be accepted as conclusive evidence for the purposes of assessing any tax levied under this Act and taxable annual value of land and building or vacant land or both to which such entries or determination respectively relate.”

Tax not invalid for defect of form.

77. No assessment and no charge or demand of any tax made under this Act shall be called in question on the ground, or be affected by reason, of any mistake in the name, residence, place of business or occupation of any person liable to pay the tax, or of any mistake in the amount of assessment or tax, or of any clerical error or other defect of form; and it shall be enough in respect of any such tax on property if the property taxed or assessed is so described as to be generally known; and it shall not be necessary to name the owner or occupier thereof.

Notice on transfer of title.

78.(1) Whenever the title to or over any building or land of any person primarily liable for the payment of property tax on such property is transferred, the transferee and the transferor shall within three months, of the registration of the deed of transfer if it be registered, or of its execution if it be not registered, or of the actual transfer if no instrument is executed, give notice in writing of such transfer to the municipality.

(2) If a person who is primarily liable for the payment of a tax on any property transfers his title on, or over, such property, and fails to give notice of such transfer to the municipality as aforesaid, he shall, in addition to any other liability which he incurs through such neglect, continue to be liable for payment of all such taxes from time to time payable in respect of the said property until he gives such notice or until the transfer is recorded in the books of the municipality.

(3) Whenever the title on or over any building or land has devolved upon any person by inheritance, the heir shall, within three months of the date of the death of the former owner, give notice in writing of such inheritance to the municipality.

(4) Nothing in this section shall diminish the liability of the transferee or heir for the said taxes or to affect the prior claim of the municipality for the recovery of the taxes due thereupon.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-sections (1) or (3) shall, in addition to any other penalty which he incurs through such neglect, be punishable with a fine which shall not be less than one thousand rupees and not more than five thousand rupees, and in the case of a continuing breach, with a further fine of one hundred rupees for every day after the first conviction till the breach continues.

Notice of erection of building etc.

79. When any new building is erected, or any existing building is reconstructed or altered or improved, or when any building which has been vacant is re-occupied, the person primarily liable to pay tax under this Act shall give notice thereof in writing to the Executive Officer within fifteen days from the date of its completion or occupation, whichever first occurs or as the case may be, from the date of its alteration, improvement or re-occupation and the tax shall be assessable on the building from the said date.

Notice of demolition or removal of building.

80. (1) When any building or any portion thereof, which is liable to tax under this Act, is demolished or removed, otherwise than by or under an order of the Executive Officer, the person primarily liable for the payment of the tax shall give notice thereof in writing to the Executive Officer.

(2) Until notice is given under sub-section (1), the person primarily responsible for payment of tax shall continue to be liable to pay such taxes as he would have been liable to pay in respect of such building if the same or any portion thereof had not been demolished or removed.”.

Section 81.- Omit.

For sections 82 and 83, substitute-

Power of Government to exempt payment of taxes.

“82.(1) The Government may, by order exempt, in whole or in part, from the payment of any tax payable under this Act by any person or class of persons or in respect of any property or description of property.

(2) If at any time, it appears to the Government on complaint made or otherwise, that any tax imposed is unfair in its incidence or that the levy thereof or of any part thereof is detrimental to the interests of the general public, it may require the municipality to take within a specified period measures to remove the objections; and, if within that period the requirement is not complied with to the satisfaction of the Government, it may, by notification, suspend the levy of tax or of such part thereof until the objection has been removed.

Taxation of Union Properties.

83. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Chapter, lands and buildings or vacant lands or both being properties of Union of India shall be exempted from the taxes:

Provided that nothing in this section shall prevent the Municipality from levying a service charge on any property of the Central Government which is exempted from payment of property tax under this section, at the rate upto five per centum of the taxable annual value of such land and building.”.

Section 84.- Omit.

Section 85.- Omit.

Section 87.- In sub-section (1), for “any moveable property” substitute “any moveable property including any sum of money due or likely to become due to such defaulter from any person or entity including a bank, a Department of the Government, or any other entity by whatever name called,”

Section 88.- Omit.

For sections 89 to 92, substitute-

Taxes on lands and buildings as first charge.

“89. Taxes due under this Act in respect of any land and building or vacant land or both shall, subject to the prior payment of the land revenue if any due to the Government, be a first charge thereon.

Explanation.- The term “taxes” in this section shall be deemed to include the cost of recovery thereof and the penalty, if any, payable under this Act.

Appeal.

“90. (1) An appeal against-

- (i) the levy of any tax or fee; or
- (ii) the refusal to refund any tax or fee; or
- (iii) the calculation of taxable annual value of any property; or
- (iv) the assessment or re-assessment of any tax payable; or
- (v) any penalty imposed,

under this Act shall lie to the Jammu and Kashmir Property Tax Board.

(2) If on the hearing of an appeal under this section, any question as to the liability to, or the principle of assessment of tax arises on which the Board entertains reasonable doubt, the Board may, either of its own motion or on an application of any person interested, draw up a statement of the facts of the case and the point on which doubt is entertained and refer the statement with its own opinion on the point for the decision of the High Court.

(3) If the High Court is not satisfied that the statements contained in the case are sufficient to enable it to determine the questions raised thereby, the Court may refer the case back to the Board, to make such additions thereto or the alterations therein as the Court may direct in that behalf.

(4) The High Court, upon the hearing of any such case, shall decide the questions raised thereby, and shall deliver its judgment thereon containing the grounds on which decision is founded.

(5) The High Court shall send to the Board a copy of such judgment under the seal of the Court and signature of the Registrar; and the Board shall, on receiving such copy, dispose of the case conformably to such judgment.

(6) In every appeal, the costs shall be in the discretion of the Board.

(7) The costs awarded under this section in favour of a municipality shall be recoverable by the municipality as if they were arrears of a tax, due from the appellant.

(8) If the municipality fails to pay the costs awarded to an appellant within ten days after the date of the order for payment thereof, the Board may order the person having the custody of the balance of the municipal fund to pay the amount.

Limitation for appeal.

91. (1) No appeal shall lie under section 90 unless it is preferred within one month after the order appealed against is made or in respect of any tax within one month from the time when the demand for the tax is made:

Provided that an appeal may be admitted after the expiration of the period prescribed under this section, if the appellant satisfies the Board that he had sufficient cause for not presenting the appeal within that period.

(2) No appeal shall be entertained unless the appellant has paid all other municipal taxes due from him to the municipality up to the date of such appeal.

Revision. 92. Any person aggrieved by an order passed in appeal under section 90 may within thirty days of the passing of such order prefer an application before the Special Tribunal for revision against the said order and the Tribunal may confirm, alter or rescind the said order:

Provided that the Tribunal shall not pass an order under this section prejudicial to any person without giving such person reasonable opportunity of being heard.”.

Section 93.- Omit.

Section 162.— For “the State Ranbir Penal Code, Svt. 1989”, substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 215.— For “section 15 of the Jammu and Kashmir Wild Life (Protection) Act, 1978” substitute “Wild Life (Protection) Act, 1972(53 of 1972)”.

Section 243.— In sub-section (2), for “the Jammu and Kashmir Land Acquisition Act, Samvat, 1990” substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act 2013 (30 of 2013)”.

After section 248, insert-

Eviction of unauthorised occupant.

“248A. (1) Notwithstanding anything contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, if the Executive Officer is of the opinion that any person is in unauthorised occupation of any property and that he should be evicted, the Executive Officer shall issue, in the manner hereinafter provided, a notice in writing calling upon that person to show cause as to why an order of eviction should not be passed.

(2) If, after considering the reply, if any, given by such person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same, and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the Executive Officer is satisfied that the property is in unauthorised occupation, the Executive Officer shall make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the property shall be vacated by all persons who may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be made public.

(3) If any person refuses to, or fails to comply with, the order of eviction within thirty days of the date of service of order under sub-section (2), the Executive Officer shall evict that person and take possession of the said property and may, for the purpose, call upon the officer in charge Police Station of the area to render such assistance as may be necessary for evicting that person.

(4) Where any person has been evicted from any property under sub-section (3), the Executive Officer may, after giving a notice to the person from whom possession of the property has been taken and after publishing such notice in at least two daily news papers having wide circulation in the locality, remove or cause to be removed any article remaining on such property and may make an order for the proper custody of such article:

Provided that if the owner of the article refuses or fails to take delivery thereof after notice or if the article is subject to speedy and natural decay, the Executive Officer may cause it to be disposed of by public auction and deliver the sale proceeds thereof, after deduction of cost incurred on such public auction, to such owner.

(5) Any person aggrieved by an order of the Executive Officer made in respect of any property under sub-section (3) or sub-section (4) may prefer an appeal to the District Judge having jurisdiction over the area in which the property is located within a period of thirty days from the date of order.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, nothing done or purported to have been done under this section shall be called in question in any Court except as provided under sub-section (5).

Explanation.- For the purpose of this section, “unauthorised occupations” means occupation by any person of any property, being the property of the Municipality or where Municipality has any interest in such property, without authority for such occupation and includes the continuance in occupation by any person of such property after the authority, whether by way of lease, mortgage or otherwise, under which he was authorised to occupy such property, has expired.”.

- Section 256.-** In sub-section (1), for “audited by a separate and independent auditing agency under the control of Director”, substitute “audited by the Comptroller and Auditor General of India”.
- Section 260.—** In sub-section (1), for “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
- Section 261.—** For “the District and Development Board” substitute “the District Planning Committee constituted under section 47-A of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989”.
- Section 262.—** (i) For “The District Planning and Development Board” wherever occurring, substitute “The District Planning Committee”;
- (ii) In sub-section (1) for “section 45” substitute “section 47-A”;
- (iii) omit sub-section (2); and
- (iv) re-number existing sub-sections (3) and (4) as sub-sections (2) and (3) respectively.
- Section 263.—** In sub-section (1), in the Explanation, for “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989 (1932 A.D.)” substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.
- Section 273.—** In sub-section (1), in clause (a), for “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989” substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.
- Section 286.—** In sub-section (1), in clause (c), for “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
- Section 289.—** (i) In sub-section (1), in clause (c), for “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”;
- (ii) in sub-section (2), for “Evidence Act, Samvat 1977”, substitute “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”.
- Section 291.—**(i) For “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”;
- (ii) in clause (g), for “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
- Section 292.—** For “section 93 of the of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957” substitute “The Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)”.
- Section 294.—** In sub-section(2), for “the State Ranbir Penal Code, Svt. 1989” substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.

For section 307, substitute-

Posts in Municipality and appointments thereto.

“307.(1) The Government may, for ensuring efficient management of the affairs of the Municipalities and other urban bodies, and to sub serve the common good, establish one or more Urban Service or Services as may be considered necessary, and each such Service shall comprise of such number, classes and categories of posts as may be prescribed.

(2) The qualifications, method of recruitment, reservation, deputation, transfer from one urban body to another, seniority, salaries, leave, allowances, pension gratuity and other conditions of service including disciplinary matters of officers and servants in each of these Services shall be such as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a person appointed to an Urban Service constituted in terms of this section shall not be deemed to have been appointed under any civil service or post under the Government.”

Insertion of new section -After section 307, insert-

Power of Government to appoint officers and servants. “**307 A** (1) The Government or any officer authorised by it in this behalf may appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient discharge of duties by the Municipality.

(2) The salary, allowances, gratuity, pension contribution and other payments required to be made, in accordance with the conditions of the services to the officers and officials employed for the discharge of duties of the Municipality under this Act, shall be charged from the Municipal Fund in the prescribed manner.”.

2. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL CORPORATION ACT, 2000 (XXI of 2000)

Throughout the Act, (i) for “State” substitute respectively “Union territory of Jammu and Kashmir” ; and, (ii) for “rateable value” substitute “taxable annual value”.

Section 1 .— In sub section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 2.— (i) After clause (1), insert-

“(1A) “Board” shall mean the Jam- mu and Kashmir Property Tax Board constituted under the Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2013;” ;

(ii) In clause (6), omit “of the State”;

(iii) For clause (14), substitute:-

“(14) “District Planning Committee” means a “District Planning Committee” constituted under section 47-A of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989;”;

(iv) In clause (17-a),

(a) omit “being permanent residents of the State”; and

(b) for “the dimension 4 meter x 7.5 meter and carpet area within the range of 25 square meters to 30 square meters” substitute “such dimension as may be prescribed”;

(v) In clause (27-a),

(a) omit “being permanent residents of the State”; and

(b) for “dimension 4.5 meter x 10 meter and floor area of not exceeding 50 square meter in case of flatted accommodation” substitute “such dimension as may be prescribed”;

(vi) Omit clause (49); and,

(vii) After clause (60), insert-

“(60A) “Taxable annual value” means the taxable annual value of any land and building or vacant land or both determined under section 88 for the purpose of assessment of property tax;”.

Section 7. (i) Omit clause (a); and,
(ii) in clause (b), for “eighteen years” substitute “twenty-five years”;

Section 8.— (a) In sub-section (1),-(i) for “the Legislature of the State:” wherever occurring substitute “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir;” and omit the proviso thereto;

(ii) in clause (f), in sub-clause (ii), omit “section 171-E or 171-f of the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal code Samvat, 1989 or any offence punishable under”;

(iii) in clause (o), omit “of State”;

(iv) in clause (p), for “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”;

(v) in clause (q), for “Corporation” substitute “Corporation or any Department of the Government or local body or authority”;

(b) in sub-section (8), omit “or the Legislative Council occurring at both the places”

Section 11.— In sub-section (2), in Explanation-I for “section 16 of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957 substitute “Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) ”.

Section 14.— In sub-section (4), in clause (c) for “Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908)”.

Section 17.— For “Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908)”.

Section 21.— (i) In clause (i), for “section 132 of the of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957” substitute “Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)”;

(ii) in clause (ii), for “sub-section (2) of 132 of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957” substitute “Representation of the People Act, 1951”.

Section 31.— In sub-section (1), in clause (h)—

(i) after sub-clause (vi), insert -

“(vi-a) the manner of giving and recording of votes by means of voting machines and the procedure as to voting to be followed at polling stations where such machines are used ”;

(ii) after sub-clause (viii), insert-

“(viii-a) the procedure as to counting of votes recorded by means of voting machines”;

(iii). for sub-clause (ix), substitute-

“(ix) the custody of voting machines and disposal of papers relating to elections ”;

(iv) for sub-clause (xi), substitute -

“(xi) the holding of fresh poll in case of destruction of, or tampering with ballot boxes or voting machines, or mechanical failure of voting machines, before the count”.

Section 33.— Omit “and Constitution of Jammu and Kashmir as by law established”.

- Section 36.—**
- (i) in sub-section (1), omit “and thereafter at the expiration of two years and six months,” and “through open ballot”;
 - (ii) in sub-section (2)-
 - (a) for “two years and six months” substitute “five years”; and,
 - (b) for “:” at the end of first proviso substitute “.” and omit the second proviso.

Insertion of new section -After section 39, insert

Constitution of Ward Committees.

“**39A.**(1) There shall be constituted by the Corporation a Ward Committee for each ward in a Corporation within a period of six months from the date appointed for its first meeting referred to in sub-section (1) of section 36:

Provided that where a Corporation has been constituted before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019,(34 of 2019)the Ward Committee shall be constituted within two years from such commencement.

(2) Each Ward Committee shall consist of-

- (i) the member of the Municipal Corporation representing the ward, who shall be the chairperson of the Ward Committee;
- (ii) the Area Sabha representative, if any, of the area situated in the ward; and
- (iii) not more than ten electors representing the civil society from the ward, to be nominated by the Municipal Corporation in such manner as may be prescribed:

Provided that if the population of the ward does not exceed ten thousand, the number of nominated members shall be four, and if the population of the ward exceeds ten thousand, there shall be one additional member for every four thousand population or part thereof in excess of ten thousand:

Provided further that in reckoning the number of additional members of the Ward Committee exceeding four, any part of population less than four thousand shall be ignored:

Provided also that half of the persons to be nominated the expression to the Ward Committee shall be women.

Explanation.- For the purpose of this section and section 39B, the expression “civil society means any non-Governmental organisation or association of persons established, constituted or registered under any law for the time being in force, working for social welfare, and includes any community based organisation, residents welfare association, professional institution or any civic, health and educational institution or any social or cultural body or any trade or industrial organisation or other stakeholders or such other association or body, as may be prescribed.

(3) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being, a member of the Ward Committee if he is disqualified for being chosen as, and for being, a member of a Municipal Corporation under the provisions of this Act.

(4) The term of office of Ward Committee shall be co-terminus with the term of office of the Municipal Corporation.

(5) The manner of conduct of business at the meetings of the Ward Committee shall be such as may be prescribed.

(6) The Ward Committee shall discharge the following functions, namely:-

- (i) supervision and monitoring of the -
 - (a) sanitation work and drainage maintenance;
 - (b) distribution of water supply;
 - (c) working of the street lights;
 - (d) minor repair of roads;
 - (e) maintenance of markets;
 - (f) maintenance of parks and playgrounds; and
 - (g) implementation of poverty alleviation programmers;
- (i) monitoring the functioning of schools, maternity centres, dispensaries and health centres wherever they are under control of the Municipal Corporation;
- (ii) facilitation in the collection of taxes;
- (iii) preparation of list of beneficiaries for beneficiary oriented schemes, pensions and subsidies;
- (iv) prepare an annual ward development plan in a manner consistent with the rules to be prescribed;
- (v) map the ward infrastructure index;
- (vi) preparation of inventory of municipal assets; assistance in the implementation of all Government schemes; and
- (vii) any other function as may be prescribed.

(7) Every Ward Committee shall be empowered to-

- (i) seek information from the Commissioner regarding any matter relating to the ward;
- (ii) obtain information about the master plan and zonal developmental plan of the Municipal Corporation;
- (iii) obtain information relating to Municipal Corporation budget;
- (iv) be consulted in the development of land use and zoning regulations within the ward; and
- (v) obtain full details of all revenue items relating to the Ward.

(8) The Municipal Corporation shall allocate twenty percent. of the amount earmarked in the annual budget of the Municipal Corporation for maintenance of services relating to sanitation, water supply, drainage, roads, street lighting, parks, markets etc. to all Ward Committees enabling them to perform the functions as specified in sub-section (6).

(9) The Ward Committee may, from time to time, appoint from amongst its members such sub-committees, consisting of such number of members as it may think fit, and may refer to such sub-committees for enquiry or opinion any matter relating to the functions entrusted to it.

Constitution of Area Sabha

39B. (1) Each ward in a Municipal Corporation shall be divided by the Corporation into areas in such a manner that each such area shall, as far as possible, comprise of not less than one thousand and not more than two thousand people.

(2) All the electors of an area of a ward shall constitute the Area Sabha for such area and every Area Sabha shall elect an Area Sabha Representative from amongst themselves.

(3) The qualifications and disqualifications prescribed for being chosen as, and for being, a member of Municipal Corporation under the provisions of this Act shall apply mutatis mutandis to the Area Sabha Representative.

(4) The term of the Area Sabha Representative shall ordinarily be co-terminus with that of the Municipal Corporation concerned.

(5) The Area Sabha may, having regard to its managerial, technical, financial and organisational capacity and the actual conditions obtaining in the ward area perform and discharge the following functions and duties, namely:-

- (i) to formulate proposals and determine the priority of schemes and development programmes to be implemented in the area and forward the same to Ward Committee for inclusion in the development plan of the ward.
- (ii) to identify the eligible persons for beneficiary-oriented schemes on the basis of criteria fixed by the Government and prepare the list of beneficiaries in order of priority and forward the same to Ward Committee for inclusion in the development plan of the ward.
- (iii) to verify the eligibility of persons getting various kinds of welfare assistance from Government such as pensions and subsidies;
- (iv) to identify the deficiencies in water supply, street lighting and sanitation arrangements in the jurisdiction of the Area Sabha and to suggest the remedial measures to the Ward Committee;
- (v) to suggest the location of street lights, public taps, public wells, public toilets or any other public facility to the Ward Committee.
- (vi) to assist in the activities of public health centers in the area; and
- (vii) to undertake and support tax mapping.

(6) The Area Sabha, shall be empowered to-

- (i) obtain any information from the official concerned relating to the services and the works proposed to be provided or executed in the area by the Ward Committee.
- (ii) obtain information from the Ward Committee about every decision taken by them concerning the jurisdiction of the Area Sabha;
- (iii) obtain information from the Ward Committee relating to follow up action taken on the decisions concerning the area; and
- (iv) impart awareness on matters of public interest such as cleanliness, preservation of the environment and prevention of pollution.

(7) The manner of conduct of business at the meetings of the Area Sabha shall be such as may be prescribed.

(8) The superintendence, direction and control for the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of elections to, the seats of Area Sabha Representatives of the Municipal Corporation shall be vested in the Chief Electoral Officer.”

Section 40.— (i) In sub-section (1),-

(a) in clause (a), for “General Functions Committee” substitute “Executive Committee”;

(b) in clause (c), omit “and”; and

(c) in clause (d), substitute the sign full stop (.) by sign semi-colon (;) and thereafter, add the following clauses, namely,-

“(e) Housing for All Committee;

(f) Skill Up-gradation and Self Employment Committee; and

(g) Swacch Bharat Committee.”;

(ii) in sub-section (2), substitute the full stop at the end of the proviso by colon and thereafter insert the proviso-

“Provided further that the Executive Committee shall consist of the Mayor, who shall be its Chairman, a member representing largest opposition group or party in the Corporation, four members to be elected by the elected members of the Corporation and the Commissioner who shall be its ex-officio Secretary.”;

(iii) for sub-section (3), substitute-

“(3) The Executive Committee shall perform functions relating to the establishment matters, communications, construction of roads and buildings, housing, relief against natural calamities and all residuary matters and shall be empowered to-

(i) make recommendations on all policy matters for discussion and decision by the General Council;

(ii) approve the budget;

(iii) approve all development plans, annual action plans and works plans;

(iv) approve contracts above rupees one crore or such higher amount as the corporation may fix; and

(v) make recommendations to the General Council about staffing pattern in the Corporation and all other service matters.”;

(iv) after sub-section (6), insert -

“(6A) The Housing for All Committee shall perform functions related to monitoring and review of progress under the Prime Minister Awas Yojana.

(6B) The Skill Up-gradation and Self Employment Committee shall perform functions related to monitoring and review of progress under the National Urban Livelihood Mission.

(6C) The Swacch Bharat Committee shall perform functions related to monitoring and review of progress under the Swacch Bharat Mission.”;

(v) for sub-section (7), substitute -

“(7) The Mayor shall be the ex-officio member and also the Chairman of the Executive Committee and the Finance and Planning Committee and the Deputy Mayor shall be the ex-officio member and also the Chairman of the Housing for All Committee and Skill Up-gradation and Self Employment Committee.”.

Section 42.-- In sub-section (1),-

(i) after clause (a), insert-

“(aa) the preparation of plans for urban planning including town planning ;

- (ab) the preparation of city development plans;”;
- (ii) in clause (b), after sub-clause (xv) insert-
“(xvi) Fire services;”.

Section 43.- After clause (u), insert –

“(v) providing necessary administrative, financial and infrastructure support to the Ward Committee for its efficient performance of function and discharge of duties.”.

Section 50.-- For “the Corporation and its Mayor”, substitute “the Corporation”.

For section 67, substitute-

Posts in Corporation and appointments thereto.

“67. (1) The Government may, for ensuring efficient management of the affairs of the Municipal Corporations and other urban bodies, and to subserve the common good, establish one or more Urban Service or Services as may be considered necessary and each such Service shall comprise of such number, classes and categories of posts as may be prescribed.

(2) The qualifications, method of recruitment, reservation, deputation, transfer from one urban body to another, seniority, salaries, leave, allowances, pension gratuity and other conditions of service including disciplinary matters of officers and servants in each of these Services shall be such as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a person appointed to an Urban Service constituted in terms of this section shall not be deemed to have been appointed under any civil service or post under the Government.”

Staff.

67A (1) The Government or any officer authorised by it in this behalf may appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient discharge of duties by the Corporation.

(2) The salary, allowances, gratuity, pension contribution and other payments required to be made, in accordance with the conditions of the services to the officers and officials employed for the discharge of duties of the Corporation under this Act, shall be charged from the Corporation Fund in the prescribed manner.”.

Section 84.—

(i) In sub-section (1), for clause (a) substitute “(a) taxes on land and buildings or vacant lands or both situated within the Municipal Corporation area (hereinafter referred to as property tax);”;

(ii) In sub-section (2),-

(a) in clause (e), omit “at a rate not exceeding 2 paise”;

(b) for clause (g), substitute-

“(g) water tax; and

(h) any other tax that may be imposed under the Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000.”; and

(iii) In sub-section 3, before “bye-laws”, insert “rules and”.

Section 85.—

In sub-section (1), for clause (vii) substitute-

“(vii) a fee for infrastructure development on motor vehicles suitable for use on road within the city.

Explanation.- For the purpose of this clause the expression “motor vehicle” shall have the same meaning assigned to it is the Motor Vehicles Act 1988 (Central Act 59 of 1988);

- (viii) a fee for the purpose of collection, transportation and disposal of solid waste.

Explanation.- For the purpose of this section solid waste, includes filth offensive matter, rubbish sewage, trade effluent, trade refuse, waste from hospital and any other waste which is detrimental to public health;

- (ix) any other fee as the Corporation may deem fit by for services rendered by it.”

Section 86.— For section 86, substitute-

Description and class of property tax.

“**86.** (1) Unless exempted under this Act or any other law for the time being in force, property tax shall be levied on all lands and buildings or vacant lands or both situated within the Municipal Corporation.

(2) The property tax shall be levied at such percentage, not being more than fifteen per cent. of the taxable annual value of land and building or vacant land or both, as the Government may, by notification, from time to time specify:

Provided that the Government may exempt certain classes or categories of persons or lands and buildings, or vacant lands or both from the payment of the property tax.

(3) Notwithstanding any exemption granted under sub-section (2), it shall be open to the Corporation to collect service charges for providing civic amenities and for general or specific services rendered at such rates as may be specified by the Corporation by notification.”.

\Section 87.--Omit.

Section 88.-- For section 88, substitute-

Determination of taxable annual value.

“**88.** (1) Subject to the provisions of section 86 and rules, if any, made by the Government in this behalf, the taxable annual value of land and building or vacant land assessable to taxes under this Act shall be calculated by multiplying the corresponding unit area value with the total built-up area of a building or the total area of land, as the case may be, minus depreciation, at such rates as may be prescribed, depending on the age of the building:

Provided that subject to such condition and in such circumstances as may be notified by the Commissioner, the Municipal Corporation may, in lieu of tax payable under this Act, fix a lump sum amount as annual tax for a certain category of properties.

Explanation.-For purpose of sub-section (1), the “unit area valu” means the unit area value determined under the Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2013.

(2) The property tax payable shall be reduced by twenty -five percent. in respect of a self-occupied building used for residential purpose and such class of self-occupied non-residential building as may be notified by the Government on the recommendation of the Corporation.

(3) The person liable to pay the property tax shall pay the tax in two equal installments, the first being before the 30th May and the second by the 30th November of each financial year:

Provided that the owner or occupier may, if he so chooses, pay the tax in one installment:

Provided further that if the owner or occupier who is liable to pay property tax files return and also pays property tax for the whole year within one month from the date of commencement of the financial year, he shall be allowed a rebate of ten percent. on the tax payable by him;

Provided also that the Government may, on the recommendation of the Corporation, by notification, extend the time limit for the payment of property tax without penalty and for the benefit of ten percent. rebate in respect of the financial year 2020-21.

(4) Before any owner or occupier submits any return under sub-section (5), he shall pay in advance half year tax calculated or the full amount of the property tax payable by him for the year on the basis of such return declared by him as being true and complete.

(5) Every owner or occupier who is liable to pay property tax under this Act, shall every year submit to the Commissioner or any officer authorised by him in this behalf a return in prescribed form within the stipulated period and in the prescribed manner.

(6) In order to facilitate filing of return by an owner or occupier of any building or vacant land or both and assessment of property tax under this section, the Commissioner shall, from time to time, issue guidelines for determining the taxable annual value of the property and the tax payable thereon.

(7) Every return filed by an owner or occupier shall be deemed to be assessed to tax except in cases where the Commissioner or any officer authorised by him take up cases for random scrutiny in such manner as may be prescribed.

(8) For the purpose of random scrutiny of the return filed or in cases where returns are not filed as required under sub-section (5) in respect of any buildings or lands or both, the Commissioner or any officer authorised by him in this behalf may enter any land or building for inspection, survey or measurement after giving notice to the owner or occupier and the owner or the occupier shall be bound to furnish necessary information required and based on such inspection and information collected, the Commissioner or such other officer shall assess the property tax subject to sub-sections (10) and (11) and send a copy of the order of assessment to the owner or occupier concerned:

Provided that no such entry shall be made into and upon any building or vacant land before sunrise and after sunset.

(9) If the owner or occupier of the property refuses to allow the authorised officer to enter the premises for inspection, survey or measurement, the officer shall, after intimating such owner or occupier in this behalf, record the refusal and proceed to assess the property to the best of his judgment:

Provided that in case of a building used as human dwelling, due regard shall be paid to the social and religious customs of the occupiers thereof and no residential premises in the actual occupancy of a women shall be entered until she has been informed that she is at liberty to withdraw and every facility has been afforded to her for withdrawing.

(10) Upon random scrutiny, if the Commissioner or the officer authorised by him in this behalf has reasons to believe that any return furnished, which is deemed as assessed, is incorrect or has been under-assessed resulting in evasion of property tax, he may, on the basis of information available on record and after physical inspection, proceed to re-assess the property after giving a reasonable opportunity to the tax payer to make a representation in this behalf.

(11) After making re-assessment under sub-section (10), the Commissioner or the authorised officer, shall issue a notice of re-assessment to the tax payer demanding that the re-assessed tax shall be paid within thirty days of the service of the notice:

Provided that if the tax re-assessed is higher than the tax remitted along with the returns by more than five percent, the evaded tax shall be payable by such person together with a penalty of not less than two times of the tax so evaded along with interest for the difference in tax paid and payable calculated at twelve percent. per annum.

(12) The owner or occupier may either accept the property tax assessed and the penalty levied under sub-section (11) or send objections to the Commissioner or the authorised officer within thirty days from the date of receipt of the notice under sub-section (11).

(13) The Commissioner or the officer authorised by him shall consider the objections, if any, received under sub-section (12) and pass such orders either confirming or revising such re-assessment within a period of sixty days from the date of filing of objections and send a copy of the order to the concerned tax payer.

(14) An assessment or re-assessment under this section shall not be made on expiry of three years after-

- (i) filing the tax return under this section;
- (ii) the evidence of fact justifying re-assessment, comes to the knowledge of the Commissioner or the officer authorised by him in this behalf.

(15) In computing the period of limitation specified for assessment or re-assessment, as the case may be, under this Act, the period taken for the disposal of any appeal against an assessment order or other proceedings by the appellate authority, tribunal or competent court shall not be taken into account.

(16) The property tax assessed and levied under this section shall be subject to revision once in three years by enhancing the tax by such percentage not exceeding fifteen percent. of the tax as may be prescribed, commencing from the financial year from which the property tax is determined under this section (hereinafter referred to as base year):

Provided that the non-assessment of property tax under this section during the block period of three years shall not be applicable to a building which undergoes any addition, change of use, alteration, or variation, and the owner or occupier shall report such changes within six months from the date of completion or occupation, whichever is earlier, along with the revised return and tax:

Provided further that nothing contained in this sub-section shall be deemed to affect the powers of the Government to order an earlier revision of property tax for reasons to be recorded in writing and after giving a reasonable opportunity of filing objections to the person liable to pay tax.”.

Section 89.-- For the proviso substitute-

“Provided that nothing in this section shall prevent the Corporation from levying a service charge on any property of the Central Government which is exempted from payment of property tax under this section, at the rate upto five per centum of the taxable annual value of such land and building.”.

Section 90.-- In sub-section (1) for “taxes on lands and buildings” substitute “property tax”.

Section 91.-- Omit.

Section 92.-- Omit .

Section 93.-- Omit .

Section 94.-- Omit.

For section 95, substitute-

Evidentiary value of assessment list and unit area value.	“95. The entries in the assessment list prepared under section 16, and the unit area value determined under section 18, of the Jammu and Kashmir Property Tax Board Act, 2013 shall be accepted as conclusive evidence for the purposes of assessing any tax levied under this Act and taxable annual value of land and building or vacant land or both to which such entries or determination respectively relate.”.
--	---

Section 96.-- Omit.

Section 97.-- Omit.

Section 98.— In sub- section (6), for “the Registration Act Samvat, 1977” substitute “the Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.

Section 122.-- In sub-section (1), in the proviso, after clause (a) insert “(aa) Property Tax.”.

Section 124.-- In clause (ii), after “property”, insert “including any sum of money due or likely to become due to such defaulter from any person or entity including a bank, a department of the Government, or any other entity by whatever name called.”.

For section 126, substitute-

Demolition, etc. of building.	“126. If any building is wholly or partly demolished or destroyed or otherwise deprived of value, the Commissioner may, on the application in writing from the owner or occupier and after conducting such enquiry as may be necessary, accept the revised return filed by the applicant and adjust the tax for the subsequent period.”
--------------------------------------	---

Section 127.-- Omit .

Section 128.-- Omit.

Section 129.-- Omit.

Section 130.-- Omit.

Section 131.-- Omit.

For section 132, substitute-

Appeal.	<p>“132. (1) An appeal against-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the levy of any tax or fee; or (ii) the refusal to refund any tax or fee; (iii) the calculation of taxable annual value of any property; or (iv) the assessment or re-assessment of any tax payable; or (v) any penalty imposed,
----------------	--

under this Act shall lie to the Jammu and Kashmir Property Tax Board.

(2) If on the hearing of an appeal under this section, any question as to the liability to or the principle of assessment of a tax arises on which the Board entertains reasonable doubt, the Board may, either of its own motion or on an application of any person interested, draw up a statement of the facts of the case and the point on which doubt is entertained and refer the statement with its own opinion on the point for the decision of the High Court.

(3) If the High Court is not satisfied that the statements contained in the case are sufficient to enable to it determine the questions raised thereby, the Court may refer the case back to the Board , to make such additions thereto or the alterations therein as the Court may direct in that behalf.

(4) The High Court, upon the hearing of any such case, shall decide the questions raised thereby, and shall deliver its judgment thereon containing the grounds on which decision is founded.

(5) The High Court shall send to the Board a copy of such judgment under the seal of the Court and signature of the Registrar; and the Board shall, on receiving such copy, dispose of the case conformably to such judgment.

(6) In every appeal, the costs shall be in the discretion of the Board.

(7) The costs awarded under this section in favour of a Municipal Corporation shall be recoverable by the Corporation as if they were arrears of a tax, due from the appellant.

(8) If the Municipal Corporation fails to pay the costs awarded to an appellant within ten days after the date of the order for payment thereof, the Board may order the person having the custody of the balance of the municipal fund to pay the amount.”.

For section 133, substitute-

Limitation for appeal

“133. (1) No appeal shall lie under section 132 unless it is preferred within one month after the order appealed against is made or in respect of any tax within one month from the time when the demand for the tax is made:

Provided that an appeal may be admitted after the expiration of the period prescribed under this section, if the appellant satisfies the Board that he had sufficient cause for not presenting the appeal within that period.

(2) No appeal shall be entertained unless the appellant has paid all other taxes due from him to the Municipal Corporation up to the date of such appeal.”.

Insertion of new section -After section 143, insert-

Powers of Government to make interim arrangements with regard to assessment and collection of taxes and fees.

“143A. (1) The Government may, by notification, make such interim arrangements for the assessment and collection of one or more of the taxes and fees levied in terms of any of the provisions of this Chapter as may be deemed necessary or expedient, and the provisions of this Chapter insofar as they relate to the assessment and collection of any such tax or fee shall stand modified to the extent and in the manner given in the notification during the period such interim arrangements remain in force.

(2) Any interim arrangement so made shall be for a period of upto three years only:

Provided that for good and sufficient reasons to be recorded in writing, the Government may extend such interim arrangements for a maximum period of upto five years:

Provided further that on the request of the Corporation, the Government may extend such interim arrangements for such period and on such conditions as may be mutually agreed between the Corporation and the Government.”.

Section 156.—

For “State Land Acquisition Act, Samvat, 1990” substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act 2013 (30 of 2013)”.

Section 159.--

For clause (c), substitute-

“(c) every contract involving an expenditure up to rupees one crore or such higher amount as the Corporation may fix, may be made by the Commissioner and contracts exceeding one crore or the higher amount so fixed by the Corporation, may be made by the Executive Committee.”.

- Section 161.--** In sub-section (3), for “audited by a separate and independent auditing agency under the control of Director” substitute “audited by the Comptroller and Auditor General of India”.
- Section 162.--** In sub-section (4), for “to each member” substitute “to each member of the Corporation and the Government which shall, as soon as may be, lay the said report in the Legislative Assembly the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 233.—** For “the Cattle Trespass Act, Samvat 1977” substitute “the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871)”.
- Section 237.--** In sub-section (1), in clause (a), for “determine the name or number” substitute “determine the number”.
- Section 285.—** In sub-section (2), for “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989” substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.
- Section 333.—** In sub-section (1), in clause (a) for “The State Land Acquisition Act, Samvat, 1990” substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement, Act 2013 93 of 2013)”.
- Section 379.—** For “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
- Section 383.—** In clause (a), for “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

Insertion of new section -After section 383, insert-

Eviction of unauthorised occupants.

“**383A.** (1) Notwithstanding anything contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, if the Commissioner is of the opinion that any person is in unauthorised occupation of any property and that he should be evicted, the Commissioner shall issue, in the manner hereinafter provided, a notice in writing calling upon that person to show cause as to why an order of eviction should not be passed.

(2) If, after considering the reply, if any, given by such person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same, and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the Commissioner is satisfied that the property is in unauthorised occupation, the Commissioner shall make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the property shall be vacated by all persons who may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be made public.

(3) If any person refuses to, or fails to comply with, the order of eviction within thirty days of the date of service of order under sub-section (2), the Commissioner shall evict that person and take possession of the said property and may, for the purpose, call upon the officer in charge Police Station of the area to render such assistance as may be necessary for evicting that person.

(4) Where any person has been evicted from any property under sub-section (3), the Commissioner may, after giving a notice to the person from whom possession of the property has been taken and after publishing such notice in at least two daily newspapers having wide circulation in the locality, remove or cause to be removed any article remaining on such property and may make an order for the proper custody of such article:

Provided that if the owner of the article refuses or fails to take delivery thereof after notice or if the article is subject to speedy and natural decay, the Commissioner may cause it to be disposed of by public auction and deliver the sale proceeds thereof, after deduction of cost incurred on such public auction, to such owner.

(5) Any person aggrieved by an order of the Commissioner made in respect of any property under sub-section (3) or sub-section (4) may prefer an appeal to the District Judge having jurisdiction over the area in which the property is located within a period of thirty days from the date of order.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, nothing done or purported to have been done under this section shall be called in question in any Court except as provided under sub-section (5).

Explanation.- For the purpose of this section, ‘unauthorised occupation’ means occupation by any person of any property, being the property of the Corporation or where Corporation has any interest in such property, without authority for such occupation and includes the continuance in occupation by any person of such property after the authority, whether by way of lease, mortgage or otherwise, under which he was authorised to occupy such property, has expired.”.

- Section 384.--** For “five hundred rupees” and “fifty rupees”, substitute “two thousand rupees” and “one hundred rupees”, respectively.
- Section 393.--** In sub-section (1), for “one thousand rupees”, substitute “two thousand rupees”.
- Section 395.--** For “Subject to the provisions of this Act” substitute “Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder”.
- Section 413.—** In sub-section (1), for “the Code of Civil Procedure, Svt. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
- Section 414.—** For “the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, 1989” substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.
- Section 421.—**
- (i) For “The District Planning and Development Board” wherever occurring, substitute “The District Planning Committee”;
 - (ii) omit sub-section (3); and
 - (iii) re-number existing sub-sections (3),(4) and (5) as sub-sections (2) (3) and (4) respectively.

3. THE JAMMU AND KASHMIR SCHOOL EDUCATION ACT, 2002 (XXI of 2002)

Throughout the Act, for “Government Gazette” and “State” substitute respectively “Official Gazette” and “Union territory of Jammu and Kashmir”.

- Section 1. -**
- (i) In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Jammu and Kashmir”; and
 - (ii) after sub-section (3), insert

“(4) Nothing in this Act shall affect the application of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009”.
- Section 2. -**
- (i) Omit clause (c);
 - (ii) in clause (e), for “District Education Officer” substitute “Chief Education Officer”;
 - (iii) in clause (h), for “Government of Jammu and Kashmir” substitute “Government of the Union territory of Jammu and Kashmir”;
 - (iv) in clause (o), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Jammu and Kashmir”.

Sections 6, 7, 8, 9 and 10. — Omit.

Insertion of new section -After section 20, insert-

Constitution of Fee Fixation and Regulation Committee of private schools.	<p>20A.The Government shall constitute a Committee to be known as the “Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools” for the purposes of regulating and determining the fee in private schools in the Union territory.</p> <p>(2) The Committee shall be headed by a Chairperson who has been a Judge of a High Court or a Government Officer who has been a Financial Commissioner of the Union territory or above.</p> <p>(3) The members of the Committee shall be such as may be prescribed by the Government.</p> <p>(4) The Chairperson may co-opt any other independent person of repute or a representative of a recognised School Association as an expert member, but the total number of members of the Committee shall not exceed five.</p>
Term of office and other conditions of service of Chairperson.	<p>20B.The term of office and other conditions of service of the Chairperson of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be such as may be prescribed by the Government.</p>
Powers and functions of Committee.	<p>20C.(1) Subject to the provisions of this Act or any other law for the time being in force, the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Government to ensure that the private schools are not indulging in commercialisation of education and undue profiteering.</p> <p>(2) The Government may by notification, delegate any of the powers vested in the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools to the Chairperson of the said Committee, to the extent as may be prescribed.</p> <p>(3) Orders passed by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be deemed to have been duly passed by a public servant and its violation or non-compliance shall amount to disobedience under the provisions of section 188 of Indian Penal Code (45 of 1860).</p>
Determination of fee.	<p>20D.(1)The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall while determining the fee to be charged by the private schools established after August, 2014 take into account inter alia the location, available infrastructure, expenditure on administration, aid, assistance and support in any form received by the private school from the Government or any other person or agency or any other factors as may be prescribed.</p> <p>(2) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may from time to time issue notification for fixing maximum ceiling of the fee to be charged under various categories.</p>
Fee to be charged by private schools.	<p>20E.(1) The private schools shall not charge any fee from the students or guardians, except tuition fee, annual fee, transport fee and voluntary special purpose fee such as the picnic, tour and excursions, etc. completely voluntary in nature or any other fee as may be approved by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools after following the procedure prescribed:</p> <p>Provided that private schools shall not charge in any manner, any other fee including admission fee or any amount, by whatever name called than the fee mentioned above.</p>
Power to call for records.	<p>20F.The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may at any stage call the record of any school for scrutiny if it comes to the conclusion that the private school has violated or is not adhering to its directions.</p>

- Staff of Committee.** **20G.**(1)The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall, for the purpose of assisting it in the discharge of its functions, be provided by the Government, such officers and employees as may be determined from time to time by the Government, in consultation with the Chairperson of the Committee.
- (2) All establishment charges of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be borne by the Government.
- (3) The terms and conditions of service of the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be such as may be determined by the Government, from time to time.
- (4) In the discharge of their functions under this Act, the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be subject to the exclusive administrative control and direction of the Committee.
- Sub-committees.** **20H.**The Government may constitute such other sub-committees at Divisional or Districts level with such powers and functions as it may deem fit to effectively regulate the fee in private schools.
- Power to make regulations.** **20-I.**The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may, by notification, make such regulations as it may deem necessary for carrying out the purpose of the said Committee.
- Powers of Civil Court.** **20J.**The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall for the purposes of making any inquiry or initiating any proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908).”

Section 22. - Omit.

For section 25, substitute-

- Bar of jurisdiction.** **“25.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908) or any other law for the time being in force, no court shall grant any injunction or make any interim order restraining any proceedings which is being or is about to be taken under this Act.
- (2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairperson or any member of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools or any officer or other employee or any person acting under the direction either of the Government or of the said Committee in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules or regulation or orders made thereunder.”.

For section 27, substitute-

- Penalties.** **“27.** (1)Whoever contravenes any of the provisions of this Act or rules made thereunder except the violation of directions issued by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be liable to a fine of not less than fifteen thousand rupees for first offence and fifty thousand rupees for every subsequent offence by the Director School Education concerned.
- (2) Any person or private school which contravenes the directions of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be liable to a fine of not less than fifty thousand rupees for first offence and one lakh rupees for every subsequent offence including recommendation for disaffiliation of such private school by the said Committee.”.

Insertion of new section -After section 28, insert—

Revision and appeal . “28 A. (1) Any person aggrieved of any order passed by the authority under sub-section (1) of section 27 may file a revision petition before the Director School Education concerned within a period of thirty days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed.

(2) Any person or private school aggrieved by any order made by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools in exercise of its powers conferred under sub-section (2) of section 27 may prefer an appeal against such order to the common High Court of Jammu and Kashmir within a period of thirty days from the date of the order.”.

Section 29.— In sub-section (2), omit clause (g).

4. THE JAMMU AND KASHMIR BOARD OF SCHOOL EDUCATION ACT, 1975
(XXVIII of 1975)

Preamble.— For “in the State” substitute “in the Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 1.— (i) In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Jammu and Kashmir”;

(ii) after sub-section (3), insert-

“(4) Nothing in this Act shall affect the application of the Right of Children to Free Education Act, 2009 (35 of 2009)”.

Section 2. — (i) For clause (a), substitute —

“(a) “Affiliated” with its grammatical variations and cognate expressions used with reference to an institution means affiliated or deemed to be affiliated to the Board for the purposes of admission to the privileges of the Board;

(aa) “Board” means the Board of School Education established under section 3”;

(ii) for clause (c), substitute -

“(c) “Elementary Education” means education at the elementary stage in a school corresponding to Grades I to VIII as per courses of study prescribed by a competent academic authority;”;

(iii) after clause (d), insert-

“(da) “Head of the Institution” means Headmaster or Principal or any other Principal or Academic Officer, by whatever designation called, of an affiliated institution;”;

(iv) in clause (e), for “in the State or outside” substitute “in the Union territory or outside”;

(v) for clause (h), substitute -

“(h) “Recognised” with its grammatical variations and cognate expressions, used with reference to institutions means recognised schools or institutions by the Government for imparting education to the students at Pre-primary, Elementary, Secondary, Higher Secondary or Teachers Training level;” and

(vi) for clause (m), substitute -

“(m) “Training Institution” means a training institution run privately or by the Government, and recognised by the Government and affiliated to the Jammu and Kashmir Board of School Education”.

Section 3. — In sub-section (1), for “Elementary Education” substitute “Pre-primary Education, Elementary Education”.

For Section 4, substitute —

Composition of Board “4. The Board shall consist of following members, namely:-

- (i) Chairman, Jammu and Kashmir Board of School Education;
- (ii) Administrative Secretary, School Education Department;
- (iii) Administrative Secretary, Youth Service and Sports Department;
- (iv) Director School Education, Kashmir;
- (v) Director School Education, Jammu;
- (vi) Director State Council of Educational Research and Training, Jammu and Kashmir or representative of National Council of Educational Research and Training to be nominated by the Chairman, National Council of Educational Research and Training;

(Vii)-(Viii). Two representatives not below the rank of Head of Departments from Universities and institutes of eminence e.g. Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/All India Institute of Medical Sciences situated in Jammu and Kashmir to be nominated by the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir;

(ix)-(x). Two eminent educationist unconnected with the administration, to be nominated by the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir;

(xi)-(xii). Two officers to be nominated by the Lieutenant Governor from amongst the Principals, Headmasters and Headmistress of teaching institutions of the union territory.”.

Section 10. — (i) In clause (i), insert “Pre-primary” before “Elementary” and insert “Elementary Teachers Training Course” after “examinations”;

(ii) In clause (ii), after “Courses”, insert “and Teacher Training Education Courses”;

(iii) In clause (iii), after “Board”, insert “through electronic and print media”;

(iv) In clause (v), after “Higher Secondary Courses”, insert “and Teachers Training Courses, etc.”;

(v) for clause (xv), substitute -

“(xv) call for reports from the concerned Director of School Education about the working and facilities available in a school applying for affiliation with the Board”;

(vi) in clause (XVII), insert “Pre-primary” after “relating to” and insert “and Teachers Training Courses” after “education”;

(vii) for clause (xviii), substitute -

“(xviii) to frame regulations for implementing various provisions of this Act.”;

(viii) for clause (xxvii), substitute -

“(xxvii) (a) to constitute or appoint different Boards of Studies for different subjects of studies at different stages including elementary teacher education;

(b) to undertake printing and publication of textbooks prepared or developed and approved by the concerned Courses Committee”;

(ix) for clause (xxviii), substitute -

“(xxviii) to liaise with different sister organisations at the national level including the Council of Boards of Secondary Education (COBSE), the National Council of Educational Research and Trainings (NCERT), the National Council for Teacher Education (NCTE) for furthering the objectives of this Act.”.

Section 13. —

For sub-section (4), substitute -

“(4) If in the opinion of the Chairman any emergency has arisen which requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems appropriate and shall thereafter, report the action taken to the Board at its next meeting or a meeting convened for the purpose:

Provided that the Chairman shall as soon thereafter as may be, report his action together with reasons thereof to the office, authority or other body of the Board or the Board, as the case may be, who or which would ordinarily have dealt with the matter:

Provided further that no appointment of any nature, whatsoever, shall be made under these powers:

Provided also that no promotions of any nature, whatsoever, shall be made under these powers.”.

After section 17, insert —

**Director
Academics.**

“17A. The Director Academics shall be the whole time paid officer of the Board and shall be appointed by the Government from amongst senior and competent academicians or educationists having a deep understanding on various issues including that of curriculum making, teaching-learning methodology, contemporary advances in cognitive learning and all such related matters.

**Powers
and functions of
Director
Academics.**

17 B. Subject to the control and regulations of the Board, the Director Academics, shall head such Divisions of the Board as may be provided in the regulations for realisation of various educational objectives of the Board including that of-

(a) preparation of curricula for different stages of education;

(b) preparation of curricula for various Teacher Education Courses;

(c) preparation of curricula for Vocational Courses and Physical Education;

(d) development of material or books for various stages of education, promotion and development of quality education in the Union territory;

(e) reviewing, revising or preparing scheme or schemes of examinations.

(f) conducting orientation courses in new methods of evaluation;

(g) conducting refresher courses of teachers in new schemes/teaching new curricula.”

After section 22, insert-

Financial Advisor.

“22A. (1)The Administrative Secretary, Finance Department, or any officer nominated by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir shall be the ex officio Financial Advisor to the Board.

(2) The Financial Advisor shall be an ex-officio member of the Board and its Finance Committee.

(3) The Financial Advisor shall exercise such powers and performs such duties as may be prescribed by the Statutes and regulations made under this Act.”.

Section 33. — In sub-section (2), in clause (d) for “recognition” occurring at both the places substitute “affiliation”.

Section 34. — Omit.

For section 35, substitute-

Copies of regulations and alterations thereof. of “ **35.** A copy of every regulation made by the Board under section 33 and of every modification or revision thereof shall be submitted to the Government for information.”.

Section 36 . — For “High School and Higher Secondary School Education” substitute “High School, Higher Secondary School and Elementary Teacher Training Education”.

For section 37, substitute—

Admission of institutions to privileges of Board. “**37.**(1) Any Institution, in or outside the Union territory, may apply to the Board for being admitted to the privileges of the Board and the Board may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, admit such institution to the privileges of the Board.

(2) Where the Board is satisfied that its privileges are being abused by any affiliated institutions or that the prescribed conditions or restrictions are not being complied with by such institutions, the Board may withdraw its privileges from the institutions, and thereon the institution shall cease to be an affiliated institution:

Provided that before withdrawing the privileges, the Board shall require the institution to showcase why such action should not be taken and consider any explanation which may be furnished by it.”.

For section 40, substitute—

Meetings of Board. (1) The Board shall hold its meetings at least four times in a year but three months shall not intervene between its last meeting and the next following meeting.

(2) The Chairman shall preside every meeting of the Board.

(3) All matters in a meeting of the Board shall be decided by the vote of the majority of the members present and voting:

Provided that in the case of equality of votes, the Chairman shall, in addition to his vote as a member, have a casting vote.

(4) Two-third of the total membership shall form a quorum at a meeting of the Board:

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for transacting the same business.

(5) Copy of the proceedings of every meeting of the Board shall be sent to the Government by the Secretary as soon as the meeting is held.

(6) No action taken, or proceedings taken, under this Act by the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy amongst members, or by reason of defect or irregularity in its constitution or any irregularity in procedure not affecting the merits of the case.”.

For section 43, substitute –

- Legal proceedings .** “43. No suit shall be instituted against the Board, or any member thereof, or any of its officers or other employees, or any person acting under the directions of the Board or any member or any officer or other employees of the Board in respect of any act done or purporting to have been done in pursuance of this Act or any rule or regulation made thereunder until the expiration of two months after notice, and in any other case, delivered to, or left at the office or place of abode of, the person to be sued and unless such notice state explicitly the cause of action, the nature of relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of residence of the intending plaintiff and unless the plaint contains a statement that such notice has been so left or delivered.
- Copy right.** 43A. (1) Copy right of all materials developed, printed and published by the Board shall vest with the Board itself.
- (2) The Board may get material pertaining to School Education developed, published or printed from any agency as it may consider appropriate in the public interest.
- Summary powers of recovery.** 43B. In case any sum is recoverable by the Board of School Education from any person on account of purchase, sale transportation, printing, storage or transit shortage of books and printing material or other sums found to have been misappropriated by the officials of the Board, the said sum of money shall be recoverable from such person and the procedure of recovery shall be the same as prescribed under section 90 of the Land Revenue Act, 1996.”

5. THE JAMMU AND KASHMIR COOPERATIVE SOCIETIES ACT, 1989 (X of 1989)

Throughout the Act, for “the Transfer of Property Act, Samvat, 1977” wherever occurring substitute “the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882)”.

- Section 1.** – In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 3.** – In sub-section (1), for “the whole State” substitute, “the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 10.** – In sub-section (1), for “programmes of the State”, substitute, “programmes of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 16.** – In sub-section (1), in first proviso for “each House of the State Legislature” substitute, “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 17.** – In sub-section (1), in clause (a), –
- (a) in sub-clause (i), for “the Jammu and Kashmir Contract Act, Samvat, 1977” substitute “the Indian Contract Act, 1872(9 of 1872)”; and
 - (b) in clause (c), for “the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat, 1998” substitute “the Societies Registration Act, 1860(21 of 1860)”.
- Section 30.**– (a) In sub-section (1),-
- (i) in the first proviso, for “such extension shall not exceed six months”, substitute “such extension shall not exceed one year at a time up to maximum period of two years”; and
 - (ii) in the second provisoomit “only”.

(b) in sub-section (7),-

- (i) for “in writing by the Reserve Bank” substitute “in consultation with the Reserve Bank”; and
- (ii) for “not exceeding one year” substitute “not exceeding two years”.

Section 30-A.- After sub-section (2), insert-

“(3) Notwithstanding anything contained in section 29 or section 30, where the Government or the Registrar has appointed a Board of Management or the Administrator, as the case may be, to manage the affairs of any Society before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) **Third** Order, 2020 and elections for the constitution of the Committee for any such Society have not been held before such commencement, such Board of Management or the Administrator, may continue to manage the affairs of the Society concerned for a period not exceeding two years from the said constitution and the elections shall be held within such period for re-constitution of the Board or Committee in accordance with provisions of this Act:

Provided that where the Board of Management has ceased to function before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order, 2020 or where the society is in default or is negligent to the performance of duties imposed on it by this Act or the rules or by-laws made thereunder or has committed any act which is prejudicial to the interest of the Society or its members, the Government may appoint Administrator or Transitory Board for two years or such period as may be determined by the Government.”.

After section 30-A, insert -

Transitory provision for revival of certain Cooperative Banks.

“**30-B.** (1) Notwithstanding anything contained in section 29 or section 30 or any other provisions of this Act,-

- (a) the Government may constitute such Professional Boards, as may be necessary for managing the affairs of the Central Cooperative Banks including Anantnag Central Cooperative Bank Ltd, the Baramulla Central Cooperative Bank Ltd. and the Jammu Central Cooperative Bank Ltd. for implementation of the revival package(s) sanctioned by the Government of India or the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir so as to enable these Central Cooperative Banks to achieve a Capital Risk Adequacy Ratio (CRAR) as may be required;
 - (b) from the date of constitution of such Professional Boards under clause (a), the existing Board of Directors or Board of Management of the concerned Banks shall cease to exist; and
 - (c) the Professional Boards constituted under clause (a) shall manage the affairs of these Banks for a period of two years or such other period as may be specified by the Government from time to time taking into consideration the impact of revival package and financial health of these Banks.
- (2) Notwithstanding anything contained in section 32-A, for managing the affairs of the Cooperative Banks as mentioned in clause (a) of sub-section (1), the Government or Professional Boards as constituted under sub-section (1) may appoint Managing Director or such officers for such period and on such terms and conditions as may be determined by the Government or the Professional Board.”.

Section 32-A.- For “any other law for the time being in force”, substitute “any other law for the time being in force and subject to overall supervision and control of the Government”.

Section 35. – In the proviso to clause (i), –

- (a) for “State Government” substitute “Government of the Union territory of Jammu and Kashmir”; and

(b) omit “subject to the provisions of section 140 of the Transfer of Property Act, Samvat 1977”.

- Section 40.** – For “the Jammu and Kashmir Registration Act Samvat 1977” substitute “the Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.
- Section 60.** – In clause (b), for “section 20 of the Trust Act, Samvat 1977”, substitute “section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882)”.
- Section 64.** – In sub-section (1C), for “on the request of the Reserve Bank in the manner and form” substitute “in consultation with the Reserve Bank and the National Bank within the time”.
- Section 79.** – In sub-section (1), for “the State” substitute “the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 80.** – In clause (h), omit “under the Jammu and Kashmir Land Reforms Act”.
- Section 86.** – In sub-section (2), for “State” substitute “Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 94.** – For “the Registration Act Samvat 1977”, substitute “the Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.
- Section 107.** – In sub-section (1), for “the Jammu and Kashmir Registration Act Samvat 1977”, substitute “the Registration Act 1908 (16 of 1908)”.
- Section 131.**—In sub-section (3), for “the Code of Civil Procedure Samvat 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, (5 of 1908)”.
- Section 134.**— In sub-section (1), for “the Jammu and Kashmir Houses and Shops Rent Control Act, 1966” substitute “the Residential and Commercial Tenancy Act, 2012”.
- Section 143.** – For “The Jammu and Kashmir Land Acquisition Act, Samvat, 1990” substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act 2013 (30 of 2013)”.
- Section 153.** – In clause (c), for “the Jammu and Kashmir Ranbir Penal Code, Svt. 1989” substitute “the Indian Penal Code (45 of 1860)”.
- Section 155.** – For “Article 182 of the Limitation Act, Samvat, 1995” substitute “section 137 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)”.
- Section 171.** – For “the Companies Act, 1956 (Central Act No. 01 of 1956),” substitute “the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
- Section 174.** – In sub-section (1), for “the Code of Civil Procedure, Samvat. 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
- Section 176.** – In sub-section (1), for “the State” substitute “the Union territory of Jammu and Kashmir”.

6. THE JAMMU AND KASHMIR SELF-RELIANT COOPERATIVES ACT, 1999

(X of 1999)

Throughout the Act for “State” substitute “Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 2.— (i) for clause (1), substitute—

“(1)“**arbitral tribunal**” means an arbitral tribunal to be headed by an officer of the cooperative not below the rank of Deputy Registrar of the concerned District and consisting of four members, elected by the general body of the cooperative from among its members or others, for settlement of disputes under the provisions of this Act.”;

(ii) in clause (5), insert—

- (iii) In clause (23), for “a permanent resident of the State as defined in section 6 of the Constitution of the Jammu and Kashmir” substitute “any person” ;
- (iv) in clause (27), for “permanent resident of the State” substitute “any person”; and
- (v) in clause 30, omit “whose members are permanent residents of the State”.

“**Explanation.**—The expression “economic need which is common to all” shall not mean banking services like accepting of deposits, opening savings, recurring and fixed deposit accounts and providing loans under short term, medium term or long term but includes thrift and credit business.”; and

- (vi) after clause (41), insert-

“(42) “**thrift and credit cooperative**” means coming together of a group of people with common interest who have agreed to pool their resources together from which loan facilities are made available to the members.”.

Section 3.—

- (i) In sub-section (1), omit “comprise of permanent residents of the State and”; and
- (ii) in sub-section (7), for “that person may move the court for redressal” substitute “the Registrar shall assign the reasons for non registration of the cooperative.”.

Section 7.—

For sub-section (4), substitute-

“(4) The Registrar on being satisfied that the amendment is not in contravention of the provisions of this Act, shall register the amendment and shall provide a copy of registered amendment to the cooperative:

Provided that such action shall not preclude the Registrar from challenging the legal validity of the amendment before the Court, after giving the cooperative a fair opportunity to reconsider the amendment.”.

Section 16.—

(i) In clause (a),-

- (a) in sub-clause (i), for “the Jammu and Kashmir Contracts Act Samvat 1977” substitute “the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872)”; and
- (b) omit sub-clause (ii);

(ii) in clause (c), for “the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat, 1998” substitute “the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860)”.

Section 39.—

In sub-section (1), after “Articles of Association” insert “but shall not include the bank services.”.

Section 50.—

For sub-section (1) substitute-

“(1) The articles of association of each cooperative shall provide for the constitution of an arbitral tribunal to be headed by an officer of the cooperative not below the rank of Deputy Registrar of the concerned District and consisting of four members, elected by the general body of the cooperative from among its members or others, whose term of office shall be not more than three years.”.

Section 52.—

After sub-section (7), insert-

“(8) If the Registrar, after conduct of an enquiry or inspection, is satisfied that a cooperative-

- (a) exists for an illegal purpose; or
- (b) has violated any of the provisions of this Act, or its articles of association, or is no longer operating on a cooperative basis; or
- (c) is conducting business without proper license of the competent authority as designated or notified by the Government,

he may give a notice to the cooperative to state its objections and the cooperative shall reply the notice within one month and after considering the reply, the Registrar shall pass an order for dissolution or otherwise of such cooperative, and in the event

of dissolution, he shall strike off from the register of cooperatives the name of cooperative and to that effect shall also issue a certification of dissolution and the Registrar shall appoint a Liquidator for liquidation of the assets and liabilities of the cooperative and the liquidation proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of this Act.

- (9) The Liquidator appointed under sub-section (8) shall have power, subject to the control of the Registrar,-
- (a) to institute and defend suits and legal proceedings on behalf of the cooperative by name of his office;
 - (b) to determine from time to time the contribution (including debts due) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by an officer, to the assets of the society;
 - (c) to investigate all claims against the cooperative and subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising between claimants;
 - (d) to pay *bona fide* claims against the cooperative;
 - (e) to determine by which person and in what proportions the costs of liquidation are to be borne;
 - (f) to determine whether any person is a member, past member or nominee of a deceased member;
 - (g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the cooperative as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the cooperative;
 - (h) with the previous approval of the Registrar, to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered,

and upon completion of liquidation, the Liquidator shall submit his report to the Registrar.”.

Section 53.- Omit.

Section 54.- Omit “or the court”.

Section 59.- For “Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977” substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.

7. THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE ACT, 1960 (XIX of 1960)

Throughout the Act, for “Government Gazette”, “State” and “Government”, wherever occurring, substitute “Official Gazette”, “Union territory of Jammu and Kashmir” and “Government of the Union territory of Jammu and Kashmir” respectively.

Preamble.— For “Members of Jammu and Kashmir State Legislature” substitute “Members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir”.

- Section 2. -**
- (i) In clauses (a), (b), (c), for “either House of the Jammu and Kashmir State Legislature” and “both Houses”, wherever occurring, substitute “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir” and “the Legislative Assembly” respectively;
 - (ii) in Exception to clause (d), in sub-clause (i), for “a House of the State Legislature” substitute “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir”;

- (iii) in the proviso to Sub-clause (ii) of clause (d), omit “or the Chairman of Legislative Council, as the case may be”;
- (iv) in the Explanation to clause (d), for “a House of Jammu and Kashmir State Legislature” substitute “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 3. -**
- (i) In sub-section (1), for “State Legislature” substitute “Legislature Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir” and in the proviso, omit “or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be”;
- (ii) in sub-section (1-A), omit “or in the case of a member nominated by the Governor to fill a seat in the Legislative Council”;
- (iii) in the first proviso to sub-section (1-A), for “section 64 of Constitution of Jammu and Kashmir” substitute “section 24 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019)”;
- (iv) in sub-section (2), for “State Legislature” and “Legislature” substitute “Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir” and “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 4. -**
- (i) In sub-section (1), for “State Legislature” and “either House of the State Legislature”, wherever occurring, substitute “Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir” and “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir” respectively; and
- (ii) in sub-section (1-a), omit “or the Chairman of Legislative Council, as the case may be” and for “places outside the State” substitute “places outside the Union territory”.
- Section 4-A.—** For “places outside the State” occurring at both the places substitute “places outside the Union territory” and in the proviso, for “Governor” substitute “Lieutenant Governor.”.
- Section 5. -**
- (i) In sub-section (1), for “a session of the House” substitute “a session of the Legislative Assembly”;
- (ii) in sub-section (3), omit “or the Chairman of Legislative Council, as the case may be”.
- Section 5-A. -** Omit “or the legislative Council, as the case may be” and for “of the respective Houses of the State Legislature” substitute “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.”.
- Section 6. –** For “either House of the State Legislature” substitute “Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir”.
- Section 8. -**
- (i) In sub-section (1), for “Legislature Secretariat” substitute “Secretariat of the Legislative Assembly” and, for “either House of the State Legislature”, wherever occurring, substitute “Legislative Assembly of the Union territory”; and
- (ii) in sub-section (2), for “either House of the State Legislature” substitute “Legislative Assembly of the Union territory” and omit “or the Chairman of the Legislative the Legislation Council, as the case may be” and “or the Deputy Chairman of the Legislative Council, as the case may be”.
- Section 10. -** In sub-section (1), for “Governor” substitute “Lieutenant Governor.”.

**8. THE SALARY AND ALLOWANCES OF LEADERS OF OPPOSITION IN THE STATE
LEGISLATURE ACT, 1985**

(XVI of 1985)

Throughout the Act, for “each Leader of the Opposition” and “a Leader of the Opposition” substitute “Leader of the Opposition”.

For section 2, substitute-

“2. Definition.— In this Act, ‘Leader of the Opposition’ means that Member of Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir, who is for the time being, the leader of the party in opposition to the Government having at least a strength equal to the quorum fixed to constitute a sitting of the House and recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly.

Explanation.— Where there are two or more parties in opposition to the Government in the Legislative Assembly having the same numerical strength, the Speaker shall, having regard to the status of the parties, recognise any one of the Leaders of such parties as the Leader of Opposition for the purpose of this section and such recognition shall be final and conclusive.”.

Section 9.— Omit “or the Chairman, as the case may be”.

Section 10.— Omit sub-section (3).

9. THE JAMMU AND KASHMIR GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(V of 2017)

Throughout the Act, for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Jammu and Kashmir”.

After section 1, insert-

Provisions to come into force with effect from dates to be notified by Government of Union territory of Jammu and Kashmir.

“1A. Save as otherwise provided, such provisions of this Act as amended by the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Third Order, 2020 shall be deemed to have come into force with effect from such that dates as may be notified by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir”.

- Section 2. -**
- (i) In clause (1), for “Transfer of Property Act, Svt. 1977 (1920 A.D.) (XLII of 1920 A.D)” substitute “Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882)”;
 - (ii) in clause (4),—
 - (a) for “the Appellate Authority and the Appellate Tribunal”, substitute “the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171”;
 - (b) for "the Appellate Authority for Advance Ruling” substitute "the Appellate Authority for Advance Ruling, the National Appellate Authority for Advance Ruling”;
 - (iii) in clause (17), for sub-clause (viii), substitute—

“(viii) activities of a race club including by way of totalisator or a license to book maker or activities of a licensed book maker in such club.”;
 - (iv) omit clause (18);
 - (v) in clause (35), for “clause (c)” substitute “clause (b)”;

- (vi) in clause (36), omit “as applicable to the State of Jammu and Kashmir”;
- (vii) In clause (69), for sub-clause (e) substitute-
 - “(e) A Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to the Constitution;
 - (f) A Development Board constituted under article 371 of the Constitution; or
 - (g) A Regional Council constituted under article 371 A of the Constitution.”;
- (viii) in clause (84), in sub-clause (l) for “the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, 1998(1941 A.D)(VI of 1998)”, substitute “the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)”;
- (ix) in clause (102), insert—
 - “Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression “services” includes facilitating or arranging transactions in securities.”;
- (x) in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), substitute-
 - “(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
 - (d)Ladakh;”.

Section 7.-

- (a) In sub-section (1), —
 - (i) in clause (b), after “or furtherance of business;”, insert “and”;
 - (ii) in clause (c), after “a consideration”, omit “and”;
 - (iii) omit clause (d);
- (b) after sub-section (1), insert—
 - “(1A) Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.”;
- (c) in sub-section (3), for “sub-sections (1) and (2)”, substitute “sub-sections (1), (1A) and (2)”.

Section 9.—

For sub-section (4), substitute—

“(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both.”.

Section 10.—

- (a) In sub-section (1), —
 - (i) for “in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate”, substitute “in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate”;
 - (ii) in the proviso, for “one crore rupees”, substitute “one crore and fifty lakh rupees”;
 - (iii) after the proviso, insert—
 - “Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent.

of turnover in the Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher.

Explanation.- For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the Union territory of Jammu and Kashmir.”

- (b) in sub-section (2),—
- (i) for clause (a), substitute—
“(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;”;
- (ii) in clause (d), omit "and" occurring at the end;
- (iii) in clause (e), for "Council:", substitute “Council; and”;
- (iv) after clause (e), insert—
“(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person.”;
- (v) in clauses (b), (c) and (d), after “of goods”, insert “or services”;
- (c) after sub-section (2), insert—
“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount to tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent, of the turnover in the Union Territory of Jammu and Kashmir, if he is not-
- (a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;
- (b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;
- (c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;
- (d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and
- (e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:
- Provided that, where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section”;
- (d) in sub-section (3), after "under sub-section (1)" wherever they occur, insert “or sub-section (2A), as the case may be,”;
- (e) in sub-section (4), after "of sub-section (1)", insert "or, as the case may be, sub-section (2A)”;;
- (f) in sub-section (5), after “under sub-section(1)", insert “or sub-section (2A), as the case may be,”;
- (g) after sub-section (5), insert—

"Explanation 1.— For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.— For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in the Union territory" shall not include the value of following supplies, namely:-

- (i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount."

Section 12.— In sub-section (2), in clause (a), omit "sub-section (1) of".

Section 13.— In sub-section (2), in clauses (a) and (b) omit "sub-section (2) of".

Section 16.— (i) In sub-section (2),—

(a) in clause (b), for the Explanation, substitute—

“Explanation.—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services—

- (i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;
- (ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.”;

(b) in clause (c), for “section 41”, substitute “section 41 or section 43A”;

(ii) in sub-section (4), omit or “invoice relating to such”.

Section 17.— (a) In sub-section (3), insert—

“Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “value of exempt supply” shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.”;

(b) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), substitute—

“(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:—

- (A) further supply of such motor vehicles; or
- (B) transportation of passengers; or
- (C) imparting training on driving such motor vehicles;

(aa) vessels and aircraft except when they are used—

(i) for making the following taxable supplies, namely:—

- (A) further supply of such vessels or aircraft; or
- (B) transportation of passengers; or

- (C) imparting training on navigating such vessels; or
- (D) imparting training on flying such aircraft;
- (ii) for transportation of goods;
- (ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available—

- (i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;
- (ii) where received by a taxable person engaged—
 - (I) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or
 - (II) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;
- (b) the following supply of goods or services or both—

- (i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

- (ii) membership of a club, health and fitness centre; and
- (iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force.”.

Section 20.— In the Explanation, in clause (c), for “under entry 84,” substitute “under entries 84 and 92A”.

Section 22.— In sub-section (1), after the proviso, insert—

“Provided further that where such person makes supplies of goods or services or both from a special category State in respect of which the State Government has enhanced the aggregate turnover referred to in the first proviso, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds the amount equivalent to such enhanced turnover:

Provided also that, the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.”.

Section 24.— In clause (x), for “commerce operator”, substitute “commerce operator who is required to collect tax at source under section 52”.

Section 25.— (i) In sub-section (1), after the proviso and before the Explanation, insert—

“Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the same State or Union territory.”;

(ii) in sub-section (2), for the proviso, substitute—

“Provided that a person having multiple places of business in the Union territory may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed.”;

(iii) after sub-section (6), insert—

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that, if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that, in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that, if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendation of the Council, specify in the said notification:

Provided that, where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons

shall be offered alternate and viable meals of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify, in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act 18 of 2016)".

Section 29.—

- (i) In the marginal heading after "Cancellation", insert "or suspension";
- (ii) In sub-section (1), for clause (c), substitute—
 "(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:
 Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed.";
- (iii) in sub-section (2), after the proviso, insert -
 "Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed.".

Section 30.—

- In sub-section (1), insert—
 "Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended—
 (a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;
 (b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).".

Section 31.—

- In sub-section (2), for the proviso, substitute—
 "Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,—
 (a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;
 (b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—
 (i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or
 (ii) tax invoice may not be issued.".

Insertion of new section -After section 31, insert—

Facility of digital payment to recipient.

"31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly,

in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”.

Section 34.— (a) In sub-section (1),—

- (i) for “Where a tax invoice has” substitute “Where one or more tax invoices have”;
- (ii) for “a credit note” substitute “one or more credit notes for supplies made in a financial year”;

(b) in sub-section (3),—

- (i) for “Where a tax invoice has” substitute “Where one or more tax invoices have”;
- (ii) for “a debit note” substitute “one or more debit notes for supplies made in a financial year”.

Section 35.— In sub-section (5), insert—

“Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any Department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

Section 39.—(a) For sub-sections (1) and (2), substitute—

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”;

(b) for sub-section (7), substitute—

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government the tax due taking into account turnover in the State or Union territory, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”;

(c) in sub-section (9),—

- (i) for "in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed", substitute "in such form and manner as may be prescribed";
- (ii) in the proviso, for "the end of the financial year" substitute "the end of the financial year to which such details pertain".

Insertion of new section -After section 43, insert—

**Procedure for
furnishing return
and availing input
tax credit.**

“43A. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of this Act.

(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,—

(i) within six months of taking registration;

(ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount,

shall be such as may be prescribed.”.

Section 44.—

In sub-section (1), insert—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that, any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."

Section 48.—

In sub-section (2), after "section 45", insert "and to perform such other functions".

Section 49.—

(a) In sub-section (2), for "section 41" substitute "section 41 or section 43A";

(b) in sub-section (5),—

(i) in clause (c), insert—

"Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;";

(ii) in clause (d), insert—

"Provided that the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;";

(c) after sub-section (9), insert—

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1)."

After section 49, insert—

Utilization of input tax credit subject to certain conditions

"49A. Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax, or the State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully towards such payment.

Order of utilisation of input tax credit.

49B. Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax."

Section 50.—

In sub-section (1), insert—

"Provided that, the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger."

Section 51.—

(i) For sub-section (3), substitute—

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."

- (ii) Omit sub-section (4).”
- Section 52.—** (i) In sub-section (4), insert—
- “Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:
- Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”
- (ii) In sub-section (5), insert—
- “Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:
- Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”
- (iii) In sub-section (9), for “section 37”, substitute “section 37 or section 39”.

Insertion of new section -After section 53, insert—

Transfer of certain amounts.

“53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.”

- Section 54.—** (i) In sub-section (8), in clause (a), for “zero-rated supplies of goods” and “zero-rated supplies”, substitute “export of goods” and “exports” respectively;
- (ii) after sub-section (8), insert—
- “(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”; and
- (iii) in the Explanation, in clause (II),—
- (i) in sub-clause (c), in item (i), after “foreign exchange”, insert “or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India”;
- (ii) for sub-clause (e), substitute—
- “(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;”
- Section 67.—** In sub-section (10), for “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989(1933 A.D){XXIII of 1989}” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”
- Section 69.—** In sub-section (3), for “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989(1933 A.D){XXIII of 1989}” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”
- Section 70.—** (i) In sub-section(1),—For “Code of Civil Procedure, Samvat 1977(1920 A.D.){X of Svt. 1977}” substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”; and

- (ii) in sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989(1932 A.D.){XII of 1989}” substitute “Indian Penal Code(45 of 1860)”.

Section 79.—(i) In sub-section (1), in clause (f) for “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989 (1933 A.D.){XXIII of 1989}” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”

- (ii) After sub-section (4), insert.—

“Explanation.—For the purposes of this section, the word person shall include “distinct persons” as referred to in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25.”.

Section 95.— (i) In clause (a),—

(c) for “Appellate Authority” substitute “Appellate Authority or the National Appellate Authority”; and

(d) for "of section 100" substitute “of section 100 or of section 101C”.

- (ii) after clause (e), insert—

"(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.”.

Insertion of new section -After section 101, insert—

Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling.

"101A. Subject to the provisions of this Chapter, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling for the purposes of this Act”.

Section 102.— (i) For "Appellate Authority" occurring, at both the places substitute "Appellate Authority or the National Appellate Authority";

(ii) after "or section 101", insert "or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act,2017 respectively,"; and

(iii) for "or the appellant occurring at both the places ", substitute " the appellant, the Authority or the Appellate Authority".

Section 103.— (i) After sub-section (1), insert—

"(1A) The advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961);

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961).";

(ii) in sub-section (2), for “in sub-section (1)” substitute “in sub-section (1) and sub-section (1A)”

Section 104.— In sub-section (1),—

(a) for “the Appellate Authority” substitute “the Appellate Authority or the National Appellate Authority”; and

(b) after "of section 101", insert “or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act,2017”.

Section 105.— (i) For the marginal heading, substitute—

“Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority”;

(ii) in sub-section (1),—

- (a) for “Appellate Authority” substitute “Appellate Authority or the National Appellate Authority”;
- (b) in clause (c), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977(1920 A.D.){X of Svt. 1977}” substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”; and

(iii) in sub-section (2).—

- (a) for “Appellate Authority” substitute “Appellate Authority or the National Appellate Authority”;
- (b) for Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989(1933 A.D){XXIII of 1989}” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” and for “Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989(1932 A.D.){XII of 1989}” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 106.— (i) For the marginal heading, substitute—

“Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority”

(ii) for “Appellate Authority” substitute “Appellate Authority or the National Appellate Authority”;

Section 107.— In sub-section (6), in clause (b), after “arising from the said order,”, insert “subject to a maximum of twenty-five crore rupees,”.

Section 109.— For section 109, substitute—

Appellate Tribunal and Benches thereof. “109. (1) Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

(2) The constitution and jurisdiction of the State Bench and the Area Benches located in the Union territory shall be in accordance with the provisions of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder.”.

Section 111.— (i) In sub-sections (1), and (2), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977(1920 A.D.){X of Svt. 1977}” substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”; and

(ii) in sub-section (2), in clause (d), for “Evidence Act, Samvat 1977(1920 A.D.){XIII of Samvat 1977}” substitute “Indian Evidence Act, 1872(1 of 1872)”.

(iii) In sub-section (4), for “Jammu and Kashmir State Ranbir Penal code, Svt 1989 (1932 AD (12 of 1989))” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)” and “Code of Criminal Procedure, Svt 1989 (1933 AD, 23 of 1989)” substitute “Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974).

Section 112.— In sub-section (8), in clause (b), after “arising from the said order,” insert “subject to a maximum of fifty crore rupees,”.

Section 118.— In sub-section (2), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977 (1920 A.D.){X of Svt. 1977}” substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

Section 122.— After sub-section (1), insert:—

“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i),(ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.

- Section 129.—** In sub-section (6), for “seven days”, substitute “fourteen days”.
- Section 131.—** For Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989(1933 A.D){XXIII of 1989}” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
- Section 132.—** (i) In sub-section (1),—
- (a) for “Whoever commits any of the following offences”, substitute “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences”;
- (b) for clause (c), substitute—
- “(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;”;
- (c) in clause (e), omit “, fraudulently avails input tax credit”.
- (ii) In sub-section (4), for “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989(1933 A.D){XXIII of 1989}” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
- Section 140.—** With effect from the 8th day of July, 2017,—
- (i) in sub-section (1), after the words “existing law”, the words “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
- (ii) in sub-section (2), after the words “appointed day”, the words “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
- (iii) in sub-section (3), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (iv) in sub-section (5), for the words “existing law”, the words “existing law, within such time and in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (v) in sub-section (6), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (vi) in sub-section (7), for the words “credit under this Act even if”, the words “credit under this Act, within such time and in such manner as may be prescribed, even if” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (vii) in sub-section (8), for the words “in such manner”, the words “within such time and in such manner” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted; and
- (viii) in sub-section (9), for the words “credit can be reclaimed subject to”, the words “credit can be reclaimed within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted.
- Section 143.—** In sub-section (1), in clause (b), after the proviso, insert—
- “Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively.”.
- Section 150.—** In sub-section (1),-
- (i) in clause (f), for “the Jammu and Kashmir Electricity Act, 2010(XII of 2010) substitute “the Electricity Act, 2003(36 of 2003)”; and

- (ii) in clause (g), for “Registration Act Svt. 1977(1920 A.D.) (XXXV of 1977)” substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.

Section 156.— For “Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989(1932 A.D.){XII of 1989}” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 158.— (i) In sub-section (2), for “Evidence Act, Samvat 1977(1920 A.D.){XIII of Samvat 1977}” substitute “Indian Evidence Act, 1872(1 of 1872)”;

- (ii) In sub-section (3), in clause (a) for “Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Svt. 1989(1932 A.D.){XII of 1989}” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)” and for “the Prevention of Corruption Act, Svt. 2006 (1949 A.D.){XIII of 2006}” substitute “the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).”

Section 168.— In sub-section (2), for “sub-section (5) of section 66, sub-section (1) of section 143”, substitute “sub-section (1) of section 143, except the second proviso thereof”.

Insertion of new section -After section 168, insert—

Power of Government to extend time limit in special circumstances.

“**168A. (1)** Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which may not be completed or complied with due to *forcemajeure*.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.-For the purposes of this section, the expression “*force majeure*” means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.”

Section 171.— After sub-section (3), insert—

“(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2) after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent, of the amount so profiteered:

Provided that, no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression “profiteered” shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.”.

Section 172.— In sub-section (1), in the proviso, for “three years”, substitute “five years”.

Section 174.— In sub-section (3), for “the Jammu and Kashmir General Clauses Act, Samvat 1977(1920 A.D.)(XX of 1977)” substitute “the General Clauses Act, 1897.”

Insertion of new section -After section 174, insert:-

Retrospective exemption from or levy or collection of State tax in certain cases. “174A. (1) Notwithstanding anything contained in the SRO notification SRO –GST-1, dated the 8th July, 2017, issued by the Finance Department Government of Jammu and Kashmir, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017,-

(i) no State tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 8th day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both day sinclusive);

(ii) State tax at the rate of six per cent. shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as 10 parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 8th day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times

Retrospective effect to notification issued under clause (ii) of proviso to sub-section (3) of section 54 of Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act. 174B. The notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number G.S.R. 708(E), dated the 30th September, 2019, issued by the Central Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017, read with sub-section (2) of section 9 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 8th day of July, 2017.

Schedule I.— In paragraph 4, for “taxable person”, substitute “person”.

Schedule II.— (i) In the heading, after the word “ACTIVITIES”, the words “OR TRANSACTIONS” shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

(ii) In paragraph 4, the words “whether or not for a consideration,” occurring at both the places, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 8th day of July, 2017.

Schedule III.— (i) After paragraph 6, insert—

“7. Supply of goods from a place to another place without such goods entering into India.

8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.”;

(ii) number the Explanation as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, insert—

‘Explanation 2.—For the purposes of this paragraph, the expression “warehoused goods” shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, (52 of 1962).’

**10. THE JAMMU AND KASHMIR METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT
AUTHORITIES ACT, 2018**

(Governor Act No. XLIX of 2018)

Throughout the Act including Preamble, except clause (5) of sub-section (1) of section 4 and sub section (2) of section 14 for “State” substitute “Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 2.— In sub-section (1), omit clause (r) and clause (t).

Section 3. — In sub-section (3), for “the General Clauses Act, Samvat, 1977” substitute “the General Clauses Act, 1897 (10 of 1987)”.

Section 4. — For the Explanation substitute—

“Explanation.—During the continuation of Proclamation under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, (34 of 2019), the term ‘Chief Minister’ shall mean and include ‘Lieutenant Governor’ for the purposes of this section”.

Insertion of new section -After section 16, insert-

**Unified Metropolitan
Transport Authority.**

“16A. (1) The Government may, by notification, establish a Unified Metropolitan Transport Authority for each of the Metropolitan Regions notified under clause (n) of sub-section (1) of section 2 of this Act.

(i) The Unified Metropolitan Transport Authority constituted under sub-section (1) shall form a part of the Srinagar Metropolitan Region Development Authority, or, as the case may be, of Jammu Metropolitan Region Development Authority, constituted by the Government in terms of section 3 of this Act.

(ii) The Unified Metropolitan Transport Authorities shall function under the superintendence and control of the respective Metropolitan Region Development Authorities, and any expenses incurred or any income accrued on account of the functioning of the Unified Metropolitan Transport Authority shall be made out of or paid into, as the case may be, the fund of the respective Metropolitan Region Development Authority.

**Composition of Unified
Metropolitan Transport
Authority.**

16B.-(1) The Unified Metropolitan Transport Authority shall consist of the following, namely:-

- (a) The Chief Secretary to the Government of Jammu and Kashmir;
- (b) Administrative Secretaries of Housing and Urban Development, Transport, Finance and Planning and PW (Roads and Buildings), and PHE (I&FC) Departments;
- (c) Divisional Commissioner of the region;
- (d) Transport Commissioner, Jammu and Kashmir;
- (e) Inspector General of Police, Traffic, Jammu and Kashmir;
- (f) Municipal Commissioner of the Municipal Corporation in the Metropolitan Region;
- (g) Vice-Chairman of the Srinagar Development Authority or of Jammu Development Authority, as the case may be;
- (h) Chief Executive Officer of Srinagar Smart City Ltd. or of Jammu Smart City Ltd., as the case may be;
- (i) Chief Executive Officer of Srinagar, Metropolitan Region Development Authority (SMRDA) or Chief Executive Officer of Jammu, Metropolitan Region Development Authority (JMRDA), as the case may be;

- (j) Chief Executive Officer, Economic Reconstruction Agency;
- (k) Managing Director, Mass Rapid Transit Corporation of the region;
- (l) Chief Town Planner, Town Planning Organization of the region;
- (m) A nominee of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India;
- (n) A nominee each of the National Highways Authority of India, Northern Railways, Airports Authority of India and Inland Waterways Authority of India; and,
- (o) Two members who are experts in the field of urban transport, to be nominated by the Government.

(2) The Chief Secretary shall be the Chairperson of the Unified Metropolitan Transport Authority, and the Chief Executive Officer of the respective Metropolitan Region Development Authority shall be the Member-Secretary of the Unified Metropolitan Transport Authority.

(3) The decisions of the Unified Metropolitan Transport Authority shall be by voting, and each member, except those nominated under clause (l), clause (m) and clause (n) of sub-section (1) and shall have no voting rights, shall have one vote each, and the Chief Secretary shall have a casting vote.

(4) The provisions of the section 8 regarding authentication of proceedings shall mutatis mutandis apply to the proceedings of the Unified Metropolitan Transport Authority.

Functions of Unified Metropolitan Transport Authority.

16C. (1) The main object of the Unified Metropolitan Transport Authority shall be to secure the development of an integrated, efficient, modern, multi-modal mobility system including non-motorised means of mobility with focus on movement of people and goods instead of vehicles for the area falling in the jurisdiction of the Metropolitan Region Development Authority of which it is a part, and it shall undertake all such activities as are necessary or incidental to achieving this object.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Authority shall discharge the following functions, namely:-

- (i) formulation of policy to guide the approach for developing the transport system in the region;
- (ii) identification of sources of finance for the development of transport infrastructure;
- (iii) identification of the need and finalization of the regulatory mechanism(s) to regulate integration between different modes, safety, fares, interoperability, and other allied aspects;
- (iv) identification of interventions in terms of infrastructure and amenities required to be made to achieve the object set out in sub-section (1); and,
- (v) research and development on mobility, and capacity building and upgradation of skills of the stakeholders.

Section 17.—

(i) For sub-section (1), substitute —

“(1) The Unified Metropolitan Transport Authority shall, in order to achieve the object set out in sub-section (1) of section 16C prepare a strategic plan document to be called as Mobility Management Plan through such internal or external consultations as it may deem necessary or expedient.”;

(ii) after sub-section (6), insert-

“(7) The proposals regarding the provision or development of any amenity including laying and improvement of roads, sidewalks, metro networks, waterways, rolling stock, vehicles, vessels or any other item required to implement the Mobility Management Plan shall be included in the Infrastructure Development Plan under section 15 and in the Annual Plan for infrastructure development under section 16 in such a manner so as to adhere to the timelines for the development of such amenities stipulated in the Mobility Management Plan.

(8) In case the Unified Metropolitan Transport Authority is of the opinion that the funding required for the development of amenities as envisaged in the Mobility Management Plan is not being adequately provided, it may recommend to the Authority to constitute a separate fund under section 27 with such stipulations as would ensure adequate financing for the Mobility Management Plan.”.

Section 38.—

In sub section (8), for “ Jammu and Kashmir Arbitration and Conciliation Act, 1997” substitute “Arbitration and Conciliation Act, (26 of 1996)”.

Section 48.—

For “State Ranbir Penal Code, Samvat 1989” substitute “Indian Penal Code, (45 of 1860)”.

[F.No. 11012/16/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.